Par. S. 17. I. 17 52 10
285

खंड १

संख्या १७

मंगलवार

१० जून, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

(First Session)

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग १०११—१०६३]

प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग १०६३—१०६८]

(मूल्य ४ आने)

388 PSD

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

मंगलवार, १० जून, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सरकारी सेवा में विदेशी

*६५१. **श्री वैलायुधन** : क्या गृहकार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार में अस्थायी अथवा अन्यथा काम करने वाले विदेशी पदाधिकारियों की संख्या कितनी है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): भारत सरकार में काम करने वाले असैनिक अभारतीय पदाधिकारियों की संख्या ६६० है, जिस में से ३४७ रक्षा सेवाओं में, १९८ रेलवे में और शेष व्यक्ति दूसरे विभागों में काम कर रहे हैं।

श्री वैलायुधन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्त इन विदेशी पदाधिकारियों को कुछ विशेष वेतन दिये जाते हैं ? क्या ये विदेशी पदाधिकारी भारत सरकार के पदाधिकारियों को दी जाने वाली वेतन-श्रेणियों के अतिरिक्त कुछ विशेष वेतनों तथा भत्तों का भी लाभ उठाते हैं ?

डा० काटजू : इन में से कई एक को ठेके पर बुलाया गया है, कई एक की सेवायें अस्थायी हैं और कई ऐसे भी हैं जिन की नौकरी स्थायी है। वेतनों के सम्बन्ध में मैं तब तक कुछ भी नहीं कह सकता जब तक मुझे पूर्वसूचना नहीं मिले।

श्री वैलायुधन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस सूची में वे व्यक्ति भी सम्मिलित हैं जिन्हें भारत-अमरीकी करार कार्यक्रम में लिया गया है ?

डा० काटजू : इन में से कई एक उस कार्यक्रम में लिये गये हैं।

श्री वैलायुधन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या भारत-अमरीकी करार के अन्तर्गत नियुक्त किये गये एक पदाधिकारी जिन का नाम श्री स्लोकॉम है ... ..

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री वैलायुधन : उस पदाधिकारी को प्रति मास लगभग १०,००० रुपये दिये जाते हैं ?

डा० काटजू : मेरे मान्य मित्र इस प्रश्न की पूर्वसूचना दें।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि रक्षा सेवाओं में नियुक्त विदेशियों में से सेना के कमान पदाधिकारी कितने हैं, प्रविधिविज्ञ कितने हैं और कितने एक प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं ?

डा० काटजू : मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

श्री ए० एम० टामस: क्या भारत सरकार की यही नीति है कि इन सेवाओं का पूरा पूरा भारतीयकरण हो ?

डा० काटजू: ठेके पर रखे गये व्यक्तियों के अतिरिक्त जितने भी अन्य विदेशी स्थायी सेवाओं पर नियुक्त हुए हैं, यही वेतन पाते हैं।

श्री वी० पी० नायर: भारत सरकार की सेवा में नियुक्त ऐसे बिदेशियों की संख्या कितनी है जिन्हें भारत के राष्ट्रपति की अपेक्षा अधिक वेतन मिलता है ?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति।

श्री एच० एन० मुखर्जी: माननीय मंत्री ने बतलाया है कि कई ऐसे विदेशी भी हैं जिन्हें भारत अमरीकी करार कार्यक्रम के अन्तर्गत काम में लगाया गया है। क्या वह इस बात पर और अधिक स्पष्ट रूप से सूचना दे सकते हैं ?

डा० काटजू: यदि माननीय सदस्य मझे पूर्वसूचना दें तो मैं और अधिक स्पष्ट सूचना दूंगा।

श्री वैलायुधन: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने इन विदेशी पदाधिकारियों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखा है, अथवा ये पदाधिकारी यहां के प्राविधिक (टैक्नीकल) सहायता प्रशासन के निदेशों पर चलते हैं ?

डा० काटजू: मेरा अनुमान है कि मेरे मित्र केवल तर्क क लिये मुझ से यह प्रश्न पूछ रहे हैं। शायद उन्हें इस प्रश्न का उतर मालूम है। उन्हें उस का ज्ञान भी है। जो भी पदाधिकारी लोक-निगमों में चले जाते हैं, उन पर उन ही निगमों के नियम लागू होते हैं, और वह अपने वरेष्ठ पदाधिकारियों तथा सीधे भारत सरकार से भी आदेश लिया करते हैं।

श्री वैलायुधन. मैं ज्ञात कर सकता हूं कि .....

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। अगला प्रश्न। इस प्रश्न पर चार मिनट लग चुके हैं।

प्रेस आयोग

*६५२. **श्री वैलायुधन** : क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय कार्यकारी पत्रकार संघ ने कलकत्ता में आयोजित अपने सत्र में यह मांग की थी कि सरकार एक प्रेस कमीशन नियुक्त करे ; तथा

(ख) यदि की थी, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) जी हां। (ख) राष्ट्रपति ने अपने संसद् में दिए अभिभाषण में बतलाया था कि कुछ एक सप्ताहों में ही प्रेस कमीशन नियुक्त किया जायेगा।

श्री वैलायुधन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस कमीशन के कार्यक्षेत्र तथा उद्देश्य बता सकेंगे ?

डा० काटजू : मैं आशा करता हूं कि मैं इस बात का स्पष्टीकरण उसी आदेश में करूंगा जिस के अनुसार प्रेस कमीशन की नियुक्ति होगी। हम उन्हें निर्देश के पद बता देंगे, और वह सभी सूचना उचित समय पर उपलब्ध हो जायेगी।

श्री वैलायुधन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या देश में वर्तमान प्रेस विधान पर इस प्रेस कमीशन का कोई अधिकार होग

डा० काटजू : इस का कोई भी अधिकार नहीं होगा । कमीशन की नियुक्ति इसीलिये हुई है कि वह परामर्श देता रहे ।

श्री पुन्नूस : क्या माननीय मंत्री यह बतला सकते हैं कि कमीशन में किन हितों का प्रतिनिधित्व होगा ?

डा० काटजू : प्रेस से सम्बन्धित प्रत्येक हित का ।

श्री वैलायुधन : मंत्री महोदय ने यह बतलाया कि कमीशन को कोई भी अधिकार नहीं होगा । मैं ज्ञात कर सकता हूं कि यदि इस कमीशन का कोई भी अधिकार नहीं है तो क्यों इस की नियुक्ति की जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उत्तर को ग़लत समझ कर ही यह प्रश्न पूछ रहे हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार ने भारत में प्रकाशित होने वाले पत्रों और पत्रिकाओं तथा विभिन्न प्रेसों में काम करने वाले पत्रकारों तथा पाठकों की संख्या के आंकड़े तैयार किये हैं ?

डा० काटजू : माननीय सदस्य को मैं अभी बता चुका हूं कि निर्देश के पदों की सूची बनाते समय हम सभी ठोस तथ्यों पर विचार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : में समझता हूं कि आयोग की नियुक्ति के समय सदन के समक्ष सभी निर्देश पद होंगे; अतः इस समय उन के विषय में और प्रश्न पूछ लेना असामयिक होगा ।

आसाम के जनजाति क्षेत्र

*६५३ **श्री बी० आर० भगत** : क्या गृहकार्य मंत्री २५ सितम्बर, १९५१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२६५ का निर्देश करते हुए यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) आसाम के जनजाति क्षेत्रों में इस समय कौन सी मुख्य विकास योजनायें आरम्भ की गई हैं;

(ख) कब तक उन के पूरा होने की सम्भावना है; तथा

(ग) वर्ष १९५१-५२ में उन के लिये कुल कितने वित्तीय अनुदान स्वीकृत किये गये हैं ?

गृहकार्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) एक विवरण, जिस में यह बातें दी गई हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ठ ४, अनुबन्ध संख्या १]**

(ख) अभी भारत सरकार के पास इस प्रकार की कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) ४९ लाख रुपये ।

श्री बी० आर० भगत : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि शिक्षा तथा लोक स्वास्थ्य शीर्षकों के अन्तर्गत व्यय की जाने वाली धनराशि कितनी है ?

डा० काटजू : जो भी योजनायें बनाई जा चुकी हैं उन में इस बात का विशिष्ट उल्लेख नहीं हुआ है कि विविध शीर्षकों के अन्तर्गत कितनी धनराशि का बटवारा किया गया है । वस्तुतः यह सब काम आसाम सरकार ही का है ।

श्री बी० आर० भगत : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि विगत दो वर्षों में कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ?

डा० काटजू : मैं सन् १९५१-५२ का आंकड़ा बता सकता हूं : १६,७४,००० रुपये व्यय हो चुके हैं ।

श्री बी० आर० भगत : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन जनजाति-क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास के लिये सरकार के समक्ष कोई योजना है ?

डा० काटजू : हम यही करना चाहते हैं, और जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, हम ने एक सम्मेलन भी बुलाया था, और अब इस काम के पथ प्रदर्शन के लिये हम नें सामान्य नियम भी बना रखे हैं।

श्री बी० आर० भगत : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या चालू वर्ष में सड़क विकास की कोई योजना प्रारम्भ की गई है ?

डा० काटजू : यह विषय किसी भी विशेष शीर्षक के अन्तर्गत नहीं है, फिर भी यह मामला विचाराधीन है ।

श्री बी० आर० भगत : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या प्राथमिकता के अनुसार किसी योजना का निश्चय हुआ है, और यदि हुआ है तो वह क्या है ?

डा० काटजू : प्राथमिकता का कोई भी प्रश्न नहीं । विविध शीर्षक ह, और मैं समझता हूं कि यह सब चीज़ें आगे आगे बढ़ती जायेंगी ।

श्री नटवरकर : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या आसाम की जनजातियों के सहयोग से ये योजनायें बनाई जाती हैं ?

डा० काटजू : जी हां, श्रीमान्; सब से पहले तो हमें जनजातियों का सहयोग ही चाहिये ।

पोस्ट-कार्ड बेचने वाली मशीन

*६५४. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने कि कृपा करेंगे :

(क) क्या प्रयोगात्मक प्रयोजन के लिये स्वयंचालित पोस्ट कार्ड बेचने वाली मशीन का कोई नया नमूना भारत पहुंचा है ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या किसी स्थान पर इसका प्रयोग किया जा रहा है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) बिल्कुल अभी पहुंची है ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या कोई ऐसी शर्त लगाई गई है कि यदि उक्त मशीन में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो वह देश, जहां से यह मशीन बन कर आई है, उसे वापिस ले लेगा।

श्री राज बहादुर : अभी इस मशीन का प्रयोग किया जा रहा है । पहले भी इसका प्रयोग हुआ था । यह तो है ही कि यदि इस में कोई त्रुटि हुई तो इसे वापिस कर दिया जायेगा ।

सरदार हुक्म सिंह : पहले भी इस का प्रयोग हुआ था—वह तो स्विस मशीन थी ; तो क्या मैं यही समझूं कि त्रुटियां दूर किये जाने के बाद वही मशीन पुनः लाई गई है ?

श्री राज बहादुर : यह उसी कम्पनी की है ।

श्री ए० एम० टामस : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि उस स्विस सार्थ से कितनी मशीने मंगाई गई थीं ?

श्री राज बहादुर : यह मशीन वास्तविक मशीन की नक़ल है और अभी अभी भारत पहुंची है । इस पर प्रयोग किया जा रहा है । यदि यह संतोषजनक ढंग से चली तो हम नई मशीनों के लिये आदेश भेजेंगे ।

श्री ए० एम० टामस: क्या मैं यही समझूं कि केवल एक मशीन मंगाई गई थी ?

श्री राज बहादुर: एक मशीन भारत पहुंची है ।

श्री दामोदर मेनन: क्या इस मशीन से सरकार को कुछ बचत होने की संभावना है ?

श्री राज बहादुर: मशीनों को पुन: कार्डों तथा सिक्कों से भरने, सिक्के एकत्र करने आदि के कामों में अपेक्षित श्रम को दृष्टि में रखते हुए मैं समझता हूं कि इस स्थिति में इस बात का पहले से कहना कि कुछ बचत होगी संभव नहीं है ।

नल कूप

*६५५. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ में 'अधिक अन्न उपजाओ' अन्दोलन के अन्तर्गत लगाये गये नल कूपों की संख्या कितनी है ; तथा

(ख) इन कूपों से कितन अतिरिक्त क्षेत्र में कृषि हुई है, और कितना अतिरिक्त अनाज उत्पादित हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) जून १९५२ को अन्त होने वाले वर्ष के अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन की पूरी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है । यों तो जुलाई, १९५१ से मार्च, १९५२ तक ४४९ नल-कूप लगाये गये।

(ख) अनुमान किया जाता है कि इन नल-कूपों से ६७,००० एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र की काश्त हुई है । अभी इस बात की कोई सचना उपलब्ध नहीं है कि इन नल-कूपों से कितना अतिरिक्त अनाज उत्पादित हुआ है ।

सरदार हुक्म सिंह: क्या सन् १९५०-५१ में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन का लक्ष्य प्राप्त हुआ था ?

श्री करमरकर: श्रीमान्, अभी हमारे पास इस बात की कोई भी निश्चित सूचना नहीं कि नल-कूपों के सम्बन्ध में, जैसा उक्त प्रश्न में निर्दिष्ट है, क्या हुआ है ।

सरदार हुक्म सिंह: मैं सन् १९५०-५१ की सूचना चाहता था । अब तो सरकार के पास इसके सभी आंकड़े होंगे । मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि क्या उक्त वर्ष में लक्ष्य प्राप्त हुआ था अथवा उस में बहुत कमी रह गई थी ।

श्री करमरकर: नल कूपों के सम्बन्ध में ?

अध्यक्ष महोदय: जी हां ।

श्री करमरकर: सन् १९५०-५१ में भारत के विभिन्न स्थानों में ७७० नल-कूप गलाये गये थे, और सन् १९५०-५१ में लगाये गये इन नल-कूपों से २१५,१५३ एकड़ भूमि में कृषि हुई थी । इन नल कूपों से ३१,३६२ टन अतिरिक्त उत्पादन हुआ है । अत: इन से उपज में ठोस वृद्धि हुई है ।

सरदार लाल सिंह: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इन में से कितने नल-कूप भारतीय सार्थों ने गलाये थे, और कितने एक विदेशी सार्थों ने ?

श्री करमरकर: मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री दामोदर मेनन: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या लोक लेखा समिति की सिपारिश के अनुसार सरकार ने इस बात की जांच कराने के लिये ऐसा

कोई केन्द्रीय व्यवस्थापन स्थापित किया है कि अधिक अन्न उपजाओ अन्दोलन के हित राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान उचित रूप से व्यय किये जाते हैं ?

श्री करमरकर: मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी: क्या मैं इन नलकूपों का राज्यवार वितरण ज्ञात कर सकता हूं ?

श्री करमरकर: सन् १९५०-५१ के लिये ? सन् १९५१-५२ की सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी: जो कोई भी आंकड़े उपलब्ध हों, बता दीजिये ।

श्री करमरकर: राज्यवार आंकड़े इस प्रकार से हैं ।

बिहार	३८
मद्रास	६०
उड़ीसा	३
पंजाब	३४३
उत्तर प्रदेश	३१३
भाग ख में के राज्यों में से—	
पैप्सू	१३

कुल जोड़ ७७० है । यह सन् १९५०-५१ का है ।

श्री एन० बी० चौधरी: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इन में से इस समय तक कितन नल-कूप बेकार हो चुके हैं ?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति शान्ति ।

श्री पोकर साहेब: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार के समक्ष कोई ऐसी व्यवस्था है जिस के द्वारा इन नल-कूपों के गलाये जाने से पहले भूनिम्न जल की उपलब्धि का पता चलाया जा सके ?

श्री करमरकर: मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

भारतीय औषधि संस्था

*६५६. **श्री वैलायुधन:** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) अखिल भारतीय औषधि संस्था कब कार्य आरम्भ करेगी; तथा

(ख) औषधि विज्ञान के सम्बन्ध में इस संस्था के क्षेत्राधिकार क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) चूंकि बहुत कुछ योजना सम्बन्धी काम करना पड़ रहा है अतः ठीक दिनांक नहीं बताया जा सकता । यदि संभव हो सका तो अगस्त, १९५३ से मैडिकल कालिज खोलने और चलाने का प्रयत्न किया जायेगा, और यह कालिज अखिल भारतीय औषधि संस्था का एक भाग होगा ।

(ख) औषधिविज्ञान की सभी शाखाओं में तत्सम्बन्धी शिक्षा एवं अनुसंधान कार्य के लिये उक्त संस्था उच्चतम क्रम की सुविधायें उपलब्ध करेगी । यह संस्था स्नात्कोत्तर अध्ययन तथा अनुसन्धान का केन्द्र होगी, और इस में अवर-स्नातकों के लिये एक मैडिकल कालिज तथा एक दन्तविज्ञान कालिज सम्मिलित होंगे ।

श्री वैलायुधन: इस संस्था के बनने पर इस में कितने विद्यार्थी पढ़ाये जा सकेंगे ? क्या सरकार ने इस के सम्बन्ध में कुछ योजनायें तैयार की हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर: मैं यह नहीं समझ पा रही कि माननीय सदस्य पूर्व स्नातक कालिज अथवा स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम की ओर निर्देश कर रहे हैं ।

श्री वैलायुधन: दोनों ।

राजकुमारी अमृत कौर: अवर-स्नातक कालिज का तो छोटा सा अस्तित्व होगा । मुझे ज्ञात नहीं कि योजना समिति कितने विद्यार्थियों की सिफारिश करेगी, किन्तु मैं

समझती हूं कि भारत भर से लगभग एक सौ विद्यार्थी बुलाये जायेंगे । यहां तो स्नातकोत्तर अध्ययन क्रम का प्रश्न है, उस में उतने ही विद्यार्थी रहेंगे, जितने की आवश्यकता होगी ।

श्री वैलायुधन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री इस संस्था का सारा व्यय अपने मंत्रालय से ही पूरा करवायेंगे ?

राजकुमारी अमृत कौर : वर्तमान प्रस्थापना में १,६६,३३००० रुपये अनावर्तक और २९,५०,००० रुपये आवर्तक व्यय अन्तर्ग्रस्त हैं ।

श्री मेघनाद साहा : माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संस्था के प्राध्यापक पूरे समय के पदाधिकारी होंगे अथवा उन्हें निजी चिकित्सा-कार्य करने की आज्ञा दी जायेगी ?

राजकुमारी अमृत कौर : मैं बतला चुकी हूं कि योजनायें बनाने तथा सिफारिशें करने के लिये एक उच्च अधिकार वाली समिति नियुक्त की जा चुकी हैं । मेरा विश्वास है कि यह अधिकारी निश्चय ही पूरे समय के पदाधिकारी होंगे और उन्हें निजी चिकित्सा-कार्य करने की आज्ञा नहीं दी जायेगी ।

श्री एन० एस० नायर : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस संस्था से इस बात की आशा की जायेगी कि यह आयुर्वेदिक औषधि चिकित्सा प्रणाली का पुर्नवीकरण तथा आधुनीकरण करने का कार्य करेगी ?

राजकुमारी अमृत कौर : श्रीमान्, अनुसन्धान विभाग में हम वह काम करने का भी प्रयत्न करेंगे ।

श्री नम्बियार : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि आयुर्वेदिक प्रणाली के विकास के सम्बन्ध में मद्रास के विद्यार्थियों ने जो आपत्तियां पेश की हैं उन के दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि इस प्रश्न से इस बात का कोई सम्बन्ध है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि एलोपैथिक प्रणाली के मुकाबले में स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली के स्नातकों का स्तर तथा उनकी वेतन-श्रेणी क्या होंगे ?

राजकुमारी अमृत कौर : मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही कि इस प्रश्न से यह बात कैसे उत्पन्न होती है ।

श्री गणपति राम : क्या आल इंडिया मैडिकल बोर्ड (अखिल भारतीय चिकित्सकीय पर्षद्) की ओर से उत्तर प्रदेश में भी कोई ऐसी स्कीम चालू होने वाली है और उस पर कितना रुपया खर्च होने वाला है ?

राजकुमारी अमृत कौर : हमारा ताल्लुक तो उत्तर प्रदेश से है नहीं ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं उच्च अधिकार वाली उस समिति के जो स्थापित की जा चुकी है, सदस्यों के नाम ज्ञात कर सकता हूं ?

राजकुमारी अमृत कौर : उक्त समिति के सभापति डा० लक्ष्मणस्वामी मुदालियार हैं । अन्य चार सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं : डा० जीवराज मेहता, डा० वी० आर० खानोलकर, पटना मैडिकल कालिज के औषधि के भूतपूर्व प्राध्यापक डा० डी० एन० बनर्जी, और कलकत्ता मैडिकल कालिज के प्रिन्सिपल डा० डी० सी० चक्रवर्ती । डा० राजा सदस्य सचिव होंगे । इस समिति को विनियुक्त करने का भी अधिकार है ।

ऋतुसम्बन्धी भविष्यवाणियां

*६५७. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग ने अधिक अन्न उपजाने में भारत की कृषक जनसंख्या की कहां तक सहायता की ; तथा

(ख) दूर दूर के गावों में रहने वाले कृषकों तक ऋतुसम्बन्धी भविष्यवाणी की रिपोर्टें पहुंचाने के साधन क्या हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग ने अधिक अन्न उपजाने में भारत की कृषक जनसंख्या की कहां तक सेवा की, इस की कोई भी ठीक ठीक सीमा बताना संभव नहीं है । हां तो किसान को सहायता पहुंचाने के अनेक साधन हैं, जिन से उस के दैनिक काम तथा दीर्घकालीन उपाय के रूप में सुधार की बातों की सहायता पहुंचाई जाती है। उदाहरण के लिये कृषक के दैनिक काम में दी जाने वाली सहायता को लीजिये ; उक्त विभाग प्रति दिन कृषकों की सूचना के लिये एक ऋतुसम्बधी बुलेटिन जारी करता है जिस में मौसम का हाल तथा विशेषतया फसलों पर उसका प्रभाव बतलाए गये होते हैं। और दीर्घकालीन उपायों में ऋतु तथा फसलों के बीच के सम्बन्ध पर विमर्ष किया गया होता है। इस बाद की सूचना से यही आशा की जाती है कि कृषकों को ऐसी सूचना मिले जिस से उन्हें कृषि-सम्बन्धी प्रणालियों के सुधार में सहायता मिल सके।

(ख) कृषकों के लिये ऋतु सम्बन्धी सूचना-पत्र आल इण्डिया रेडियो के सभी स्टेशनों से उन की अपनी अपनी प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारित किया जाता है। ये बुलेटिन उन समाचारपत्रों को भी निःशुल्क भेजे जाते हैं जो नियमित रूप से इन्हें प्रकाशित करते हैं। इस सूचना का कृषकों में और भी फैल जाना ग्राम्य क्षेत्रों की अन्य संस्थाओं तथा उन में प्राप्त सुविधाओं पर निर्भर करता है। यह तो राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है, और यह मामला उन के ध्यान में लाया जा चुका है।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मंत्री हमें यह सूचना देंगे कि क्या कृषि-अनुसन्धान सम्राजीय परिषद् की उस सिफारिश पर कि कृषि-अन्तरिक्षविज्ञान भाग ही ऋतुवृत्त योजना को संभालेगा तथा इस पर कार्य आरम्भ करेगा, विचार तथा कार्य आरम्भ किया गया है ?

श्री राज बहादुर : मुझे शंका है कि मैं इस समय यह सूचना नहीं दे सकता ; मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री एस० सी० सामन्त : केन्द्रीय कृषि तथा अन्तरिक्षविज्ञान निरीक्षणालय में कितने अनुसन्धान करने वालों को प्रशिक्षित किया गया है ?

श्री राज बहादुर : मैं तो बिल्कुल नहीं समझता कि यह प्रश्न कैसे उत्पन्न हुआ ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या देश भर के अथवा प्रादेशिक आधार पर कृषकों को मौसम का हाल तथा भविष्यवाणी बताई जाती हैं ? किस रूप में यह सूचना दी जाती है ?

श्री राज बहादुर : कृषकों के लिये दैनिक ऋतुसम्बन्धी भविष्यवाणी आल इण्डिया रेडियो द्वारा प्रसारित होती है, और यह रिपोर्टें समाचारपत्रों में भी प्रकाशित होती हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : ये भविष्य-वाणियां अनेक निरीक्षणालयों से अथवा किसी एक ही निरीक्षणालय से होती रहती हैं ?

श्री राज बहादुर : प्रादेशिक निरीक्षणा-लय सूचना भेज देते हैं, और मुख्य निरीक्षणालय में इन सूचनाओं का समन्वय होता है । उस के बाद ही इन्हें प्रसारित एंव प्रकाशित किया जाता है ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या इन भविष्यवाणियों की शुद्धता की जाँच के सम्बन्ध में कोई प्रयत्न किया गया है ?

श्री राज बहादुर : यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका था, अतः मैं माननीय सदस्य को मेरे द्वारा पहले दिये गये उस उत्तर की ओर निर्देश करूंगा ।

श्री बेली राम दास : क्या यह तथ्य है कि कृषक इन ऋतुसम्बन्धी भविष्यवाणियों से लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि गांवों में कोई रेडियो नहीं हैं ?

श्री राज बहादुर : गांवों में समुदायों के लिये रेडियो दिये गये हैं, और बहुत से कृषक उन से प्रसारित होने वाली भविष्यवाणी से लाभ उठाते हैं ।

श्री गणपति राम : क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ऋतु-विज्ञान विभाग (मैट्रोलोजिकल डिपार्टमेंट) कब से खुला और उस की प्रति वर्ष क्या उन्नति हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक सर्व-सामान्य प्रश्न है अतः इसका उत्तर आवश्यक नहीं ।

श्री के० के० बसु : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या आल इण्डिया रेडियो के माध्यम के अतिरिक्त भारत में किसी भी जगह कोई ऐसी व्यवस्था है जिस से किसानों को यह भविष्यवाणियां सुनने को मिलती हों ?

श्री राज बहादुर : यह तो मूलतः राज्य सरकारों द्वारा देखे जाने की चीज़ है । हम विविध प्रदेशों में ऋतुसम्बन्धी भविष्यवाणी का प्रचार ही तो कर सकते हैं ।

श्री सारंगधर दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि माननीय मंत्री के पास इस बात की सूचना है कि क्या प्रत्येक गांव में समुदाय के हित रेडियो सेट पहुंचाने गये हैं, तथा केन्द्रीय सरकार अथवा प्रांतीय सरकार द्वारा इन सेटों का वितरण होना चाहिये ?

श्री राज बहादुर : इस प्रश्न का सम्बन्ध सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय से है । मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि देश भर में समुदाय हित के कुल लगभग ३८४७ रेडियो सेट हैं ।

मत्स्य-ग्रहण उद्योग

*६५८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने सुन्दर बन के मुहाने के पास के क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिये आस्ट्रेलिया से अल्प-शक्ति जलयानों की याचना की है;

(ख) यदि हां, तो कब और कितने जलयान पहुंचने के संभावना है; तथा

(ग) पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने की समस्यायें कहां तक कोलम्बो योजना से हल हो सकेंगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) :

(क) जी हां ।

(ख) उक्त सरकार की प्रार्थना विचाराधीन है।

(ग) इस समय ऐसी कोई भी योजना नहीं कि कोलम्बो योजना के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिये सहायता प्राप्त की जाय, किन्तु इस प्रश्न की छानबीन की जायेगी।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था की है जिस से भारतीय जलक्षेत्रों में मशीन से चलने वाले (जल-विद्युत) पोतों द्वारा पकड़ी गई मछलियों के आंकड़ों का संग्रह एवं प्रकाशन हो सके ?

श्री करमरकर : यह प्रश्न भारतीय जल-क्षेत्रों की ओर निर्देश करता है जब कि मूल प्रश्न केवल पश्चिमी बंगाल से सम्बद्ध था।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि वह बंगाल के तट की ओर निर्देश कर रहे हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : जी हां, श्रीमान्।

श्री करमरकर : बंगाल के सम्बन्ध में मैं उन्हें बताऊं कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने हम से प्रार्थना की थी कि आवश्यक उपकरणों सहित चार मत्स्य-ग्राहक पोत प्राप्त किये जायें। इस के अतिरिक्त उस ने यह भी प्रार्थना की है कि जाल, पनसुई, आदि सहित तीन मन्स्य-ग्राहक पोत भी प्राप्त किये जायें। इस बीच उस ने कई एक पोत प्राप्त किये हैं, और अब अन्य मांगों के सम्बन्ध में विचार हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में उन का प्रश्न यह था : इन क्षेत्रों में पकड़ी गई मछलियों के समंक लिखने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री करमरकर : इस समय मैं कुछ भी नहीं बता सकता।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या अन्तदेशीय जलक्षेत्रों में भी ये अल्प-शक्ति पोत काम में लाये जा सकते हैं ?

श्री करमरकर : मैं देख के बताऊंगा।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि पश्चमी बंगाल के तट पर सामुद्रिक मत्स्य-ग्रहण उद्योग की क्या प्रगति है, और क्या इसका कोई ब्यौरा भी तैयार किया गया है?

श्री करमरकर : मिदनापुर जिला तथा २४-परगने के दक्षिण में कुल ४०० वर्ग मील पर फैले हुए जो प्रादेशिक तटीय जलक्षेत्र हैं वह तटसमीपस्थ जलक्षेत्र होने के कारण मछली पकड़ने के उद्योग के लिये उपयुक्त हैं, और इन में से लगभग १५० वर्ग मील क्षेत्र में वर्ष के कुछ भागों में स्वदेशी पद्धति से प्रायः स्थानीय मछेरों और अंशतः राज्य के अन्य भागों से आये हुए मछेरों द्वारा मछलियां पकड़ी जाती हैं, और वह प्रति वर्ष १,८०० टन मछली पकड़ते हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं ज्ञात कर सकती हूं कि इन अल्प-शक्ति मन्स्य ग्राहक पोतों का दाम क्या होगा ?

श्री करमरकर : मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं ज्ञात कर सकती हूं कि क्या इन क्षेत्रों के संकटग्रस्थ शरणार्थी मछेरों को ऋण पर जलयान दिलाये जाने की कोई योजना है ? यह

लोग पूर्वी बंगाल के हैं, और मैं जानना चाहती हूं कि क्या इन्हें ऋण अथवा किसी अन्य आधार पर यह पोत दिये जायेंगे ।

श्री करमरकर : मुझे इस की सूचना प्राप्त करनी पड़ेगी ।

डा० एम० एम० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि भारत में मीन-क्षेत्रों के विकास के लिये संयुक्त राज्य अमरीका ने कोई आर्थिक सहायता देने का वचन दिया है, और यदि दिया है तो क्या इस हेतु के लिये उस धन को उपयोग में लाने की कोई योजना बनाई गई है ?

श्री करमरकर : भारत में मीन-क्षेत्रों के विकास के लिये दी गई ठीक धनराशि के सम्बन्ध में कुछ सूचना देने के लिये मुझे पूर्वसूचना दी जानी चाहिये, किन्तु ऐसी धारणा है कि इस काम के लिये अमरीका से कुछ आर्थिक सहायता का प्राप्त करना सम्भव हो सकता है ।

डा० पी० एस० देशमुख : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि मीन-व्यापार में कितनी कार्य-कुशलता प्राप्त की जा चुकी है

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अब हम अगले प्रश्न पर विचार करेंगे ।

रेल कर्मचारियों के मूल वेतनों में मंहगाई भत्ते का विलयन

*६५९. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेल कर्मचारियों के मूल वेतन में उनके महंगाई भत्ते के विलयन के प्रश्न पर विचार करने वाली समिति स्थापित की गई है

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के कौन कौन सदस्य है तथा कब तक उन की सिफारिशें प्राप्त होने की आशा है ; तथा

(ग) निर्देश पद क्या है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) अभी वह समिति नियुक्त नहीं की गई है ।

(ख) और (ग). यह प्रश्न पैदा ही नहीं होते ।

श्री ऐस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सन् १९४९-५० में स्थापित संयुक्त परामर्शदात्री समिति ने इस विषय पर कोई सिफारिशें की ?

श्री० एल० बी० शास्त्री : मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि रेल कर्मचारियों को अनाज की रियायत दिये जाने के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष कितना घाटा उठाना पड़ता है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : अब जो समिति स्थापित की जा रही है, वह उस मामले पर विचार नहीं करेगी जिस की ओर माननीय सदस्य ने अभी अभी निर्देश किया है किन्तु मैं इतना कहूंगा कि इस प्रश्न पर पहले ही विचार किया जा चुका है, और यह निश्चय किया गया है कि उचित सीमा में महंगाई भत्ते का कुछ अंश रेल कर्मचारियों के बुनियादी वेतन में विलीन किया जाना चाहिये ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि भूतपूर्व राज्यों के रेल कर्मचारियों को किस दर से महंगाई भत्ता दिया जाता है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : प्रायः एक ही प्रकार की दरें लागू होती हैं ।

श्री नम्बियार : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि भारत सरकार ने रेल कर्मचारियों के इस प्रतिनिधान को कि उनके बुनियादी वेतन में न केवल मंहगाई भत्ते का एक अंश विलीन किया जाय बल्कि केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर जीवन व्यय देशनांक के अनुसार महंगाई भत्ते में पर्याप्त अंश में वृद्धि की जाय स्वीकार करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह काफ़ी विस्तृत प्रश्न है ।

श्री नम्बियार : जी नहीं श्रीमान् । मैं महंगाई भत्ते में पर्याप्त रूप से वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह उत्तर दे सकते हैं ?

एक माननीय सदस्य : मैं नहीं समझता कि वह उस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या आजकल भी सरकारी रेल कर्मचारियों और भूतपूर्व राज्यों के रेल कर्मचारियों को कम दामों पर अनाज दिये जाने के रूप में दी जाने वाली रियायत में कुछ अन्तर है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : हो सकता है कि कहीं कोई अन्तर हो किन्तु हम भूतपूर्व राज्यों के रेल कर्मचारियों तथा वर्तमान रेल कर्मचारियों पर एक ही प्रकार के सिद्धान्त लागू करना चाहते हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार अभी इस काम को करेगी अथवा यह मामला समिति के समक्ष निर्दिष्ट होगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : रेल विभाग द्वारा इस मामले पर विचार होगा । रहा महंगाई भत्ते के एक अंश का मूल वेतन के साथ विलीन किये जाने का प्रश्न, इस पर उक्त समिति द्वारा विचार होगा ।

जुमा कृषि

*६६०. **डा० एम० एम० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत के किन किन भागों अथवा राज्यों में 'स्थानान्तर' अथवा 'जुमा' कृषि की जाती है ;

(ख) कौन सी जन-जातियां इस प्रकार की कृषि करती है ;

(ग) प्रति वर्ष अवसतन कितने एकड़ भूमि में 'जुमा' काश्त की जाती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

ईरान के साथ वायु यातायात करार

*६६१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत तथा ईरान के बीच वायु यातायात सेवाओं की कोई व्यवस्था है ;

(ख) यदि है तो क्या यह व्यवस्था स्थायी है ; और

(ग) यदि ऊपर के (ख) भाग का उत्तर 'नहीं' में है तो क्या भारत सरकार ईरानी सरकार के साथ कोई स्थाई वायु यातायात करार करना चाहती है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजु बहादुर). (क) जी हां, श्रीमान्

(ख) और (ग) . वर्तमान व्यवस्था अस्थाई है किन्तु ७ मई १९५२ को तेहरान में भारत सरकार तथा ईरान सरकार के प्रतिनिधियों के बीच स्थायी वायु यातायात करार का मसौदा लिखा गया

है। यह मसौदा तत्सम्बन्धी सरकारों के पास स्वीकृति के लिये भेजा जा चुका है। इस स्वीकृति के बाद, इस करार पर हस्ताक्षर किये जायेंगे।

डा० राम सुभग सिंह : भारत और ईरान के बीच कौनसी हवाई कम्पनी के जहाज़ चलते हैं ?

श्री राज बहादुर : हिमालयन एयरवेज़।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि किस मार्ग पर यह कम्पनी वायुयान चलाया करती है ?

श्री राज बहादुर : अहमदाबाद-कराची-ज़ाहिदान-कन्धार-काबुल।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह तथ्य है कि ईरानियन एयरवेज़ को उस पाकिस्तानी क्षेत्र के ऊपर से जो भारतीय एयरवेज के लिये निषिद्ध है, विमान चलाने की आज्ञा दी गई है ?

श्री राज बहादुर : ईरानियन एयरवेज़ का मार्ग इस प्रकार है : तेहरान–इस्फहान-यज्द–फ़िरमान-ज़ाहिदान-कराची-बम्बई। न्यूनाधिक रूप में यह वही मार्ग है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इस बात को दृष्टि में रखते हुए क्या भारत सरकार इस तथ्य की ओर अंतर्राष्ट्रीय असैनिक नभश्चरण संस्था का ध्यान आकर्षित करना चाहती है ?

श्री राज बहादुर : वह तो पहले ही किया जा चुका है।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस संस्था द्वारा इस विषय में कोई कार्यवाही की जा चुकी है ?

श्री राज बहादुर : हमारी आशा है कि शीघ्र ही यह बात उन के सामने आयेगी।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या हाल में ही पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान में हवाई मार्ग को बदलने के सम्बन्ध में भारत सरकार को कोई सुझाव दिया है ?

श्री राज बहादुर : इस के सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग

*६६२. **श्री ए० सी० गुहा :** क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार पश्चिमी बंगाल की कुछ सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में मान्यता दे कर अपने निरीक्षण में ले चुकी है अथवा लेना चाहती है ; तथा

(ख) यदि हां, तो वे कौन सी सड़कें हैं, उन की लम्बाई कितनी है और कब तक उन के पूरा किये जाने की संभावना है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) तथा (ख) . जी हां। केन्द्रीय सरकार ने अप्रैल सन् १९४७ में कई अस्थाई राष्ट्रीय राजमार्गों का वित्तीय दायित्व लिया था। एक विवरण जिस में इन सड़कों की लम्बाई दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९]

जिन स्थानों पर सड़कें नहीं हैं अथवा पुल नहीं है, जिन की आवश्यकता इन सड़कों के लिये रहेगी, वह सात से दस वर्ष तक में पूरे किये जायेंगे, ऐसी आशा है।

श्री ए० सी० गुहा : विवरण से मुझे पता चलता है कि इस में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या २ है। क्या ऐसी कोई शिकायत की गई है कि कलकत्ता पहुंचते हुए यह सड़क २० मील तक बहुत ही तंग

है ? क्या बंगाल सरकार ने इस सड़क को चौड़ा करने के लिये कोई प्रतिनिधान किया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मेरे पास कोई सूचना नहीं है ; किन्तु मैं इस मामले की छानबीन करने के लिये तैयार हूं ।

श्री ए० सी० गुहा : माननीय मंत्री ने बतलाया कि सन् १९४७ में यह योजना बनाई गई थी । क्या शरणार्थियों के बृहद् संकेन्द्रीकरण और पश्चिमी बंगाल के बटवारे को दृष्टि में रखते हुए तब से इस योजना में कोई रूपभेद हुआ है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : राज्य सरकारों से परामर्श किये जाने के साथ ही साथ इन सड़कों के देखाकरण का परिमाप हो रहा हैं और इन को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या नागपुर सम्मेलन में बनायी गई मूल योजना में कोई परिवर्तन किया गया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे विदित नहीं ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार के समक्ष पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल में सड़कों के विकास एवं सुधार के लिए कोइ विशेष योजना है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी हां, सरकार के पास इस प्रकार की योजना है ।

श्री ए० सी० गुहा : वह योजना क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह योजना की ओर निर्देश करें ।

श्री नानादास : क्या सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण किये जाने की कोई प्रस्थापना है ?

श्री के० के० बसु : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस सड़क के लिये भूमि-अर्जन के परिणामस्वरूप हुई क्षतिपूर्ति के सभी मामले निपटाये जा चुके हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि में से पश्चिमी बंगाल सरकार को कितना अंशदान दिया है, और क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले अंशदान में कुछ कमी हुई है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

अनाज की आरोपण समाहार पद्धति

*६६३. **श्री एस० एन० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां अनाज की आरोपण समाहार पद्धति लागू की गई है ;

(ख) क्या अखिल भारतीय स्तर पर इस पद्धति के कार्य की चर्चा तथा जांच की गई है ; तथा

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा करने की कोई प्रस्थापना है ।

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) विहार, बम्बई, मद्रास, मध्यप्रदेश, हैदराबाद, काश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावनकोर-कोचीन, भोपाल, विन्ध्य प्रदेश तथा आसाम (पाकिस्तान की सीमा पर के स्थानों में) में कृषकों अथवा व्यापारियों से आरोपण द्वारा अनाज का समाहार किया जाता है ।

(ख) निरन्तर रूप से केन्द्र द्वारा प्रत्येक राज्य में समाहार की प्रगति की निगरानी की जाती है। विविध राज्यों में चालू समाहार की पद्धति की जांच-पड़ताल विस्तृत रूप से एक समिति द्वारा की गई थी, जो भारत सरकार ने सन् १९५० में स्थापित की थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सभी राज्यों में आरोपण द्वारा समाहार की पद्धति एक-रूपी है ?

श्री करमरकर : विविध राज्यों में भिन्न भिन्न पद्धतियां हैं।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन सभी राज्यों में एकाधिकार क्रम द्वारा समाहार की पद्धति चालू है ?

श्री करमरकर : श्रीमान्, कुछ एक राज्यों में है।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जा चुका है कि कई राज्यों में आरोपण द्वारा समाहार करने की पद्धति बहुत बुरी तरह से चलाई जा रही है, और इस पद्धति में कृषकों को बहुत कठिनाइयां आ रही हैं ?

श्री करमरकर : जी नहीं, श्रीमान्।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि राज्यों की धान कूटने की मशीनों को चावल क्रय करने के लिये नियुक्त किया गया है, और वह सरकार को चावल दिया करते हैं ?

श्री करमरकर : जी हां। मुझे पता चला है कि कई राज्यों में धान कूटने की मशीनों के मालिकों ने सरकार के लिये इसी लिये चावल खरीद किया है क्योंकि ऐसा करना सुविधाजनक है। वह अनेक कृषकों से चावल इकट्ठा करते हैं, और सरकार को चावल दिया करते हैं।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या उन राज्यों की सरकारें भी खुले बाज़ार में चावल खरीदती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि राज्य सरकारों की व्यवस्था तथा प्रशासन के विवरण के सम्बन्ध में स्थानीय विधानों में उचित रूप से यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

श्री वीरस्वामी : मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार सभी राज्यों में मद्रास की तरह अनाज का विनियंत्रण करने जा रही है ?

श्री करमरकर : स्पष्ट रूप से इस प्रश्न के लिये पूर्वसूचना चाहिये।

श्री पोकर साहब : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार ने मद्रास राज्य में अनाज को अपनियंत्रित करने का निश्चय किया है, और यदि किया है तो क्या इस बात के अनपेक्ष भी उस राज्य के अतिरिक्त उपज वाले क्षेत्रों में आरोपण द्वारा समाहार करने की पद्धति चालू है ?

श्री करमरकर : इस प्रश्न के लिये भी पूर्वसूचना चाहिये।

श्री दामोदर मेनन : क्या सरकार की यही नीति है कि सारे भारत में समाहार की एकरूपी पद्धति लागू की जाय ?

श्री करमरकर: जी नहीं श्रीमान्, यह नीति नहीं है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार यह बदलती रहेगी।

खाद्यान्नों के समाहार मूल्य

*६६४. **श्री ऐस० एन० दास:** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न अनाजों के क्या समाहार मूल्य निश्चित किये गये हैं ?

(ख) क्या ये दाम घटाए बढ़ाए गये हैं या इस वर्ष भी ये विगत वर्ष जितने थे ?

(ग) विभिन्न राज्यों ने इस विषय में क्या सिफारिशें कीं अथवा क्या सुझाव रखे ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) एक विवरण जिस में ये बातें दी गई हैं सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६**]

(ख) जम्मू व काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के, जिन्होंने स्वयं ही कम दाम निर्धारित किये हैं, रबी फसलों के समाहार मूल्य इस वर्ष भी उतने ही हैं जितने विगत वर्ष थे। कुछ एक राज्यों में खरीफ फ़सलों के समाहार दामों में परिवर्त्तन किया गया।

(ग) कई राज्य सरकारों ने यह सुझाव दिये थे कि विगत वर्ष की अपेक्षा दामों में थोड़ी सी वृद्धि की जाय, और जहां के लिए ऐसी बात उचित जंची वहां हमने उनको पूरी तरह से अथवा घटे दामों पर स्वीकार किया, प्रायः पिछले वर्षों के ही स्तर पर दाम निर्धारित किये गये थे।

श्री एस० एन० दास: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि कई राज्यों ने बृद्धि करने का सुझाव दिया था और सरकार ने उनकी यह प्रस्थापना अस्वीकार की थी ?

श्री करमरकर: जी हां, श्रीमान्।

श्री एस० एन० दास: क्या मैं उन राज्यों के नाम ज्ञात कर सकता हूं ?

श्री करमरकर: मैं पता लगा कर बता सकता हूं।

श्री एस० एन० दास: उन राज्यों में समाहार मूल्यों तथा विक्रय मूल्य में कितना अन्तर है ?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न बार बार पूछा गया है। विविध राज्यों में भिन्न भिन्न अन्तर होगा।

श्री एस० एन० दास: इस बात की पूछ ताछ करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी कि पश्चिमी बंगाल सरकार में समाहार मूल्य तथा विक्रय मूल्य के बीच बहुत बड़ा अन्तर क्यों रहा। मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार ने कुछ निश्चय किया है ?

श्री करमरकर: केवल पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में ?

श्री एस० एन० दास: जी हां।

श्री करमरकर: मेरे पास कोई सूचना नहीं।

डा० पी० एस० देशमुख: क्या यह तथ्य है कि समाहार मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि होने से मध्य प्रदेश में अनाज के समाहार में आशा से बहुत अधिक वृद्धि रही है ?

श्री करमरकर: मध्य प्रदेश में हमें, बहुत आसानी से, अधिक अथवा कम दाम पर अनाज मिल जाता है।

मिलो

*६६५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या संगृहीत मिलो के दामों में अभी हाल में कोई कमी की गई है; तथा

(ख) यदि हां, तो मिलो के घटाये गये दाम क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). जी हां, बौरियों में बन्द पोतघाट केन्द्रीय स्टोरेज डिपोज़ तक पहुंचाये गये मिलो के घटाये गये दाम १३ रुपये प्रति मन हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि मिलो का दाम कम करने के लिये सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई है ?

श्री करमरकर : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर : प्रश्न ६६६ ।

सेठ गोविन्द दास : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नम्बर ६६६, ६६७ और ६६९ एक ही विषय से सम्बन्ध रखते हैं । इसलिये इनको एक साथ ही ले लिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : कौन से क्रमांक ?

सेठ गोविन्द दास : नम्बर ६६६, ६६७ और ६६९ ।

डा० पी० एस० देशमुख : बहुत आइली हो जायेगा, साहब ।

अध्यक्ष महोदय : क्या इन सभी को एक साथ लिया जा सकता है ?

श्री करमरकर : मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न ६६६, ६६७ और ६६९ प्रस्तुत किये जाते हैं ।

बनस्पति (रंग)

*६६६. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि पिछले पांच वर्षों में किसी भी समय सरकार ने बनस्पति घी में मिलाये जाने के हेतु उचित रंगों के नमूनों और क्रियाविधियों की मांग की थी ?

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस प्रकार के कितने नमूने तथा क्रियाविधियां प्राप्त हुई थीं ?

(ग) क्या उन में से किसी को स्वीकार किया गया था ?

(घ) यदि हां, तो उस के आविष्कारक प्रेषक को क्या पुरस्कार मिला था ?

(ङ) इस कार्य को छोड़ देने का मुख्य कारण क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ) तक . ये प्रश्न नहीं उठते ।

बनस्पति घी

*६६७. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वनस्पति घी को रंगने का प्रश्न कैसे उठा ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : वनस्पति के साथ घी तथा अन्य उपोत्पादों की मात्रा की मिलावट की जांच, तथा बनस्पति के साथ की मिलावट को कम करने अथवा हटाने के उपायों का सुझाव देने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त उस समिति का यह सुझाव है कि बनस्पति के तिलों के तेल से गुप्त रूप से रंगने के अतिरिक्त गाजर के सिमटे तेल से नारंगी रंग में रंगा जाय । रंगने

तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में उक्त समिति की सिफारिशें भारत सरकार के विचाराधीन हैं।

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। वह माननीय सदस्य जिन के नाम में प्रश्न संख्या ६६९ है, सदन में उपस्थित नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपा कर के इस बात की तसल्ली करें।

बनस्पति

*६६९. **पंडित एम० बी० भार्गव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी समिति नियुक्त की है, जो उन साधनों की पूछताछ करे जिनके द्वारा कोई भी उपभोक्ता जमाये तेल तथा शुद्ध घी के बीच का अन्तर जान सकें तथा शुद्ध घी के साथ इस तेल की मिलावट को रोक सकें ;

(ख) यदि हां तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, और उस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) शुद्ध घी के साथ बनस्पति तेल अथवा अन्य पदार्थ की मिलावट को रोकने के लिये इस तेल को रंगने के सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या पग उठाये हैं, अथवा क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। उक्त समिति ने १३ मई, १९५२ को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:—

(१) गाजर के सिमटे तेल को रंग के रूप में प्रयोग कर के देश भर का वनस्पति का उत्पादन रंगा जाना चाहिये ;

(२) वनस्पति के साथ रासायनिक विटामिन 'ए' मिलाया जाना चाहिये ताकि इसकी पोषण-शक्ति बढ़ सके ;

(३) इस समय भारत में गाजर के सिमटे तेल का उत्पादन नहीं होता ; इस समय विदेशों से इस तेल का आयात करना होगा किन्तु अभी से यह प्रयत्न होना चाहिये कि देश में ही इस का उत्पादन विकसित हो सके ताकि धीरे-धीरे इस तेल का आयात बन्द हो ; और

(४) वनस्पति के उत्पादन का नियंत्रण इस प्रकार होना चाहिये कि कारखाने से बाहर निकाले जाने से पहले इस में तिलों के तेल की अपेक्षित मात्रा रहे जिससे बाउडोयन प्रयोग में कोई कठिनाई न हो।

(ग) उक्त समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। यों तो भारत सरकार ने वेजिटेबिल आइल प्रोडक्ट्स कन्ट्रोल आर्डर (वनस्पति तेल, आदि पदार्थ सम्बन्धी नियंत्रण आदेश) के अन्तर्गत वनस्पति के साथ घी के सम्मिश्रण को रोकने के लिये निम्नलिखित पग उठाये हैं:—

(१) केन्द्रीय सरकार द्वारा बताये गये विशेष प्रकार के गुणों के अनुसार बनस्पति का निर्माण होगा, और इस में कम से कम ५ प्रतिशत कच्ची घानी का अथवा शुद्ध किया गया तिलों का तेल मिला हो ताकि वनस्पति तेल उत्पाद और शुद्ध किये गये मूंगफली के तेल को जब २०:८० के अनुपात में मिलाया जाय तो बाउडोयन प्रयोग द्वारा उत्पादित लाल रंग लोविबांण्ड स्तर पर

१ सी० सी० सैल में २० लाल इकाइयों से कम नहीं हो जाय ;

(२) बनस्पति में घी का रंग अथवा गन्ध नहीं होनी चाहिये, ताकि कोई भी खरीदार देख कर और सूंघ कर इस को पहचान सके ;

(३) इस उत्पाद को विशेष प्रकार से बन्द किया जाना चाहिये, और ऊपर परची चिपकाई जानी चाहिये ताकि कोई भी ग्राहक पहली दृष्टी में समझ सके कि यह घी नहीं हैं ;

(४) जिस क्षेत्र में घी का गोदाम हो या जहां घी बेचा जाता हो, वहां बनस्पति को नहीं रखा जाना चाहिये , न तो बेचा जाना चाहिये ; और

(५) बनस्पति बेचने वाले को बाहर एक साइन बोर्ड लगाना चाहिये जिस पर यह लिखा हो कि उस की दुकान पर बनस्पति बेची जाती है ।

ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर : रंग देने के बारे में सरकार की आखिरी राय क्या है ?

श्री करमरकर: सरकार आखिरी राय बना रही है ।

अध्यक्ष महोदय : अभी सरकार किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है ।

श्री करमरकर : श्रीमान्, यह अभी विचाराधीन है ।

पंडित एम० बी० भार्गव : क्या यह तथ्य है कि सरकार ने बार बार इस बात का अश्वासन दिया था कि इस विषय पर शीघ्र ही निश्चय घोषित किया जायेगा और यदि हां, तो क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्यों इस में एक वर्ष से अधिक समय लगा है ?

श्री करमरकर : माननीय सदस्य को भी ज्ञात होगा कि सरकार इस विषय में बहुत ही चिन्तित रही है । किन्तु कठिनाई इस बात की है कि अभी उचित रंग नहीं मिल रहा है । कई रंग हैं जो स्वास्थ्य के लिये हानिकर हैं । अतः बनस्पति को उन रंगों के साथ नहीं मिलाया जा सकता । कुछ अन्य रंग ऐसे हैं जो स्वास्थ्य के लिये हानिकर नहीं हैं किन्तु वे देखने में अच्छे नहीं हैं । अब रहा गाजर के तेल का सम्मिश्रण : इसके आयात पर प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये विदेशों को देने पड़ते हैं । हम शशोपञ्ज में हैं और शीघ्र ही, जब भी कोई उपाय दीख पड़े, इस बात का निश्चय करेंगे ।

पंडित एम० बी० भार्गव : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या किसी रासायनिक विधि से बनस्पति में मिलाया जाने वाला यह रंग उतारा भी जा सकता है ? इस विषय में उक्त समिति ने क्या सिफारिश की है ?

श्री करमरकर : समिति ने क्या सिफारिशें की हैं, इस विषय में मैं पूर्वसूचना चाहता हूं । किन्तु वह भी एक कठिनाई है । कई ऐसे भी रंग हैं जो गरम किये जाने पर उड़ जाते हैं । जहां तक पीले रंग का प्रश्न है, इस का घी के रंग से अलग किया जाना भी एक समस्या है । इस में बहुत कठिनाइयां हैं ।

श्री ए० एम० टामस : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या समिति ने यह रिपोर्ट की है कि वर्तमान विधि से तैयार किया जाने वाला बनस्पति स्वास्थ्य के लिये हानिकर है ?

श्री करमरकर : इस विषय में सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि बनस्पति स्वास्थ्य के लिये हानिकर नहीं है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि देश का अधिकांश मत इस बात के पक्ष में है कि रंग देने से कोई फायदा न होने के सबब से इस वनस्पति का जमाना ही बन्द कर देना चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । इसका उतर दिया जाना आवश्यक नहीं यह सूचना का प्रश्न नही है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : माननीय मंत्री ने बतलाया कि वह रंगों की पसन्द के सम्बन्ध में अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच हैं । मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या बनस्पति को बिना रंग का नहीं बनाया जा सकता—क्या रंग के बिना बनस्पति का निर्माण संभव नहीं है ?

श्री करमरकर : श्रीमान्, यही तो कठिनाई है ?

श्री झुनझुनवाला : मंत्री महोदय ने यह कहा कि गवर्नमेंट अभी इस बात का निश्चय नहीं कर पाई है कि वैजीटेबिल घी का खाना हैल्थ के लिये अच्छा है या बुरा, तो जब तक यह दो मत ह क्या तब तक के लिये गवर्नमेंट इस बात पर विचार करेगी कि इस का खाना बन्द ही कर दिया जाय ?

श्री करमरकर : कई वर्ष पहले यह प्रश्न उठा था और सरकार ने वनस्पति पर सभीं प्रकार के प्रयोग किये थे । सरकार के समक्ष उन प्रयोगों के वे सभी परिणाम हैं, और उनसे पता चलता है कि वर्तमान रूप में बनस्पति स्वास्थ्य के लिये हानिकर नहीं है। यदि कोई समस्या है तो वह मिलावट की है ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू): सरकार को स्पष्ट रूप से इस तथ्य का आश्वासन मिला है कि बनस्पति का उपयोग स्वास्थ्य के लिये हानिकर नहीं है । अनेक बार के वैज्ञानिक तथा औषधीय प्रयोगों से इस बात का पता चला है कि बनस्पति अथवा इस जैसे पदार्थ संसार के तीन चौथाई भागों में प्रयोग में लाये जा चुके हैं और इन से किसी को भी हानि नहीं पहुंची है ।

डाक और तार कार्यालय

*६६८. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन नगरों की संख्या जिन में डाक और तार के कार्यालय (१) ९ बजे रात तक (२) दिन और रात (१) सभी कार्य दिवसों को, और (२) रविवार तथा अन्य छुट्टियों में खुले रहते हैं ;

(ख) क्या इस प्रकार की व्यवस्था से साधारण जनता को सहायता मिली है ; तथा

(ग) इन के चलाने पर प्रति वर्ष कितना अतिरिक्त व्यय होता है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) (१) ११ नगरों में १८ डाकघरों को सभी कार्य दिवसों तथा रविवार को ८-३० बजे तक खुला रखा जाता है और ये उन ही दिनों बन्द रहते हैं जिन दिनों डाक घरों की छुट्टी हो । जहां तक तार घरों का प्रश्न है, १६९७ तार घर (अर्थात् विभागीय तार घर, मिले जुले डाकघर व आज्ञा प्राप्त तार घर) कार्य दिवसों पर ९ बजे रात तक और १५६७ रविवार तथा छुट्टियों के दिन खुले रखे जाते हैं ।

(२) कोई भी डाक घर दिन और रात खुला नहीं रहता । १०६७ तार घर कार्य दिवसों पर दिन और रात खुले रखे जाते हैं और १०३८

तार घर रविवार तथा तार घर की छुट्टियों पर दिन और रात खुले रखे जाते हैं ।

(ख) १८ डाकघरों की कार्यकाल-अवधि में वृद्धि और हर रविवार को खुला रखे जाने का प्रयोग सफल तथा लोकप्रिय सिद्ध हुआ है ।

(ग) १८ डाकघरों के लिये लगभग २,०४, ३०० रुपये ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या माननीय मंत्रि महोदय यह बतलायेंगे कि इस सुविधा को बढ़ाने के लिये जो खर्च पड़ता है वह उस आमदनी के मुकाबले में बराबर है ?

श्री राज बहादुर : इन से अधिक आंमदनीं तो होती है पर यह तो नहीं कहा जा सकता कि वह आमदनी केवल इन के खोले जाने से ही हो सकती है । जो कस्टम और ट्रैफिक आम तौर से आता है वह भी इन में आ जाता है । लेकिन फिर भी इन से नुकसान नहीं है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या इस योजना को दूसरे शहरों में फैलाने की योजना बनाई जा रही है और यदि हां तो किन किन शहरों में ?

श्री राज बहादुर : यह हमारी आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : जिन जिन शहरों में सरकार ने चलते फिरते डाकखाने चलाये हैं उनका सालाना खर्चा क्या है ?

श्री राज बहादुर : इस प्रश्न का उत्तर कई बार दिया जा चुका है ।

टैक्टर मरम्मत

*६७०. **पंडित एम० बी० भार्गव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय चलने वाले उन भारी और हल्के ट्रैक्टरों की क्या संख्या है जो केन्द्रीय लेखा पर आयात किये गये हैं, और उन ट्रैक्टरों की संख्या कितनी है जो (१) मरम्मत न होने के कारण; (२) आवश्यक पुरज़े न मिलने के कारण; तथा (३) अन्य कारणों से बेकार पड़े हैं ;

(ख) क्या सरकार अथवा सरकारी सहायता प्राप्त निजी व्यक्तियों द्वारा कुछ ऐसे कारखाने खोले गये हैं जो ट्रैक्टरों की मरम्मत अथवा ट्रैक्टरों के पूरज़ों का निर्माण अथवा उनकी मरम्मत करते हैं;

(ग) यदि हां, तो किन २ स्थानों पर ये कारखाने स्थापित किये गये हैं ; और

(घ) इस समय इन कारखानों में कितने ट्रैक्टरों की मरम्मत हो रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमारकर) : खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के लिए आयात किये गये ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में जो अपेक्षित सूचना है, वह नीचे दी जाती है :—

उन भारी और हल्के ट्रैक्टरों की संख्या जो इस समय, वस्तुतः, चल रहे हैं—२९५

मरम्मत न होने के कारण बेकार पड़े हुय ट्रेक्टरों की संख्या—०

आवश्यक पुरज़े उपलब्ध न होने के कारणबकार पड़े ट्रैक्टरों की संख्या—४

अन्य कारणों से बेकार पड़े ट्रैक्टरों की संख्या—११३*

* पुनर्वास मंत्रालय की एक योजना के सिलसिले में ये ट्रैक्टर आयात किये गये थे; और अब यह योजना बन्द की गई है; तथा इन ट्रैक्टरों का निपटारा होने वाला है ।

(ख) और (ग) । खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत जो केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था है, उसने ट्रैक्टर, गाड़ियों तथा अन्य साथ

के उपकरणों की मरम्मत, सफाई, आदि और सम्भरण के लिये दिल्ली तथा बैरागढ़—दो स्थानों पर दो मुख्य कारखाने खोल रखे हैं। ये दो कारखाने ट्रैक्टर के छोटे-छोटे पुरजे और हलों के कई एक पुरजे भी बनाते हैं। ट्रैक्टरों की मरम्मत के निमित कारखाने खोलने के लिये सरकार किन्हीं भी निजी कम्पनियों को वित्तीय सहायता नहीं दे रही है। यों तो वर्तमान नीति के अनुसार ट्रैक्टरों के आयात के लिये उन्हीं सार्थों को आज्ञा-पत्र मिलते हैं जिनके पास आयात किये गये ट्रैक्टरों की मरम्मत के लिये कारखाने आदि के रूप में पर्याप्त सुविधायें हों। ट्रैक्टरों को आयात करने वाले उन व्यक्तियों को जो उन की मरम्मत के लिये अपने ही कारखाने स्थापित करना चाहते हों, सरकार लोहा, इस्पात, सीमेंट आदि, नियंत्रित दामों पर दिलाने में, आवश्यक सहायता देती है।

(घ) यह सूचना इसीलिये नहीं दी जा सकती क्योंकि मरम्मत किये जाने वाले ट्रैक्टरों की संख्या दिन प्रति दिन बदलती जा रही है। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के ये दो कारखाने प्रति सप्ताह औसतन दो ट्रैक्टरों ओर दो गाड़ियों की मरम्मत तथा सफाई करके उनको नये सिरे से जोड़ सकते हैं।

पंडित एम० बी० भार्गव : जिन स्पेयर पार्ट्स के न होने की वजह से यह ट्रैक्टर्स फालतू पड़े हुए हैं, क्या उनके मैन्युफैक्चर करने का भी इन वर्कशाप्स में इन्तिज़ाम है ?

श्री करमरकर : ज़रूरी पुरज़े उपलब्ध न होने के कारण बेकार पड़े हुये ट्रैक्टरों की संख्या केवल चार है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आवश्यक पुरज़े बनाये जाने की कोई व्यवस्था है ?

श्री करमरकर : मुख्य प्रश्न के उत्तर में बतलाया जा चुका है कि मरम्मत करने वाले इन कारखानों में ट्रैक्टरों के छोटे छोटे पुरज़े भी बनाये जाते हैं, किन्तु ऐसा कोई भी विचार नहीं कि इन कारखानों को बड़े स्तर पर उठाकर पूर्ण रूप में व्यवस्थित करके, बड़े कारखानों में परिवर्तित किया जाय जहां नियमपूर्वक पुरजे बनाये जा सकें।

ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर : क्या दिल्ली सरकार ने हिन्द सरकार के पास कोई दरख्वास्त की है कि हमारे पास बहुत से ट्रैक्टर्स आईडल (बेकार) पड़े हुये हैं, इन के रिपेयर (मरम्मत) करने के लिये कोई इन्तिज़ाम (प्रबन्ध) किया जाय ?

श्री करमरकर : मुझे पूर्व सूचना चाहिये। सरकार का यह काम नहीं कि बेकार पड़े ट्रैक्टरों का यथोचित प्रबन्ध कर दे।

श्री वैलायुधन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि केन्द्रीय सरकार के वे ट्रैक्टर जो रद्द किये जा रहे हैं, अथवा खोले जा रहे हैं उन के पुरज़ों को बेचा भी जाता है ?

श्री करमरकर : ऐसी कोई भी बात नहीं कि इन ट्रैक्टरों को तोड़ा-फोड़ा जाय अथवा बेकार रखा जाय। केवल चार ट्रैक्टर ऐसे हैं जो बेकार हैं।

श्री एन० एस० नायर : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार ट्रैक्टर बनाने का एक कारखाना खोलना चाहती है ?

श्री करमरकर : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री नन्द लाल शर्मा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या एक प्रान्त के ट्रैक्टर स्वयं

सरकारी कर्मचारियों द्वारा कृषि कार्य के लिये दूसरे प्रान्त में भेजे जा सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी इस बात का पता नहीं लगा सका कि सरकारी कर्मचारियों के साथ इस का क्या सम्बन्ध है।

श्री करमरकर : मैं प्रश्न का पहला भाग तो समझ चुका हूं। सरकार अपनी इच्छा से ट्रैक्टरों को एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में ले जाती है।

श्री नन्द लाल शर्मा : मैं कहना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों की निजी सम्पत्ति को इस प्रकार..

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। वह टिप्पणी कर रहे हैं। उन्हें किस बात के सम्बन्ध में सूचना चाहिये ?

श्री नन्द लाल शर्मा : मान लीजिये कि यदि कुछ ट्रैक्टर दिल्ली से किसी और प्रान्त में भेजे गये हैं, और वह वहां बेकार पड़े हैं तो क्या वह सरकारी कर्मचारी उन की क्षतिपूर्ति करेंगे यही मैं पूछना चाहता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री नम्बियार : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि दिल्ली ट्रैक्टर संस्था तोड़ दी गई है ? यदि हां तो क्यों ?

श्री करमरकर : मुझे इस के सम्बन्ध में कुछ ध्यान नहीं। मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

ट्रैक्टरों का आयात

*६७१. **पंडित एम० बी० भार्गव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सन् १९५२-५३ में भारत में आयात किये जाने वाले बड़े और छोटे आकार के ट्रैक्टरों का मूल्य तथा संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : कुछ एक प्रकार विशेष के ट्रैक्टरों को छोड़ कर ट्रैक्टरों के आयात की अनुज्ञप्तियां उन ही मान्य अभिकर्त्ताओं को निर्बाध रूप से जारी की जाती हैं जो इस बात का साक्ष्य दे सकें कि वह बेचे जाने के बाद संतोषजनक ढंग से उन की मरम्मत आदि कर सकते हैं। कुछ एक आर्थिक सीमाओं तक ये अनुज्ञप्तियां जारी होती हैं, और ये परिमाण में पर्याप्त से भी अधिक पायी गई हैं। यदि कोई अनुज्ञप्ति किसी निश्चित सीमा तक जारी की गई हो तो उस का यह अर्थ नहीं कि उस सीमा तक आयात की गई वे वस्तुयें, वस्तुतः प्राप्त की जायेंगी। अतएव यह संभव नहीं है कि सन् १९५२-५३ में भारत में आयात किये जाने वाले ट्रैक्टरों की संख्या तथा मूल्य का स्पष्ट प्राक्कलन बताया जा सके।

वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि की हैसियत से मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हम ने उस के विषय में किसी भी नीति की घोषणा नहीं की है ?

पंडित एम० बी० भार्गव : मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार इस वर्ष अपनी इच्छा से ही कुछ ट्रैक्टर मंगा रही है ?

श्री करमरकर : परामर्श के अनुसार हम ट्रैक्टरों का आयात करते तो हैं, किन्तु बिना पूर्वसूचना के इस समय मैं नहीं बता सकता कि १९५२-५३ में हम विदेशों से कितने ट्रैक्टरों का आयात करना चाहते हैं।

पंडित एम० बी० भार्गव : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या मेरे प्रश्न में उस बात की ओर निश्चित रूप से निर्देश नहीं था तथा मंत्री महोदय द्वारा इस सूचना को न लाने का औचित्य क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि उन का प्रश्न विशिष्ट रूप से इस बात की ओर निर्देश करता है और वह यह

जानना चाहते हैं कि इस के सम्बन्ध में सूचना क्यों नहीं दी जा रही है।

श्री करमरकर: इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी को इस ढंग से उत्तर नहीं देना चाहिये।

श्री करमरकर: श्रीमान्, मैं इस बात पर खेद प्रकट करता हूं।

सेठ अचल सिंह: क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जितना रुपया ट्रैक्टरों में लगा है, उस के मुताबिक काम हुआ है?

श्री करमरकर: हमारी राय में तो हुआ है।

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार द्वारा मोटर गाड़ियों तथा वायुयानों की भांति पुरजे जोड़ कर ट्रैक्टर बनाने की कोई योजना बनाई गई है अथवा विचाराधीन है?

श्री करमरकर: मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

चीनी

*६७२. **श्री झुनझुनवाला:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) सन् १९५१-५२ में भारत में उपभोक्ताओं की चीनी सम्बन्धी मांग का क्या अनुमान है;

(ख) आज तक कुल कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किया गया है; तथा

(ग) यदि निर्यात की गई चीनी अतिरिक्त उत्पादन से बहुत ही कम है तो अतिरिक्त चीनी का निर्यात करने के लिये सरकार क्या पग उठाना चाहती है?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) ११ से १२ लाख टन।

(ख) अभी यह बात ज्ञात नहीं कि आज तक चीनी की कितनी मात्रा जहाजों पर लादी जा चुकी है। ६ जून, १९५२ तक ३,५४५ टन चीनी के निर्यात के लिये आदेश दिये जा चुके थे।

(ग) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

श्री झुनझुनवाला: मैं शुद्ध आंकड़ा जानना चाहता हूं, अर्थात् सन् १९५१-५२ में भारत में उपयुक्त चीनी का प्राक्कलन क्या है। सरकार का प्राक्कलन क्या था और कितने का उपभोग हुआ?

श्री करमरकर: जहां तक वास्तविक उपभोग का प्रश्न है, उचित पूर्वसूचना के बाद ही मैं माननीय सदस्य को सूचना दे सकता हूं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने वर्ष १९५१-५२ का, भारत में चीनी के उपभोग की मांग का, आंक मांगा था, और भाग (क) के उत्तर में बताया जा चुका है कि यह ११ से १२ लाख टन तक की मात्रा है।

श्री झुनझुनवाला: वास्तविक आंकड़े क्या हैं?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा कि इस में समय लगेगा। सूचना तैयार नहीं है।

श्री करमरकर: चीनी के उपभोग के पश्चात् ही सूचना मिल सकेगी।

अध्यक्ष महोदय: वह कह रहे हैं कि इस समय उन्न के पास नवीनतम आंकड़े नहीं हैं, और इस में समय भी लग जायेगा।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि किन किन देशों को चीनी निर्यात की गई है ?

श्री करमरकर : मेरे पास वह सूचना नहीं है ।

श्री नाना दास : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि उन नये चीनी के कारखानों की संख्या कितनी है जिन्होंने इसी वर्ष से काम आरम्भ किया है, और इन मिलों के प्राक्कलित अतिरिक्त उत्पादन की प्रतिशतता क्या है ?

श्री करमरकर : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री बदशाह गुप्ता : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यहां घरेलू प्रयोजनों के लिये पर्याप्त चीनी से अधिक चीनी का उत्पादन होता है और यदि होता है तो क्यों अभी नियंत्रण जारी है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सब प्रश्न कल्पनात्मक है ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस वर्ष का निर्यात साधारण व्यक्तियों द्वारा हुआ था अथवा सरकारी स्कन्ध से किया गया था ?

श्री करमरकर : मुझे ठीक ज्ञात नहीं, किन्तु इतना जानता हूं कि साधारण व्यापार के साधनों द्वारा यह निर्यात हुआ था ।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

दिल्ली यातायात सेवा के कर्मचारियों की विरोध-सूचक हड़ताल

श्री नम्बियार : क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि दिल्ली ट्रांस्पोर्ट सर्विस के कर्मचारियों और लिपिकरों ने २ जून, १९५२ को २ म० प० और ५ म० प० के बीच करौलबाग, राजघाट तथा अन्य स्थानों पर के कार्यालयों में विरोध-सूचक हड़ताल की थी; और, यदि हां तो क्यों;

(ख) क्या यह तथ्य है कि २ जून १९५२ को इन के श्रमिक संघ के दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था; तथा

(ग) क्या सरकार को इन कर्मचारियों की उन आपत्तियों का ज्ञान है जिन के परिणामस्वरूप उन्होंने यह विरोध-सूचक हड़ताल की और यदि है तो इस झगड़े का मैत्रीपूर्ण निपटारा करने के लिये क्या किया जा रहा है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) और (ख) जी हां। राजघाट तथा करौलबाग डिपुओं में काम करने वाले दिल्ली ट्रांस्पोर्ट सर्विस के कर्मचारियों ने २ जून, १९५२ को २ म० प० से ५ म० प० तक काम करना बन्द कर दिया था । अधीक्षण-पक्ष अथवा कार्यालय के किसी भी कर्मचारी ने इस हड़ताल में भाग नहीं लिया था । यह हड़ताल दिल्ली परिवहन सेवा कार्मिक संघ का एक कार्यकारी-सदस्य के, जो डी० टी० एस० का भूतपूर्व कर्मचारी था, गिरफ्तार किये जाने के विरोध में की गई थी ।

(ग) जैसा कि बतलाया जा चुका है यह हड़ताल उस के गिरफ्तार होने के विरोध में ही की गई थी, किसी अन्य आपत्ति से नहीं हुई थी । दिल्ली ट्रांसपोर्ट सर्विस कार्मिक संघ द्वारा समय समय पर प्रस्तुत की गई आपत्तियों के सम्बन्ध में संघ के प्रतिनिधियों और दिल्ली सड़क परिवहन अधिकारी के बीच समझौता होता रहा है, और उन की बहुत सी मांगे स्वीकार की जा चुकी हैं ।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या नवम्बर, १९५०-में दिल्ली ट्रांस्पोर्ट अथारिटी के महाप्रबन्धक तथा श्रमिक संघ के बीच कोई समझौता हुआ था ? यदि हां, तो क्या उन सभी समझौतों को कार्यान्वित किया गया ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी हां, श्रीमान् । जहां तक मुझे पता है उनकी बारह मांगों में से सभी महत्वपूर्ण मांगें, जो संख्या में लगभग ग्यारह हैं, स्वीकृत की जा चुकी हैं ।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू अनुशासन तथा अपील के नियमों की भांति इन कर्मचारियों पर भी कुछ सेवा-नियम लागू हो सकते हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : यदि अभी तक इन पर कोई भी नियम लागू नहीं होते हों तो अब बनाये जायेंगे ।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें इस कर्मचारी-वर्ग पर भी लागू की जायेंगी ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इस प्रश्न पर बाद में विचार होगा ।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या दैनिक मजूरी पर काम करने वाले चालक, टिकट विक्रेता, आदि नामों के कर्मचारी भी इस सेवा में लिये गये हैं--मेरा अभिप्राय यह है कि क्या ऐसे कर्मचारी भी हैं जिन्हें दैनिक पारिश्रमिक पर रखा गया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी हां, अब कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं ।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि उन्हें मासिक वेतन के कर्मचारी बनाने तथा अन्य स्थायी कर्मचारियों की भांति सभी श्रेय और सुविधायें देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : श्रमिक संघ तथा यातायात के अधिकारियों के बीच जो समझौते हुए हैं, उन में से एक इस बात के सम्बन्ध में भी है, और इस पर विचार किया जा रहा है; सम्भव है कि बहुत जल्दी परिवर्तन किये जायेंगे जिस से दैनिक मजदूरी का वह सिलसिला भी बदल जायेगा । मुझे इस बात के सम्बन्ध में पूरा निश्चय नहीं है कि उन सभी को आज से ही दैनिक पारिश्रमिक मिलना बन्द होगा, किन्तु इतना कह सकता हूं कि उन में से बहुतों को मासिक वेतन दिया जायेगा ।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस समय स्थायी आधार पर न लिये जाने वाले सभी अस्थायी तथा सामयिक श्रमिकों को स्थायी रूप से काम दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि कुछ कार्यवाही की जा रही है तो क्या उनके समक्ष कोई कार्यक्रम है.....

अध्यक्ष महोदय : इस स्तर पर मैं एक बात बताना चाहता हूं । मैं ने सूचना के निमित्त कुछ एक प्रश्न पूछे जाने की आज्ञा दी थी किन्तु दिल्ली यातायात प्राधिकार संस्था स्वायत्तपूर्ण है, और किसी विशेष क्रम से चलती है । प्रशासन के ब्योरे में जाने की अपेक्षा यही अधिक अच्छा होगा कि दिल्ली ट्रांस्पोर्ट ऑथॉरिटी से ही सूचना मांगी जाय, संसद् से नहीं । मैं ने इसीलिये इस साधारण प्रश्न के पूछने की आज्ञा दी थी क्योंकि इस का सम्बन्ध हड़ताल तथा

असंतोष से था जिस की ओर सरकार को कुछ ध्यान देना उचित था। उन्हें साधारण प्रश्नों पर भी इतने सारे तथ्यों को ब्यौरेवार लेने की आज्ञा नहीं दी जा सकती वह चाहें तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं--इस सदन का एक मुख्य उद्देश्य यह भी होना चाहिये कि सूचना प्राप्त की जाय--किन्तु, यह प्रश्न भारत के किसी भी भाग के सम्बन्ध में पूछा जा सकता है, और सत्ताधारी संविधान होते हुए भी हम ने कुछ एक स्वायत्त संस्थायें बनाई हैं ; और यदि हम चाहते हों कि स्वायत्त-शासन को प्रोत्साहन मिले तो उस स्वायत्त-शासन के सम्बन्ध में इस संसद् में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहियें। मैं इसी बात का स्पष्टीकरण करना चाहता था।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं ज्ञात करना चाहती हूं कि क्या कर्मचारी-वर्ग को वर्दी दिये जाने की कोई प्रस्थापना है ?

अध्यक्ष महोदय : अब, मेरी विज्ञप्ति के विरोध में यह बात होने लगी है।

श्री वैलायुधन : श्रीमान्, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। बहुत से प्रश्न पूछे जा चुके हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आयात किया गया अनाज

*६७३. **श्री झुनझुनवाला :**
पंडित एम० बी० भार्गव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१ में विविध देशों से आयात किये गये भिन्न २ कार के खाद्यान्नों का जहाज़ तक ले जाने, लादने तथा भाड़ा आदि डाल कर प्रति मन दाम क्या हैं ;

(ख) आयात किये गये विभिन्न प्रकार के इस अनाज का प्रति मन औसत फुटकर विक्रय-मूल्य क्या है ; तथा

(ग) आयात किये गये अनाज को वितरित करने में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को औसत से प्रति मन कितना घाटा देना पड़ा ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) इस प्रकार की सूचना देना लोकहित में नहीं है।

(ख) एक विवरण जिसमें वर्ष १९५१ के विविध राज्यों में इस आयात किये गये अनाज के विक्रय-मूल्य दिये गये हैं, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ठ ४, अनुबन्ध संख्या ४**]

(ग) सन् १९५१ में सहायता-प्राप्त क्षेत्रों में आयात किये गये अनाज के विक्रय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रति मन तोल कर दी गई अवसत सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	रुपये	आने	पाई	
गेहूं	४	८	०	प्रति मन
मोटा चावल .	७	३	६	,,
मिलो .	५	३	९	,,

राज्य सरकारों को इस पर कितना घाटा देना पड़ा, इस के सम्बन्ध में कोई भी सचना उपलब्ध नहीं है।

संघ सेवाओं में अनुसूचित जातियों की नियुक्ति

*६७४. **श्री पी० एन० राजभोज :** क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों के सदस्यों को उन के समुदाय के अनुरूप अनुपात में सरकारी सेवाओं तथा पदों पर नियुक्तियों

के सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या आदेश जारी किये हैं ?

(ख) गत छः महीनों में की गई कुल नियुक्तियों की तुलना में समस्त सेवा-श्रेणियों में नियुक्त किए गए अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या सम्बन्धी जानकारी यदि मिल सकती है तो कहां से ?

(ग) २६ जनवरी, १९५० से, संघलोक सेवा आयोग, विशेष भर्त्ती मंडल तथा अन्य भर्त्ती करने वाले अधिकारियों ने सभी श्रेणियों पर पृथक-पृथक रूप से कितने पदों की पूर्ति की है ; अनुसूचित जातियों के लिये कितने पद रक्षित हुये हैं, और कितने पदों पर, वस्तुतः अनुसूचित जातियों के सदस्यों की नियुक्ति की गई है; यदि अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों द्वारा वे सारे पद जो उन के लिऐ रक्षित थे, पूरे नहीं हुये तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) इस विषय में हम ने जो आदेश जारी किये हैं वह हमारे अनुपूरक अनुदेश संख्या ४२/२१/४९, ढ़ छ न दिनांक २८ जनवरी, १९५२, में दिये गये हैं, और उसकी एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखी गई है। देखिये संख्या त २७-५२.**]

इन आदेशों का सार १९५१-५२ की गृहकार्य मंत्रालय की रिपोर्ट के पदच्छेद १५ में भी दिया गया है, जिसकी प्रतियां संसद्-सदस्यों में प्रचारित की गई हैं।

(ख) इस समय कोई भी ऐसा स्रोत नहीं जहां से यह सूचना तत्काल प्राप्त की जा सके। विविध मंत्रालयों तथा विभागों को हमारे अनुपूरक अनुदेशों में यह प्रार्थना की गई है कि वे समुदायवार वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जभी वह रिपोर्टें मिलेंगी, तभी हम यह बता सकेंगे कि अमुक वर्ष में कुल कितने पदों को नियुक्तियां हुईं तथा उन में से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों के थे।

(ग) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। इसको इक्टठा किया जा रहा है, और यथा समय सदन पटल पर रख दिया जायेगा।

वायु-सेवा की बारंबारता (कमी)

*६७५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विश्व में विमान चलाने के ईंधन के अभाव के परिणाम स्वरूप विभिन्न भारतीय हवाई कम्पनियों द्वारा वायु-चर्या की बारंबारता में अभी हाल में घोशित की गई कटौती को हटाया जायेगा और सब से पुनः पहले के स्तर पर विमान-चालन का काम चालू होगा ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : १२ जून, १९५२ को वे सभी प्रतिबन्ध हटाये जायेंगे।

मदुराई-कराईकडी रेलवे लाइन

*६७६. **श्री कक्कन** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने मेलूर के रास्ते मदुराई से कराईकुडी तक नई रेलवे लाइन के लिये भूपरिमाप कार्य पर धन व्यय किया है ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर हां में हो तो मेलूर के रास्ते मदुराई से कराईकुडी तक की इस नई रेलवे लाइन का उदघाटन कब होगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि १९३५ में मद्रास सरकार की इस सम्मत्ति को दृष्टि में रखते हुए

कि इस लाइन के बन जाने से वर्त्तमान सड़क प्रणाली दो प्रकार की हो जायेगी, यह परियोजना बन्द कर दी गई, अतः अब लाइन बिछाने की कोई भी प्रस्थापना नहीं है। मद्रास सरकार ने अपने युद्धोत्तर पुनर्निर्माण कार्यक्रम में इस परियोजना की सिफारिश नहीं की है, अतएव इस पर पुनः विचार नहीं किया गया है।

लम्फाल पाट

*६७७. **श्री एल० जे० सिंह**: (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि सरकार ने इम्फाल कस्बे में स्थित लम्फाल पाट पर कृषि करने की आज्ञा दी है, और यदि हां तो कब ?

(ख) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि लम्फाल पाट ही एक ऐसी चरागाह है जहां इम्फाल कस्बे के ढोर चरते हैं ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) और (ख). अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के सिलसिले में ही लम्फाल पाट का एक भाग जो इम्फाल कस्बे के पास था, अप्रैल १९५१ में काश्त के लिए छोड़ा गया था। उस भाग में काश्त होने के पश्चात् भी वहां उक्त क्षेत्र के ढोरों के लिए चरने की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं।

दण्ड प्रणाली संहिता

*६७८. **श्री एल० जे० सिंह**: क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मनिपुर में दण्ड प्रणाली संहिता लागू की गई है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): दण्ड प्रणाली संहिता अभी मनिपुर में लागू नहीं की गई है। उचित रूपभेद संहित दण्ड प्रणाली संहिता को मनिपुर में भी लागू करने की बात विचाराधीन है।

भारत तथा अण्डमान द्वीपों के बीच डाक-तार का सम्बन्ध

*६७९. **बिशप रिचर्डसन**: (क) क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत तथा अण्डमान-निकोबार द्वीपों के बीच डाक-तार सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार एवं विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(ख) इन द्वीपों के लोगों को पर्याप्त चिकित्सकीय सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(ग) उक्त द्वीपों के तटीय क्षेत्र में विदेशियों को शिकार चुरा ले जाने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) सन् १९५० के मध्य तक इन द्वीपों से भारतीय तट तक तथा भारतीय तट से इन द्वीपों तक यात्री और सामान लाने ले जाने के लिए एस० एस० महाराजा नाम का एक ही जहाज चलता था। जून १९५० से भारत सरकार ने भरतखण्ड नाम का एक और जहाज भारत-अण्डमान के बीच की जल-चर्य्या के लिए नियत किया। भारतीय प्रायद्वीप तथा पोर्ट ब्लेयर के बीच एक नियमित वायु-सेवा स्थापित करने की सम्भावना अभी विचाराधीन है।

(ख) इन द्वीपों में सरकार ने जो भी औषध चिकित्सा सहायता उपलब्ध की है वह पर्याप्त नहीं है। इन द्वीपों में ३१ हजार की जनसंख्या है, और वहां के अनेक अस्पतालों और चिकित्सालयों में केवल ३६४ शय्या हैं। मयूरबन्दर में और अधिक शय्याओं की व्यवस्था करने के लिये सरकार प्रस्थापना बना रही है। निकोबार द्वीपसमूह में एक अतिरिक्त मैडिकल

आर्किटेक्ट नियुक्त करने की बात भी विचाराधीन है।

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा सभी प्रकार की कार्यवाही की जा रही है।

तीस हजारी टेलीफोन एक्सचेंज

*६८०. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर :** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि तीस हजारी दिल्ली एक्सचेंज के लिये एक टेलीफोन एक्सचेंज संयंत्र खरीदा गया है ?

(ख) यदि हां, तो इस का मूल्य क्या है और कब इसे खरीदा गया है ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि दोषपूर्ण यंत्र होने के कारण इस एक्सचेंज के काम आरम्भ होने में देर हो गई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) नवम्बर, १९५० में खरीदा गया और इसका मूल्य २५ लाख रुपये है।

(ग) जी नहीं।

रेल कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

*६८१. **श्री सिंहासन सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार के समक्ष तीसरी और चौथी श्रेणी के रेल कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने की कोई प्रमाप योजना है ; तथा

(ख) उत्तर-पूर्वी रेलवे के कितने प्रतिशत कर्मचारियों को अभी क्वार्टर नहीं दिये गये हैं, और प्रत्येक कर्मचारी को क्वार्टर बना कर दिये जाने में अभी कितना समय लगेगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां। रेल विभागों को इस बात की आज्ञा दी गई है कि वे स्थानीय स्थितियों के अनुरूप इन मकानों के नमूनों में थोड़ा परिवर्तन कर लें।

(ख) उत्तर-पूर्वी रेल के लगभग ७५ प्रतिशत कर्मचारियों को अभी रेलों के क्वार्टर नहीं मिले हैं। सरकार की नीति के अनुसार तो सब से पहले उन अत्यावश्यक कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर मिलेंगे जिन्हें रेल-क्षेत्र में अथवा उसके निकट रहना पड़ता हो, और जिन्हें किसी भी समय काम पर बुलाया जाता हो। प्रत्येक कर्मचारी को कितने समय में एक क्वार्टर दिया जाय, इस बात का निर्भर इसी आधार पर होगा कि भावी वर्षों में कितनी निधि इकट्ठी की जा सके।

इम्फाल में जमीन का बन्दोबस्त

*६८२. **श्री रिशांग किशिंग : क्या राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि आसाम नगरपालिका अधिनियम, १९२३ मनिपुर पर भी लागू किया गया है, और इम्फाल कस्बे के लिये सीमित मताधिकार की नगरपालिका बनाई जा रही है ; तथा

(ख) क्या यह तथ्य है कि इस कस्बे के बिल्कुल बीच में स्थित थांगमीबंद, सगोलबन्द, अरीपोक, वहींगबम लीकई और कीशमपाट क्षेत्र नगरपालिका की सीमा से अलग किये जा रहे हैं ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) ये सभी ग्राम्य क्षेत्र हैं जो कस्बे के आस पास हैं, किन्तु इम्फाल नगर निधि

समिति की सिफारिश पर इन्हें नगरपालिका की सीमा से निकाल दिया गया था।

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्स्थापन

*६८३. **श्री रिशांग किशिंग** : (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि मणिपुर के कृषि-योग्य भूमि के बड़े क्षेत्रों से वहां के स्थानीय निवासियों को उनकी अपनी बस्तियों से हटाया गया, और उन के स्थान पर विस्थापित व्यक्तियों को बसाया गया ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि अभी हाल में सुगनू के उपायुक्त ने वहां के भूमिहीन किसानों को निकाल कर उन के स्थान पर विस्थापित व्यक्तियों को बसाया ?

(ग) क्या यह भी तथ्य है कि आसाम राइफिल्ज़ को विस्थापित व्यक्तियों की रक्षा के लिये नियुक्त किया गया था ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) सरकार की साधारण नीति के अनुसार पूर्वी बंगाल के लगभग ४०० से ५०० विस्थापित परिवारों को मणिपुर में बसाया गया है। संख्या और क्षेत्र के हिसाब से यह विशाल नहीं है, और किसी भी स्थानीय निवासी को उस भूमि से जिस पर उस का अथवा उस की जाति या वर्ण का अधिकार है, नहीं निकाला गया है।

(ख) मनिपुर में बसाये जाने वाले विस्थापितों में से कई एक सुगनू में बसाये गये थे जहां सरकार की शामलात भूमि थी। तत्काल ही इस बात का पता चला और कई स्थानीय निवासियों ने शरणार्थियों को भगाने तथा भूमि पर अपना अधिकार करने के लिये बिना किसी अधिकार के वह भूमि अपने अधिकार में कर ली जो विस्थापित व्यक्तियों के लिये रक्षित की गई थी। उपायुक्त को ये व्यक्ति वहां से निकालने पड़े क्योंकि उनकी यह चाल अनधिकृत तथा अवैध थी। यह तथ्य नहीं है कि वहां से निकाले गये सभी व्यक्ति भूमिहीन थे। निकाले गये उन भूमिहीन व्यक्तियों में से तो कुछ एक को सुगनू में और भूमि दी जा चुकी है।

(ग) शरणार्थियों के प्रति स्थानीय निवासियों के एक भाग के शत्रुतापूर्ण रवैये को दृष्टि में रखते हुए मनिपुर राइफिल्ज़ के एक दल को सुगनू भेजना पड़ा था ताकि उन विस्थापित व्यक्तियों के जान-माल की रक्षा हो सके।

पंजाब उच्च न्यायालय का चक्रमी न्यायालय

*६८४. **श्री एन० सी० चटर्जी** : क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब उच्च न्यायालय का चक्रमी न्यायालय दिल्ली में कितने दिन तक कार्य करता रहा ;

(ख) क्या माननीय न्यायाधीशों अथवा रजिस्ट्रार ने दिल्ली की जनता, यहां के वकील परिषद अथवा राज्य सरकार को इस बात की सूचना दी थी कि 'सर्किट' न्यायालय अपना कार्य बन्द करेगा ;

(ग) यदि हां, तो 'सर्किट' न्यायालय की बैठकें स्थगित होने से कितने दिन पहले इस प्रकार की पूर्वसूचना दी गई थी ;

(घ) क्या पंजाब उच्च न्यायालय ने ऐसी कोई पूर्वसूचना जारी की थी कि 'सर्किट' न्यायालय कब से दिल्ली में पुनः बैठकें आरम्भ करेगा ;

(ङ) इधर इस बीच दिल्ली में अपीलें अथवा लेख्य मामलों के फाइल करने अथवा प्रस्तुत किये जाने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ;

(च) क्या दिल्ली में अभियोग दायर करने वाली जनता के हित में इधर दिल्ली में ही उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायपीठ रखने के सम्बन्ध में सरकार विचार करना चाहती है ; तथा

(छ) क्या यह तथ्य है कि पंजाब उच्च न्यायालय के कुछ माननीय न्यायाधीश दिल्ली में चक्रिम न्यायालय की बैठकें करने के पक्ष में नहीं हैं ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) चक्रमी न्यायालय की बैठकें २५ फरवरी से ३० अप्रैल, १९५२ तक हुई थीं ।

(ख) और (ग). मैं समझता हूं कि जनता को इस बात की सूचना दी गई थी कि ३० अप्रैल, १९५२ को न्यायालय स्थगित होगा किन्तु मैं इस बात का निश्चय नहीं कर सका हूं कि किस दिनांक को इस न्यायालय की बैठकें स्थगित की गई थीं ।

(घ) जी नहीं । अभी निकट भविष्य में इस प्रकार की सूचना दिये जाने की, आशा की जाती है । मैं समझता हूं कि अगले महीने पुनः 'सर्किट' न्यायालय की बैठक होगी ।

(ङ) इस सम्बन्ध में अभी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, किन्तु मैं समझता हूं कि उच्च न्यायालय स्थायी रूप से अपीलों के दायर करने अथवा प्रस्तुत करने आदि के लिये अभी निकट भविष्य में दिल्ली में कुछ कर्मचारी रखना चाहते हैं ।

(च) इस से विवादास्पद प्रश्न उठता है । सरकार 'सर्किट' न्यायालय के कार्य के कुछ अधिक अनुभव प्राप्त करना चाहती है ।

(छ) पंजाब उच्च न्यायालय ने दिल्ली में चक्रमी न्यायालय की स्थापना स्वीकृत की थी । मैं यह नहीं बता सकता कि उन न्यायाधीशों ने व्यक्तिगत रूप से क्या सम्मतियां दी होंगी ।

मद्रास, मैसूर और बम्बई के लिये नई रेलवे लाइनें

*६८५. **श्री टी० सुब्रह्मण्यम्** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) आगामी पांच वर्षों में मद्रास, मैसूर तथा बम्बई राज्यों में कितनी नई रेलवे लाइनें बनाने की प्रस्थापना है; तथा

(ख) क्या इन राज्यों की सरकारों द्वारा कुछ प्रस्थापनायें भेजी जा चुकी हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) अब तक इस बात का निश्चय किया जा चुका है कि सन् १९५४-५५ और १९५५-५६. में मद्रास में सत्यमंगलम्-छामराजनगर-कोयम्बेटूर के मार्ग से एक नई लाइन बनाने का काम आरम्भ किया जायेगा जिससे मैसूर राज्य की भी सेवा होगी । कांडला-दीसा मार्ग की एक नई लाइन जो बम्बई राज्य से गुज़रती है, सन् १९५२ में पूरी की जायेगी, ऐसी आशा है । इस के अतिरिक्त मद्रास राज्य में तीन और बम्बई राज्य में दो उखाड़ी गई लाइनों को फिर से बिछाये जाने का काम सन् १९५२-५३ और १९५३-५४ में पूरा होगा । आगामी पांच वर्षों में आरम्भ की जाने वाली अन्य परियोजनाओं पर कालान्तर में विचार किया जायेगा ।

(ख) जी हां

भूमि को धान की कृषि से हटा कर पटसन की कृषि में लगाना

*६८६. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सम्बद्ध राज्य में सन् १९५१-५२ में कुल कितने एकड़ भूमि में धान की कृषि के स्थान पर पटसन की कृषि हुई ; तथा

(ख) इस प्रकार के परिवर्तन से धान की लगभग कितनी मात्रा के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) तथा (ख) . परिवर्तित कृषि-भूमि के शुद्ध आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जूट का उत्पादन करने वाले मुख्य राज्यों में, १९५१-५२ में यों तो, चावल की कृषि वाली २७८ हज़ार एकड़ भूमि को जूट की कृषि में लाये जाने की योजना थी, जिस से ७८,००० टन चावल का घाटा हो जाता। इस योजित परिवर्तन के राज्यवार आंकड़े इस प्रकार हैं :

(हज़ार एकड़ों में)

आसाम	४०
बिहार	१००
उड़ीसा	३८
पश्चिमी बंगाल	१००
कुल जोड़—	२७८

रेलवे में काम करने वाले टाइपिस्ट

*६८७. **डा० लंका सुन्दरम्:** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि रेलवे में काम करने वाले टाइपिस्टों की श्रेणी अन्य लिपिक कर्मचारी-वर्ग से भिन्न है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि कोई छः मास पूर्व टाइपिस्टों ने रेल मंत्री की सेवा में एक स्मृति-पत्र प्रस्तुत किया था जिस में उन्होंने यह प्रार्थना की थी कि उनके वेतन-स्तर को बढ़ा दिया जाय ?

(ग) यदि उपरोक्त (क) तथा (ख) भागों का उत्तर 'हां' में हो तो उन के प्रतिनिधान पर क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) तथा (ख). जी हां ।

(ग) इनके प्रतिनिधान पर विचार किया गया है । खेद है कि ६८—१७० रुपये का वेतन-क्रम अथवा २० रुपये का एक विशेष भत्ता, जैसा उन्होंने मांगा है, स्वीकृत नहीं हो सकता । कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार ही १६०—२२० रुपये के वेतन-क्रम के पदों की व्यवस्था की जायेगी । आशुलिपिकों की श्रेणी में भर्त्ती के लिये स्थानरक्षण किये जाने की प्रार्थना पर अग्रेतर विचार किया जायेगा ।

छामराजनगर–मेत्तुपलायम रेलवे लाइन

*६८८. **मादिया गौडा:** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) छामराजनगर से मेत्तुपलायम तक रेल लाइन बिछाने के लिये कब भूपरिमापन किया गया था और प्राक्कलन बनाया गया था ; तथा

(ख) प्राक्कलित राशि तथा लाइन की लम्बाई क्या है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) भूपरिमाप तथा प्रारम्भिक इंजीनियरिंग परिमाप सन् १९४८-४९ में किये गये थे ।

(ख) छामराजनगर से मेत्तुपलायम के बीच ८९.५० मील का अन्तर है, और इस परियोजना का परिव्यय ४.३२ करोड़ रुपये है। इस बात का निश्चय किया गया है कि मेत्तुपलायम के बदले कोयम्बेटूर पर इस लाइन का रेखा-करण करना अधिक अच्छा होगा। इस की लम्बाई १०१.७० मील होगी और इस पर ४.६५ करोड़ रुपये की लागत आयगी।

हरपालपुर-छतरपुर रैलवे लाइन

*६८९. **श्री आर० एस० तिवारी**: क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हरपालपुर से नौगांव होती हुई छतरपुर तक एक रेलवे लाइन बिछाने के लिये कोई भूमापन किया गया था ;

(ख) यदि ऐसा भूमापन किया गया था, तो वह स्थगित क्यों कर दिया गया; और

(ग) क्या वह काम अब पूरा किया जायेगा, और यदि किया जायेगा तो कब ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) जी हां।

(ख) जैसा कि विदित हुआ था, इस परियोजना को सन् १९२६-२७ में वित्तीय अभाव के कारण छोड़ दिया गया।

(ग) कुछ एक रेल परियोजनाओं के पुनर्विलोकन के समय विगत मार्च में केन्द्रीय यातायात मंडल ने एक ऐसी परियोजना का, जो उन्होंने कुछ समय पहले स्वीकार की थी और जिस में हरपालपुर-छतरपुर मार्ग समा जाता, भूमापन स्थगित करने का निश्चय किया था। इस का भूमापन स्वीकार किये जाने तथा पूरा किये जाने के बाद ही इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा कि क्या इसी लाइन को पहले बनाया जाना चाहिये।

त्रिपुरा राज्य कर्मचारी

*६९०. **श्री बीरेन दत्त**: क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या त्रिपुरा राज्य कर्मचारियों से सम्बन्धित पुनर्संस्थापन योजना पूरी की जा चुकी है ; तथा

(ख) क्या नये वेतन-क्रम के अनुसार उन का वेतन नियत किया जा रहा है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): त्रिपुरा प्रशासन के कई विभागों से सम्बन्धित पुनर्संस्थापन योजनाओं तथा विविध पदों की वेतन-श्रेणियों में किया जाने वाला परिवर्तन स्वीकृत किये जा चुके हैं। कुछ ऐसे विभाग हैं जिन से सम्बद्ध प्रस्थापनायें अभी विचाराधीन हैं।

सामान बेचने के ठेके

*६९१. **चौधरी रघुबीर सिंह**: क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विभिन्न रेल स्टेशनों पर सामान बेचने वालों को उस काम का ठेके देने की क्या पद्धति है ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि सामान बेचने के ठेकों के लिये टेंडर नहीं मांगे जाते हैं ; तथा

(ग) यदि हां, तो उत्तरी रेलवे के किन किन स्टेशनों पर सामान बेचने के ठेकों के सिलसिले में टेंडर नहीं मांगे गये थे ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) लायसेंन्स पद्धति।

(ख) टेंडर नहीं मांगे जाते हैं।

(ग) भूतपूर्व बीकानेर रियासत में से गुज़रने वाली रेल लाइन पर स्थित छः स्टेशनों को छोड़ कर उत्तरी रेलवे के किसी भी अन्य स्टेशन पर सामान बेचने के ठेकों के सम्बन्ध में कोई भी टेंडर नहीं मांगे गये थे, और इन छः स्टेशनों के लिये उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट लायसैन्स पद्धति के प्रचलित किये जाने से पहले ही टेंडर मांगे गये थे।

बौरिंगपेट-ओंगोल रेलवे लाइन

*६९२. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रायलासीमा विकास मंडल ने बौरिंगपेट से मदनापल्ली, रायाचोटी और कडुप्पा होती हुई ओंगोल तक एक रेलवे लाइन बिछाने की सिपारिश की है; तथा

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी शास्त्री): (क) रेल मन्त्रालय को रायलासीमा विकास मन्डल की ओर से रेलवे लाइन बिछाने की इस प्रकार की कोई भी सिपारिश प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मोटर यातायात करारोपण जांच समिति

*६९३. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या मोटर यातायात करारोपण जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की है ; तथा

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने यह सिपारिश स्वीकार की है कि भारत भर में एक समान करारोपण दर लागू हो ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार सूची ३ निविष्ट संख्या ३५ के अनुसार उन ही सिद्धान्तों से सम्बद्ध है जिन के अनुसार मशीन से चलाई जाने वाली गाड़ियों पर करारोपण होता है, और सूची २ की निविष्ट संख्या ५७ के अनुसार मशीन से चलाई जाने वाली गाड़ियों पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को ही है, अतएव मोटरगाड़ी करारोपण में एकरूपता से सम्बद्ध मोटर गाड़ी करारोपण जांच समिति की रिपोर्ट की सिपारिशों पर विचार करने के लिये राज्य सरकारों से समझौते की बातचीत करने की आवश्यकता है; अतः इस मामले के सम्बन्ध में उन से लिखा पढ़ी हो रही है।

सन्तुलित भोजन

*६९४. **श्री यू० एस० दुबे :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार ने सन्तुलित भोजन की कोई अनुसूची अथवा कुछ अनुसूचियां तैयार की हैं, और यदि की हैं तो लोगों में उसका प्रचार करने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : जी हां। इण्डियन कौन्सिल आव मैडिकल रिसर्च (भारतीय चिकित्सकीय अनुसन्धान परिषद्), जिसको पहले इण्डियन रिसर्च फण्ड एसोसिएशन (भारतीय अनुसन्धान निधि संस्था) कहा जाता था, की आहार पोषण सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति की विशेष समिति द्वारा सन् १९४४ में संतुलित भोजन की एक अनुसूची तैयार की गई थी जिसमें दिया गया था कि स्वस्थ रहने के लिये एक वयस्क को प्रति दिन कितना भोजन करना चाहिये। भारत सरकार के प्रकाशन

स्वास्थ्य बुलेटिन संख्या २३,—"**दि न्यूट्रिटिव वैल्यू आंव इंडियन फूड्स एण्ड दिप्लानिंग आव सैटिस्फैक्ट्री डायट्स**" के चौथे संस्करण, १९५१, में यह अनुसूची तथा अन्य उपयोगी सूचना सम्मिलित की गई है इस पुस्तक की प्रतियां ८ आने के हिसाब से रियायती दामों पर बिकती हैं। राज्यों के स्वास्थ्य विभाग भी समय समय पर अपने भाषणों और प्रदर्शनियों द्वारा संतुलित भोजन के सम्बन्ध में सूचना देते रहते हैं। वास्तविक कठिनाई इस बात की नहीं कि लोगों को इस विषय में जानकारी नहीं बल्कि इस बात की है कि वे बहुत ही निर्धन हैं, अतः उन्हें दूध, फल, आदि जैसे अत्यावश्यक पदार्थ नहीं मिल रहे हैं।

अनाज का उत्पादन

*६९५. **कर्नल जैदी**: (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अनाज के उत्पादन में वृद्धि का निश्चय किस तरह किया जाता है ; तथा

(ख) क्या एकाएक लिए गए नमूने भेजने की प्रक्रिया पर्याप्त रूप से विकसित की जाती है, और प्रत्येक संगत मद पर विचार करती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री [श्री करमरकर) : (क) अनुमानतः, माननीय मंत्री अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अन्तर्गत उत्पादन-वृद्धि की ओर निर्देश कर रहे हैं। एक लेख्य जिस में इस विषय पर आंकड़े दिये गये हैं सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या** ५]

(ख) इस समय तक एकाएक लिए गए नमूने भेजने की प्रक्रिया बहुत विश्वस्त हो चुकी है फिर भी उस पद्धति में सुधार की गुंजाइश है और निरन्तर रूप से अनसन्धान होने की आवश्यकता है। इस दिशा में तो भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं।

मद्रास, त्रावनकोर-कोचीन तथा मैसूर में राशन में चावल का अंश

*६९६. **श्री सी० आर० इय्युन्नी** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रावनकोर-कोचीन में प्रति व्यक्ति दिये जाने वाले राशन में चावल का अंश कितना है ?

(ख) मद्रास में प्रति व्यक्ति दिये जाने वाले राशन में चावल का अंश कितना है ?

(ग) त्रावनकोर-कोचीन, मद्रास तथा मैसूर राज्यों में यदि प्रति व्यक्ति ६ औन्स चावल दिया जाय तो चावल के राशन में कितना घाटा हो जायेगा ?

(घ) इन राज्यों में प्रत्येक की घाटे की प्रतिशतता कितनी है ?

(ङ) उपरोक्त राज्यों द्वारा वर्ष १९५१-५२ में चावल के राशन के कारण कितना घाटा उठाना पड़ा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) त्रावनकोर-कोचीन में प्रति वयस्क प्रति दिन ६ औन्स चावल राशन में दिया जाता है।

(ख) मद्रास में केवल चावल खाने वाले, मिला-जुला अन्न खाने वाले और ज्वार खाने वाले व्यक्यिों को प्रति दिन राशन में क्रमशः ७ औन्स, ४ औन्स और ३ औन्स प्रति वयस्क मिलते हैं।

(ग) इन राज्यों में यदि प्रति व्यक्ति ६ औन्स चावल का राशन दिया जाये तो घाटा इस प्रकार होगा :

त्रावनकोर-कोचीन	२१८,००० टन
मद्रास	१६,००० टन
मैसूर	३७१,००० टन

(घ) पुनः, यदि यह मान लिया जाय कि प्रति व्यक्ति प्रति दिन ६ औन्स चावल का राशन मिलता है तो उपरोक्त राज्यों में क्रमशः ३८·५, ०·५, ६४·० प्रति शत घाटा होगा।

(ङ) त्रावनकोर-कोचीन सरकार को आयात किया गया चावल क्रय-मूल्य से कम दाम पर बेचने से लगभग २१५·५ लाख रुपये का घाटा उठाना पड़ा है।

मद्रास और मैसूर के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही वह सदन पटल पर रखी जायेगी।

डायमंड हार्बर मे चावल के मूल्य

* ६९७. **श्री के० के० बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि २४ परगने के डायमंड हाबर उपविभाग की प्रत्येक पुलिस चौकी में और २४ परगने के सदर उपविभाग के विष्णुपुर, महाशताला, बज बज व मेत्रा ब्रुज़ नाम के पुलिस चौकी वाले राशनिंग पद्धतिहीन क्षेत्रों में चावल का औसत मूल्य क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : रिपोर्ट में बतलाया जाता है कि इन क्षेत्रों में चावल का खुले बाजार का थोक मूल्य ४३ रुपये प्रति मन है। माननीय सदस्य ने जिन पुलिस चौकियों के नामों का उल्लेख किया है, उन में चावल के चालू विक्रय-मूल्यों के आंकड़े हमारे पास नहीं हैं।

मद्रास को अनाज का आवंटन

*६९८. **श्री वीरस्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५२-५३ के लिये मद्रास राज्य को कितने टन अनाज का आवंटन किया गया है;

(ख) इस वर्ष के आवंटन में से मद्रास राज्य को आज तक कितने टन अनाज भेजा गया है ; तथा

(ग) चावल तथा गेहूं की पृथक् पृथक् मात्रा कितनी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) मूल योजना के अन्तर्गत पत्री वर्ष के आधार पर ही अनाज का आवंटन किया जाता है। सन् १९५२ के लिये मद्रास राज्य के निमित्त अनाज का अधिकतम आयात अभ्यंश ६.८७ लाख टन है।

(ख) और (ग). जनवरी से जून तक की अवधि में मद्रास को ३३७,२०० टन अनाज का आवंटन दिया जा चुका है जिस में से चावल १०५·२ हजार टन, गेहूं ७४·८ हजार टन और अन्य अनाज १५७·२ हजार टन हैं।

रेल डब्बों का नियतन

१३०. **श्री एन० पी० सिन्हा** : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय कोयला खान मालिक संस्था ने घरेलू प्रयोजनों के निमित्त निम्न स्तर के कोयले के परिवहन के लिये नियतन किये जाने वाले रेल डब्बों की वर्तमान पद्धति के विरुद्ध कोई शिकायत की है ?

(ख) यदि हां, तो नियतन की पद्धति क्या है ?

(ग) क्या उच्चतर श्रेणियों (बढ़िया किस्मों) के कोयले के परिवहन के लिये बार-बार प्राथमिकता दी जाती है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री ऐल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) कोयले के नियतन के लिय उद्योगों को उनके महत्व अथवा प्राथमिकता

के अनुसार विभिन्न समूहों में बांटा गया है। कोयले का अनुमानित उत्पादन उपभोक्ताओं की माँग और कोयला ढोने के लिये रेल डब्बों की प्रति दिन की आवश्यकता को दृष्टि न रखते हुये प्रत्येक मास के मध्य में उस से अगले महीने के लिये डब्बों का नियतन स्वीकृत हो जाता है। प्रत्येक उद्योग के लिये केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय समर्थक अधिकारी मंडल हुआ करता है और उस मंडल पर यह दायित्व रहता है कि वह इस बात का निश्चय करे कि किसी विशेष समूह में रहने वाली विविध इकाइयों (उद्योगों) की मांगें प्राप्त की जाती हैं तथा बहुत समय पहले कोयला आयुक्त के समक्ष रखी जाती है ताकि वह आगोमी महीने की नियतन की प्रस्थापना बना सके। कोयला आयुक्त द्वारा बनाई गई प्रस्थापनायें मंत्रालय को प्रस्तुत की जाती हैं और अन्य मंत्रालयों आदि से प्राप्त हुई मांगों के प्रकाश में उनकी जांच करने के बाद वह मागें बटवारे के अंतिम आंकड़ों सहित कोयला आयुक्त को वापिस भेजी जाती हैं। कोयला आयुक्त समर्थक अधिकारी मंडल तथा राज्यो को अंतिम अभ्यंशों के भंग होने का समाचार सुनाते हैं, और ये मंडल तथा राज्य कोयला आयुक्त को दिये गये परामर्श के अनुसार उद्योग की व्यवितगत इकाइयों को जिन पर वे नियंत्रण करते हैं, कोयला आदि वितरित करते हैं और आज्ञा पत्र जारी करते हैं। इसके पश्चात् आज्ञा-पत्र वाले उन कोयला खानों से जहां से वे कोयला खरीदना चाहते हों ठेके कर लेते हैं। ये ठेके उस प्रकार के सामान्य अनुदेशों के अनुसार होते हैं जो कोयला आयुक्त द्वारा परिवहन का अतिव्ययी प्रयोग रोकने अथवा किसी भी विशेष उपभोक्ता समूह को किसी विशेष श्रेणी का कोयला दिये जाने के लिये समय ससय पर जारी होते हों। इन क़रार पत्रों की प्राप्ति पर कोयला आयुक्त प्राथमिकता स्वीकृतियां निकालते हैं जो सम्बद्ध रेल अधिकारियों के नाम आदेश के रूप में होते हैं कि वे उन स्वीकृतियों के निमित्त रेल डिब्बों के लिये वस्तुसूचियां स्वीकार करें इन स्वीकृतियां का सार रेल कार्यालयों द्वारा अपने रजिस्टरों में लिख जाता है।

प्रत्येक कोयला खान, जिसे कोयला भेजने के लिये आदेश मिले होते हैं कोयला लादे जाने के समय से ७२ घंटे पूर्व सम्बद्ध रेल अधिकारियों के समक्ष एक नियत पत्र पर एक वस्तुसूची प्रस्तुत करती है। रेल कार्यालयों द्वारा रखे गये रजिस्टरों को देख कर इन वस्तुसूचियों को मिलाया जाता है और यदि वस्तुसूचि बिल्कुल क्रम में हो तो उसे स्वीकृत किया जाता है। इस के बाद रेल के अधिकारी उद्योग तथा मार्ग के हिसाब से इन वस्तुसूचियों का सार बना कर उन्हें कोयला आयुक्त के पास भेज देते हैं। इन सारों की प्राप्ति पर कोयला आयुक्त सम्बद्ध रेल प्रधान कार्यालय से इस बात का निश्चय कर लेते हैं कि उस दिन कोयला लादने के निमित्त कितने रेल डिब्बों को आवश्यकता है। चूकि वस्तुसूचियां प्रायः उपलब्ध रेल डिब्बों की संख्या से अधिक होती हैं अतः कोयला आयुक्त के कार्यालय को रेल कार्यालय से प्राप्त हुये वस्तुसूची सार को बारीकी से देखना पड़ता है, और फ़िर उद्योगों की प्राथमिकता प्रत्येक उद्योग को उस महीने दिये जाने वाले कोयले की टनों में मात्रा, व्यक्तिगत इकाइयों की स्कन्ध स्थिति गम्यस्थान (स्टेशन) की सीमायें और कुछ अन्य विशेष बातें जैसे कि यातायात की कठिनाइयों के कारण किसी विशेष दिशा में सामान बुक करने के प्रतिबन्ध आदि आदि को ध्यान नें रखते हुये ही रेल डिब्बों के बटवारे का निश्चय करना पड़ता है। इस के पश्चात कोयला क्षेत्रों में स्थापित रेल बटवारा कार्यालयों को टेलीफोन

पर अंतिम रूप में उन आंकड़ों की सूचना दी जाती है, और वे कार्यालय तदनुसार डिब्बे लाने ले जाने की आज्ञा देते हैं।

(ग) उठाये जाने वाले कोयले की श्रेणी के अनुसार नहीं अपितु उपभोक्ता के उपभोग के महत्व के अनुसार रेल डब्बों के दिये जाने में प्राथमिकता बरती जाती है। यों तो जैसा विदित भी है कि उच्च प्राथमिकता वाले उपभोक्ता प्रायः बढ़िया किस्म का कोयला लेते हैं अतः घटिया स्तर के कोयले की अपेक्षा उन के कोयले को पहले ढोया जाता है।

लेखा तथा वित्तीय कृत्यों का पृथक्करण

१३१. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) रेलों मे वित्तीय तथा लेखा कार्य के पृथक्करण की क्या प्रगति हुई है ; तथा

(ख) क्या इस विषय पर लोक लेखा समिति को रिपोर्ट भेजी गई है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) सन् १९४८ में पृथक् वित्तीय पक्ष की आवश्यकता का अनुभव किया गया था, और यह पक्ष लेखा पक्ष से भिन्न होगा तथा वित्तीय परामर्शदाता और मुख्य लेखा पदाधिकारी के अधीनस्थ होगा ताकि वित्तीय मामलों पर अधिक और अधिक बारीकी से ध्यान केन्द्रित किया जा सके। सर्वप्रथम दो रेलों यानी भूतपूर्व बी० बी० तथा सी० आई० और भूतपूर्व जी० आई० पी० रेलों पर पृथक् वित्त पक्ष को चालू किया गया था और जब इस ने संतोषजनक प्रगति दिखाई तो भूतपूर्व ई० आई० रेल पर भी इसका प्रचलित किया गया। सभी भारतीय रेलों के छः महाखण्डों में एकीकृत किये जाने के साथ वित्तीय परामर्शदाता तथा मुख्य लेखा पदाधिकारी के अधीनस्थ काम करने वाले वित्तीय उप-परामर्शदाता के प्रशासन भार के अन्तर्गत प्रत्येक महाखण्डीय रेल विभाग में एक पृथक् एवं विशिष्ठ वित्त विभाग की स्थापना की गई है।

इस प्रश्न पर भी विचार किया गया है कि क्या इस प्रकार का पृथक्करण विभागीय अध्यक्ष के स्तर तक, जिसमें स्वतन्त्र हैसियत के दो पृथक् विभाग हैं भी लागू किया जाना चाहिये, और इस बात का अनुभव किया जाता है कि वित्त तथा लेखा के पृथक्करण से जो दो स्वतंत्र विभागीय अध्यक्षों का कार्य आरम्भ होगा उस से न वित्त संस्थापन का भला होगा और न रेल प्रशासन को ही कोई लाभ होगा।

(ख) जी नही। लोक लेखा समिति की अगली बैठक में ही यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

टेलीप्रिंटर

१३२. श्री एन० बी० चौधरी : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने एक अमरीकी न्यूज़ एजेंसी को भारत में टेलीप्रिंटर लगाने की अनुमति दी है ?

(ख) यदि हां, तो क्या उस एजेंसी ने कार्य आरम्भ किया है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सरकार ने यूनाइटेड प्रेस एसोसिएशंस, जो एक अमरीकी न्यूज़ एजेंसी है को केवल कुछ टेलीप्रिंटर पट्टे पर दिये हैं। यह कहना सर्वथा अशुद्ध है कि उक्त एजेंसी को भारत में टेलीप्रिंटर लगाने की अनुमति मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। युद्धकाल से न्यूज़ एजेंसी भारत में काम करती रही है, इसीलिये बहुत समय पहले इसे यह टेलीप्रिंटर सुविधाएं पट्टे पर दी गई थीं।

अनाज का आयात (इन्कार)

१३३. **श्री बादशाह गुप्ता** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १ जनवरी, १९५१ और २१ मई, १९५२ के बीच की अवधि में किसी देश द्वारा भारत को अनाज देने की प्रस्तावना को संघ सरकार ने अस्वीकार किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की भेंट को अस्वीकार करने के कारण क्या थे ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). वीतनाम सरकार ने विगत मई में वाणिज्यिक प्रणालियों द्वारा क्रय करने के लिये मई, जून और जुलाई, १९५२ में प्रति मास ५,००० टन चावल का अभ्यंश देने की पेशकश रखी थी। चूंकि वीत नाम में चावल के दाम बहुत ही ऊंचे थे, अतः यह पेशकश स्वीकार नहीं की गई।

अण्डमान द्वीपों के लिये पंचवर्षीय योजना

१३४. **श्री बी० आर० भगत** : क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने अण्डमान और निकोबार द्वीपों के लिये कोई पंचवर्षीय योजना स्वीकार की है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य मदें क्या हैं ; तथा

(ग) इस योजना पर कितनी पूंजीगत राशि व्यय की जाने वाली है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (ग). सरकार एक ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिस से पांच वर्षों में अण्डमान द्वीपों में लगभग २०,००० एकड़ वन भूमि साफ़ की जायेगी और उस पर कृषक परिवारों को बसाया जायेगा। इस योजना के वित्तीय पक्ष की, जिसमें सड़क, स्कूल, औषधालय, आदि भी सम्मिलित हैं, जांच की जा रही है।

बिना टिकट यात्रा

१३५. **पंडित एम० बी० भार्गव** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५१-५२ में विभिन्न रेल-मार्गों पर पकड़े गये बिना टिकट के यात्रियों की संख्या कितनी है ;

(ख) वर्ष १९५१-५२ में इस कारण रेल प्रशासन ने कितना भाड़ा और दण्ड प्राप्त किया ;

(ग) वर्ष १९५१-५२ में बिना टिकट के यात्रा करने के अपराध में पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा कितना दण्ड उन से प्राप्त किया गया है ; तथा

(घ) वर्ष १९५१-५२ में रेलवे प्रशासन द्वारा इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये अतिरिक्त कर्मचारी-वर्ग पर कुल कितना धन व्यय किया गया ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल बी शास्त्री) : (क) ७९,००,९१८।

(ख) १,६५,५८,१८० रुपये।

(ग) बिना टिकट यात्रा करने के अपराध में पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या १,५९,४८६ थी। ४,५७,०६४ रुपये दण्ड रूप से वसूल किये गये।

(घ) ९,१६,२४० रुपये।

मिलो का आयात

१३६. **श्री रामैय्या** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४८ से १९५१ तक के वर्षों में अमरीका से ज्वार की कितनी मात्रा मंगाई गई है ?

(ख) ज्वार के क्रय पर कितना धन व्यय किया जा रहा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) सन् १९४८ से १९५१ तक के वर्षों में अमरीका से आयात किये गये ज्वार की मात्रा इस प्रकार से है :

१९४८ · २·०२ लाख टन

१९४९ · ३·५७ लाख टन

१९५० · ३·४४ लाख टन

१९५१ · ५·८९ लाख टन ।

(ख) अनुमान किया जाता है कि इस वर्ष ६·६२ लाख टन ज्वार आयात किया जायेगा, और इस पर लगभग २९ करोड़ रुपये व्यय होंगे ।

पश्चिमी रेलवे के स्टेशनों का पुनः बनाया जाना

१३७. श्री एम० एम० गांधी : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि पश्चिमी रेलवे के पंचमहल ज़िले में स्थित गोधा स्टेशन का नये ढंग से निर्माण होगा ;

(ख) क्या सन् १९५२-५३ के आय-व्ययक में इस के निर्माण का व्यय भी सम्मिलित है ; और

(ग) क्या इसी वर्ष इस का निर्माण आरम्भ किया जायेगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) इस स्टेशन को नये ढंग की बनावट के लिये जो प्रस्थापना है वह विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). जी नहीं ।

रेलवे सम्बन्धी दावे

१३८. श्री रामानन्द दास : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रेल विभागों ने (१) निजी व्यक्तियों की सम्पत्ति की चोरी, (२) वस्तुओं के खो जाने ; और (३) १९५१-५२ में संपत्तियों की क्षति के सिलसिले में क्षतिपूर्ति तथा दावे पूरे करने में कितनी धन-राशि दी ?

(ख) भारत सरकार ने वस्तुओं के खो जाने और चोरियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

(ग) कितने मामलों में अपराधियों को पकड़ा गया है ?

(घ) उनमें से कितने व्यक्तियों को न्यायालयों से दण्ड मिला है ?

(ङ) रेल विभाग के कितने कर्मचारियों और पदाधिकारियों को इस अपराध में पकड़ा गया है, और उन में से कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : यह सूचना उस क्रम से इस समय उपलब्ध नहीं, जिस क्रम से माननीय सदस्य द्वारा पूछी गई है, अतः इसी क्रम से इस का विशेष संग्रह किया जा रहा है । तैयार होने पर यथाक्रम सभी सूचना सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

ढोर-डंगर

१३९. श्री झूलन सिन्हा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) आज तक भारत में पशुओं के सुधार के लिये क्या काम किया गया है ;

(ख) भारत में दुधारू पशुओं की संख्या कितनी है ;

(ग) प्रति वर्ष कितनी दुधारू गाय-भैंसों का वध किया जाता है ; तथा

(घ) देश में वाहक पशुओं, विशेषतः बैलों, की संख्या कितनी है और कृषि की मांगों को पूरा करने के लिये कितने पशुओं की आवश्यकता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) पशुओं के सुधार एवं विकास कार्य के सिलसिले में सरकार ने जो उपचार किये हैं, वह इस प्रकार से हैं :

(१) अच्छी नस्ल की उत्पत्ति छूत से लगने वाली पशुओं की बीमारियों का उपचार एवं रोक, टीके तथा रस, कृत्रिम गर्भाधान, पशु-पोषण तथा पशुपालन, से सम्बन्धित अनुसंधान कार्य मुक्तेश्वर एवं इज्जत नगर स्थित भारतीय वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और बंगलौर स्थित भारतीय डेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया जा रहा है। इन अनुसंधानों के परिणाम समय समय पर राज्य सरकारों और लोगों को सूचित किये जाते हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने भी देश में पशुओं के सुधार के लिय विवि अनुसंधान योजनाओं को वित्तीय सहायता दी है और वह सहायता अब भी जारी रखी है। उक्त परिषद् की रिपोर्टें जिन में किये जाने वाले कार्यों के ब्यौरे तथा प्राप्त किये गये परिणाम दिये गये हैं, सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

भारतीय पशुओं के विकाश के लिये राष्ट्रीय योजना में एक विशद योजना भी सम्मिलित है और इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(२) राज्य सरकारों तथा जनता को पशु सम्बन्धी बीमारियों के फैलने के सम्बन्ध में सामयिक सूचना को इकट्ठा करने तथा उसका प्रसार करने के लिये व्यवस्थायें मौजूद हैं, जिन से वे लोग बीमारियों को रोक सकते हैं, और पशुओं को बीमारी का शिकार होने से बचा सकते हैं।

(३) केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये सन् १८९८ के पशु आयात अधिनियम के अन्तर्गत ढोरों का आयात नियंत्रित किया गया है और राज्य सरकारों द्वारा इस बात के उपाय भी किये गये हैं कि भारत में कोई नए प्रकार की पशुओं की बीमारियां न फैलने पायें।

(ख) दुधारू भैंसों को छोड़ कर उन की संख्या १९.७,०००,००० है।

(ग) सरकार के समक्ष कोई भी सूचना नहीं है।

(घ) भारत में भैंसों को छोड़ कर ५७.१,०००,००० वाहक ढोर हैं। इस बात की तो कोई भी सूचना नहीं है कि देश की कृषि-सम्बन्धी मांग को पूरा करने के लिये कुल कितने पशुओं की आवश्यकता है।

दूध

१४०. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में प्रति व्यक्ति के उपभोग के लिये कितना दूध उपलब्ध है; तथा

(ख) भारत में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) प्रति वर्ष ४,८१५ मन दूध निकलता है जिससे प्रति व्यक्ति को प्रति दिन ५.४५ औन्स दूध उपभोग के लिये प्राप्त होता है ।

(ख) सहकारी दूध संघ तथा समाज तथा ग्राम्य सहकारी मक्खनशालाओं की संस्थापना के लिये राज्य सरकारों द्वारा पग उठाये जा रहे हैं, और इस के साथ ही पशुओं की नस्ल के सुधार के लिये अधिक पशु पाले जा रहे हैं, और पशुशालायें स्थापित की जा रही हैं ।

अनाज का आयात (मूल्य)

१४१. **श्री बादशाह गुप्ता :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १ जनवरी, १९५१ से २१ मई, १९५२ के बीच की अवधि में विविध देशों से अनाज की कितनी मात्रा प्राप्त की गई थी; तथा

(ख) किसी भी भारतीय बन्दर पर उतारने तक के सभी भाड़ों सहित क्रमशः प्रत्येक प्रकार के अनाज का प्रति मन मूल्य कितना था ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) एक विवरण जिस में प्रत्येक निर्यातक देश से भारत में आयात किये गये अनाज की मात्रा दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है ।

(ख) २१ मई, १९५२ तक आयात किये गये अनाज के लिये दिये गये मूल्य का विस्तृत ब्यौरा अभी लन्दन और वाशिंगटन से प्राप्त नहीं हुआ है । उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से जहाजी भाड़े सहित कुल ३३७ करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं । प्रत्येक देश से प्रत्येक प्रकार के आयात किये गये अनाज का प्रति मन मूल्य क्या था यह बतान लोकहित में नहीं है ।

विवरण

१ जनवरी, १९५१ से २१ मई, १९५२ तक आयात किये गये अनाज की मात्रा

अनाज	प्राप्ति-स्थान	मात्रा (आंकड़े हज़ार टनों में)
गेहूं	आस्ट्रेलिया	३००.५
	कनाडा	४९२.६
	संयुक्त राज्य अमरीका	३२४१.९
	आर्जेनटाइन	५१२.१
	युरुगुये	२९.१
	रूस	९८.९
		४६७५.५
गेहूं का आटा	आस्ट्रेलिया	५४.८
मिलो	संयुक्त राज्य अमरीका	८५१.६
	चीन	४४०.४
		१२९२.०
सोरघुम	आस्ट्रेलिया	११.८

(आंकड़े हज़ार टनों में)

अनाज	प्राप्ति-स्थान	मात्रा
चावल	ब्रह्मा	४७२.५
	पाकिस्तान	१५७.८
	थाइलैण्ड	२७७.०
	चीन	६५.७
	मिस्र	५.०
		९७८.०
	योग	७०१२.१

राज्यों के लिये आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० कर्मचारी

१४२. **श्री संगण्णा** : क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत के प्रत्येक राज्य के लिये आई० ए० एस० और आई० पी० एस० पदाधिकारियों का (पृथक् पृथक्) कितना अभ्यंश निर्धारित किया गया है;

(ख) किस आधार पर यह अभ्यंश निर्धारित किया गया है; तथा

(ग) इन पदाधिकारियों की सेवाओं को नियंत्रित एवं नियमित करने के सम्बन्ध मे राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के बीच क्या व्यवस्था की गई है?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) एक विवरण, जिसमें इन विभिन्न राज्यों में से प्रत्येक की भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा श्रेणियों की अधिकृत संख्या दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६**]

(ख) प्रत्येक राज्य श्रेणी की संख्या उन राज्य सरकारों द्वारा संभरण किये जाने वाले वरेष्ठ प्रशासनीय पदों, जो साधारणतया अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों द्वारा पूरे किये जाते हैं, और चलाये जाते हैं, की संख्या पर आधारित है।

(ग) इस समय इन दोनों सेवाओं का संस्थापन और नियंत्रण उन करारों पर आधारित है जो केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों के बीच किये गये थे। उस करार के ज्ञापन की प्रतियां सदन पटल पर रखी जाती हैं। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७**]

अब भविष्य में इस सेवा की शर्तें उन नियमों पर निर्भर होंगी जो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत बनाये जा रहे हैं।

Tuesday, 10 June 1952

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

(First Session)

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

मंगलवार, १० जून १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-२० म० पू०

सभापति तालिका

अध्यक्ष महोदय : कार्य संचालन तथा प्रक्रिया नियमों के नियम ८ उपनियम (१) के अधीन मैं ने पहले अस्थायी रूप में जिन सदस्यों को मनोनीत किया था उन के स्थान पर मैं इस सभापति तालिका का नाम-निर्देशन करता हूं : पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन, श्री हरि विनाय क पाटसकर, श्री एन० सी० चटर्जी तथा श्रीमती रेणु चकवर्ती ।

सामान्य आयव्ययक-अनुदानों की मांगें

अध्यक्ष महोदय : अब सदन सामान्य आयव्ययक से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों को लेगा । विभिन्न मंत्रालयों के विषय में समय सूचनापत्र सदस्यगणों के पास पहुंच चुका है । आज रक्षा मंत्रालय की बारी है । भाषणों का समय सभी सदस्यों

के लिये १५ मिनट और उत्तर देने वाले मंत्रियों के लिये २० मिनट रहेगा । अब मैं मांगें सदन के सम्मुख रखता हूं ।

मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव है :

"३१ मार्च १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'रक्षा मंत्रालय' के निमित्त जो व्यय होगा, उसको पूरा करने के लिये राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि से १७,२३,००० रुपये तक राशि दी जाये ।"

मांग संख्या १२ रक्षा-सेवायें क्रियाकारी-सेना

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"३१ मार्च १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'रक्षा सेवायें—क्रियाकारी सेना' के निमित्त जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिये राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि में से १,१३,३०,४३,००० रुपये तक राशि दी जाये ।"

मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें-क्रियाकारी नौसेना

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"३१ मार्च १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'रक्षासेवायें—क्रिया

[अध्यक्ष महोदय]

कारी नौसेना' के निमित्त जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिये राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि में से ७,५०,३६,००० रुपये तक राशि दी जाये ।"

मांग संख्या १४—रक्षा सवायें—क्रियाकारी वायुसेना

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"३१ मार्च १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'रक्षा सेवाये—क्रियाकारी वायुसेना' के निमित्त जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिये राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि में से १५,४८,०७,००० रुपये तक राशि दी जाये ।"

मांग संख्या १५—रक्षा सवायें—अक्रियाकारी व्यय

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"३१ मार्च १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'रक्षा सेवायें—अक्रियाकारी व्यय' के निमित्त जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिये राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि में से १०,६५,५१,००० रुपये तक राशि दी जाये ।'

मांग संख्या १६—रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत फुटकर व्यय

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"३१ मार्च १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत फुटकर व्यय' के निमित्त जो व्यय होगा उस की पूर्ति के लिये राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि में से ३,३३,०००, रुपये तक राशि दी जाय ।"

मांग संख्या १०३—रक्षा पूजी व्यय

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"३१ मार्च १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'रक्षा पूंजी व्यय' के निमित्त जी व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिये राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि में से ११,३३,३४,००० रुपये तक राशि दी जाये ।"

रक्षा संगठन की नीति

श्री यू० सी० पटनायक (घुमसूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"'रक्षा मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

रक्षा सेवाओं से बृटिश तथा राष्ट्रमंडलीय प्रभाव मिटाने में असफलता

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"'रक्षा मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन में उच्च पदों पर अधिक व्यय

श्री के० सुब्रह्मण्यम (विजियानगरय) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'रक्षा मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

(१) सेना, नौसेना तथा वायुसेना के व्यक्तियों के वेतन क्रम और सुविधायें

(२) अधिकारियों और सैनिकों को कार्यच्युत करना तथा सेवायुक्त करना

(३) रक्षा संगठन में बचत और कार्यक्षमता तथा राष्ट्रनिर्माण सेवाओं में इस का उपयोग

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (वसीरहाट) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

(१) "'रक्षा मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

(२) "'रक्षा मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

(३) "'रक्षा मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

अध्यक्ष महोदय : अब ये सारे कटौती प्रस्ताव सदन के सामने हैं।

रक्षा मंत्री (श्री **गोपालस्वामी**) : श्रीमान, क्या मैं यह समझूं कि और कटौती प्रस्ताव नहीं हैं और क्या मांग संख्या ११ पर चर्चा एक निश्चित समय में समाप्त हो जायेगी या कल तक चलेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से माननीय मंत्री के उत्तर सहित यह समझौते के अनुसार आज पूरे दिन और कल १ म० पू० तक चलेगा। अर्थात् विवाद लगभग १०-१५ म० पू० तक चलेगी माननीय मंत्री ४५ मिनट चाहेंगे ?

श्री गोपालस्वामी : जी हां।

सांसद कार्य मंत्री (श्री **सत्य नारायण सिन्हा**) : अर्थात उससे पहले माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, क्या और कोई कटौती प्रस्ताव है ?

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर): मेरा प्रस्ताव है।

रक्षा नीति

श्री रामचन्द्र रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"'रक्षा मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

अध्यक्ष महोदय : पहले के छः कटौती प्रस्तावों समेत यह प्रस्ताव भी सदन के समक्ष है।

श्री यू० सी० पटनायक : चूंकि मेरा कटौती प्रस्ताव और बचत और कार्यकुशलता वाला प्रस्ताव दोनों ही सेना व्यय के अभिनवीकरण को लेते हैं, इसलिये मैं दोनों की ही चर्चा करते हुए कुछ ऐसी बातों पर ध्यान दूंगा, जो मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण की आलोचना के सिलसिले में भी कही थीं, और आशा है अब तो उत्तर दिया जायेगा। मैं रक्षा व्ययों में कमी नहीं चाहता, पर स्वयं वित्त मंत्री ने कहा था कि कुछ विशेषज्ञ रक्षा संगठन और व्यय में बचत की जांच कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने एकतंत्र और संधीय सरकारों का भेद बताते हुए इस व्यय को वस्तुतः २५ प्रतिशत सिद्ध करने का यत्न किया था ; पर प्रश्न कितना व्यय करने का नहीं, कैसे व्यय करने का है। प्रश्न यह है कि रक्षा के संगठन और सामाजिक आर्थिक ढांचे के साथ उसके समन्वय के लिये आपके पास क्या योजना या कार्यक्रम है। रूस में रक्षा व्यय १९४७ में लगभग १८·१ प्रतिशत, १९५० में १९·६ प्रतिशत और १९५१ में २१ प्रतिशत था, तथा अमरीका में यह १९५० में ३३ प्रतिशत और १९५१ में ४७ प्रतिशत था। पर इसका अर्थ यह नहीं कि रूस रक्षा व्ययों को भुला देता है, और अमरीका सामाजिक आर्थिक ढांचे को। इन दोनों के समन्वय का अनुपात ऐसा होना चाहिये कि एक दूसरे को लाभ पहुंचायें ; यही वहां पर होता है।

कहने को हमारी रक्षा का ढांचा इंगलैंड जैसा है, पर वहां १८७०-७१ के कार्डवेल सुधारों से कम व्यय और बढ़ी हुई कार्यकुशलता को ध्येय बनाया गया है। यह आप नहीं करते। ८० वर्ष बाद लार्ड मांटगोमरी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता

[श्री यू० सी० पटनायक]

अपना लक्ष्य घोषित कर दिया और संरक्षित प्रादेशिक सेना बनाई । जैसा शायद लार्ड अलेक्जेंडर ने कहा था गरीब अमीर की खाई दूर करना रक्षा-प्रयत्नों के लिये अत्यावश्यक है । १९४७ के बाद इंगलैंड की सेना का पुनः संगठन और आधुनिकीकरण इस ढंग से किया गया है कि अधिकाधिक रक्षा सम्बन्धी उत्पादन हो और सामाजिक-आर्थिक कार्यों के लिये श्रमिक भी प्राप्त हो सकें । अमरीका में भी रक्षित सेना नीति पर्षद्, सार्वजनीन सैनिक शिक्षा आदि योजनाओं द्वारा भी प्रायः वही कार्य हो रहा है और ऐसा ही दूसरे राष्ट्रमंडल के देशों में भी । हमारी पुरानी पायक प्रथा के अनुसार लोगों को सैनिक पदों के बदले खेती के लिये जमीन दी जाती थी और रक्षा और विकास समन्वित रहते थे । हमें अपनी परिपाटियों को ले कर नये तरीकों के अनुसार अपने देश को संगठित और समन्वित करना है । हमारी नौसेना हमारे तटों या वायु सेना हमारे आकाश की रक्षा के लिये नहीं है । लड़ाई के तरीके बदल रहे हैं । तेज हवाई हमले, पैराशूट से उतर कर टुकड़ियों का सहसा टूट पड़ना, औद्योगिक केंद्रों या महत्वपूर्ण संचरण मार्गों या घनी नागरिक बस्तियों पर धुआंधार बम बरसा कर या रेडियो आदि से प्रचार कर जनता की नैतिक शक्ति तोड़ देना या जासूसी से भीतरी विध्वंस आदि करा देना—ये सब नये तरीके हैं । क्या हमारी सेना ऐसे आक्रमणों से हमारी रक्षा कर सकेगी ? अतः हमें यह विचार करना है कि बचत करते हुए भी किस प्रकार हमारी रक्षा सेवायें कार्यकुशल बनायी जा सकती हैं ?

क्रामवेल ने कहा था कि प्रत्येक सैनिक के सामने एक आदर्श हो, जिसके लिये वह लड मरे । जनता के अपने आदर्श सिद्धांत होने चाहिये । अब तो राष्ट्रीयतावाद भी नहीं रहा । प्रादेशिक सेना की पुस्तिका के अंत में अवश्य सब की भलाई का कुछ आदर्श रखा गया है । अतः ऐसी कुछ भावना होनी चाहिये । ब्रिटिश-काल वाला पैसे का लोभ ही सब कुछ नहीं । ये लोग कुछ सामाजिक कार्य कर रहे हैं, पर वह पर्याप्त नहीं है । फिर सेना के कूच व्यय गुप्त अस्त्र आदि भले ही गोप्य रखे जायें, पर अस्त्रों, जीपों के प्रवादों या अकार्यक्षमता को छिपाने वाली इस पुरानी गोपनीयता को अब यथासंभव खत्म करना चाहिये । मुझे प्रवादों की उतनी चिंता नहीं, पर अकार्यक्षमता चलाते रहने के लिये यह अतिगोपन उचित नहीं है ।

मैं रक्षा व्ययों की कमी नहीं चाहता । पुनःसंगठन और आधुनिकीकरण करिये । पर शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा की शाखाओं और रक्षा उद्योगों को भी बढ़ाइये, जिस से सेना से छूटने के बाद सैनिक सामाजिक हित का काम कर सकें ।

रक्षा व्यय के सामाजिक-आर्थिक अंश को अब अनुत्पादक नहीं रहने दिया जासकता । महात्मा गांधी ने १९४६ में हरिजन में इसे सामाजिक-आर्थिक उपयोग में लाने की बात कही थी और यही बात कांग्रेस के बंगलौर अधिवेशन के सभापति के पद से प्रधान मंत्री ने भी कही थी । पर अचंभा है कि योजना आयोग ने ऐसी महत्वपूर्ण बात ठुकरा दी । सेना, नौसेना और वायुसेना को कैसे नये ढंग से संगठित करके सामाजिक-आर्थिक उपयोग में लाया जाये और मछुए, आदिवासी, किसान, मजदूर सभी विकासकार्य करते हुए किस प्रकार रक्षा-भार भी संभालें, इस पर मैंने एक किताब छपा कर योजना आयोग के पास भेजी थी । उत्साहवर्द्धक उत्तर तो मिला था, पर कार्यवाही कुछ न

हुई। सो इस आयव्ययक से रक्षा के विषय में 'प्रतीक्षा करने और देखने' की प्रेरणा ही मिलती है, जब कि हमारे राष्ट्रनेताओं से 'आगे बढो' सुनने की आशा थी।

मेजर-जनरल भोंसले (रत्नागिरी उत्तर): मैं ने रक्षा आयव्ययक पर होने वाले भाषण ध्यान से सुने, जिनमें खतरे पर ध्यान दिये बिना व्यय में कमी करने की बातें कही गयीं थीं। अंग्रेजों के शासन काल में भारतीय सेना साम्राज्य की रक्षा के लिये थी। अब हमें अपेक्षाकृत अधिक खतरनाक हथियारों से स्वयं अपने देश की रक्षा करनी है। राष्ट्र पैदा नहीं होते, बल्कि जनता के विश्वस्त नेताओं द्वारा बनाये जाते हैं। हमें अपनी स्वाधीनता की रक्षा तथा घर की शांति और सुख-समृद्धि के लिये सेना को दलों राजनीति से उपर रखना होगा। तटस्थता रखना अपने को सबल बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। भारतीय सैनिक दुनियां में कभी किसी से पीछे नहीं रहे और उचित आत्मिक प्रशिक्षा और उचित अस्त्र मिलने पर वे शेर के समान किसी भी शत्रु पर टूट पडेंगे। भारत को तटस्थ रख कर प्रधान मंत्री उसकी पुरानी शांतिप्रिय परिपाटी को ही निभा रहे हैं।

शस्त्रों की वैज्ञानिक प्रगति ने दूरी कम कर दी है और हमें २१०० मील लंबी भूसीमा और २५०० मील लंबी समुद्रसीमा की रक्षा करनी है। हमारी सीमा से परे प्रगतिशील सिद्धांत अग्रसर हो रहे हैं। भारी हवाई बम-वर्षक आकर हमारे सैनिक या रसद या औद्योगिक केंद्रों, संचरण मार्गों को और जनता में निराशा और भय पैदा करने के लिये बस्तियों को, ध्वंस कर सकते हैं। इस सबका सामना करने के लिये सुदृढ़ वायु-सेना, विमानवेधी तोपों, सीमा पर सामरिक हवाई अड्डों, और विशिष्ट स्थानों पर लड़ने के लिये गुरिल्ला टुकड़ियों आदि की आवश्यकता है। अब एक सैन्यवाहक हवाई जहाज का दाम ३० लाख रुपये हैं, पर जल्दी विशिष्ट स्थानों पर सेना को पहुंचाने के लिये वे अत्यावश्यक हैं। फिर दुश्मनों की भारी सेनाओं से लडने के लिये हमारे पास भारी सेना भी चाहिये।

लोग सेना को एक तिहाई कर देने की बात करते हैं, जो संभव होता तो सरकार या प्रधान मंत्री तुरन्त कर देते। पर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की दृष्टि में यह भारी खतरा है। हमें एक सुदृढ़ सशस्त्र, सक्षम और क्षिप्रगामी सेना की आवश्यकता हैं। आक्रमण के लिये नहीं पर उसे रोकने के लिये। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण भी उसकी जनशक्ति, सैनिक शक्ति और नैतिक शक्ति प्रबल होनी चाहिये। इस सब के लिये हमारा विदेशी सामग्री पर निर्भर रहते चला जाना अच्छा नहीं है। हमें तुरन्त अपने आप अपनी सामग्री बनानी चाहिये और ऐसे उद्योग खड़े करने चाहिये, जो शांति काल के कार्यों से तुरन्त युद्धकाल के कार्य करने में लग सकें और आधुनिक अस्त्रों के मुश्किल से मुश्किल पुरजे बना सकें। सुधार के लिये एक वैज्ञानिक खोज विभाग भी आवश्यक है।

हमारा सेना आयव्ययक १९७ करोड़ रुपय या वित्त मंत्री के कथनानुसार कुल का २५ प्रतिशत है। अमरीका में १९५१-५२ के ७१,५९,४० लाख डालर के आयव्ययक में रक्षा पर ४१,४२,०० लाख डालर व्यय हुए थे और १९५२-५३ के ८५,४०,०० लाख के आयव्ययक में रक्षा पर ५१,२०,०० लाख डालर व्यय हो रहे हैं। इंगलैंड में १९५१-५२ के ४,१९,६० लाख पौंड के आयव्ययक में रक्षा पर १,१६,०० लाख पौंड व्यय हुए और १९५२-५३ के ४,६६,१० लाख पौंड में वे १,२६,०० लाख पौंड व्यय कर रहे हैं। इसलिये भले ही खाद्याभाव और निर्धनता के समय भारत के लिये १९७

[मेजर-जनरल भोंसले]

करोड़ राशि बड़ी प्रतीत हो, भारत के समृद्ध होने पर उसे और अधिक व्यय करना होगा। यह तो मामूली सी रकम है।

१० म० पू०

उपर्युक्त प्रथम श्रेणी के राष्ट्रों को तो छोड़ ही दीजिये, चीन और जापान तक ने आधुनिक सामग्री न होने पर भी भारी नाम कमा लिया है, जो उनकी आत्मिक शक्ति और परिपाटियों का परिचायक है। दक्षिण सागर (साउथ सी) द्वीप में युद्ध समाप्ति होने पर भी जापानियों को इसका विश्वास न हुआ और उन्होंने हथियार नहीं छोड़े। यह पुरानी परिपाटियों पर विश्वास के कारण जागृत उनकी आत्मशक्ति का उदाहरण है, जिसे हम विदेशी शासन काल में भूल गये। अब भारत की सेना को अजेय बनाने के लिये 'मृत्यु या यश' जैसे नारों को फिर अपनाने की जरूरत है। यह सुझाव दिया गया है कि प्रादेशिक सेना द्वितीय रक्षा पंक्ति है, पर काम उस आत्मशक्ति ही आती है, हथियार नहीं। एक जापानी का कहना था कि ईंटों पत्थरों से भी भारतीय बहुत पहले स्वराज्य प्राप्त कर सकते थे।

यह भी कहा गया है कि सेना से अन्न पैदा कराया जाये। ठीक है। संकट में वह करेगी भी। पर यह उस का काम नहीं। यदि शत्रु जान जाये कि एक ब्रिगेड या डिवीजन रायलसीमा में खेती करने गया है और मान लो फसल तैयार हो रही है, तभी शत्रु इस विशाल सीमा पर कहीं गड़बड़ कर दे, तो क्या होगा? अतः सेना संकट के समय यह काम कर सकती है। रायलसीमा में उस ने किया भी है। पर उन का काम कुछ और भी है। आज की सेना एक विशाल वैज्ञानिक संगठन है, साथ ही एक सामान्य आदमी जो काम एक रुपये में करता है, सेना तीन में करेगी, और यह खर्चीला हो जाने से वित्त मंत्री और धन मांगेंगे। इसलिये सेना का इस काम में भेजना ठीक नहीं है। अन्त में अपने साथियों से मेरा अनुरोध है कि अपनी सेना के सुदृढ़ और अजेय बनाने में सरकार को सहयोग दें।

श्री मती रेणु चक्रवर्ती: १९७ करोड़ रुपयों का यह आयव्ययक—हमारे कुल व्यय का लगभग आधा—बहुत भारी है, और भले वित्त मंत्री सभी राज्यों के राजस्व को मिला कर इसे चौथाई सिद्ध करें, पुलिस-व्यय को मिला कर यह ४० प्रतिशत हो जाता है, जो अकाल, खाद्याभाव, शिक्षा-स्वास्थ्य आदि में कटौती की दृष्टि में और विनियोजन की कमी के कारण परेशान उद्योगों आदि की दृष्टि में भयावह ही है। हमारे पड़ौसी रूस-चीन से हमारी मैत्री है और काश्मीर पर पाकिस्तान से झगड़ा भी हो तो भी उस के द्वारा, रक्षा पर व्यय किये गये ७० करोड़ हमारे २०० करोड़ के सामने कुछ नहीं और यदि बड़ी शक्तियां उस की सहायता भी करें, तो भी हमारी रक्षा सेवायें भी राष्ट्रमंडल के स्वरूप की ही हैं। इसलिये यदि आप रूस-चीन के विरुद्ध आंग्ल-अमरीकी युद्ध प्रयत्नों के अंग नहीं हैं, तो आप के इस विशाल रक्षा आयव्ययक का कुछ अर्थ नहीं है।

उधर हम हर बात में ब्रिटिश सेना के अनुगामी से हैं। हमारे सैनिक-भेद उन्हें पता हैं। हमारे तरीके और रणकौशल उन के हैं। हम युद्ध-सामान उन से लेते हैं, इस वर्ष भी २७ करोड़ रुपयों का ऋण लेने जा रहे हैं। हमारी नौ सेना के क्रूजर, विमान-वाहक, विध्वंसक आदि सब उन से लेते हैं। सब मुख्य पद उनके हाथ में हैं। वायुसेना के प्रधान एयर मार्शल गिब्स हैं। सिगनलों, सामग्रिओं और प्राविधिक सेवाओं के संचालन के निर्देशक, जनरल करियप्पा के मुख्य परामर्शदाता

जनरल रसेल, प्रिंसिपल स्टाफ अफसर विल्किन सन, नौ सेना के प्रधान एडमिरल पिजें और वहां के शस्त्रागार और स्टोर (भंडार) विभागों के अफसर सभी अंग्रेज हैं। बंगलौर के प्राविधिक कालेज में अंग्रेज भरे पड़े हैं। हमारी नौसेना का कोड अमरीकी है। इस कारण हमारी विदेश नीति स्वतन्त्र न हो कर ऐंग्लो-अमरीकी गुट का ही अंग है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष–पद पर आसीन थे]

उधर वेतनों में बहुत भारी भेद है। एक आदर्श की बात कही गई थी। पर सचिवालय-व्यय की मद में ६३ अफसरों को लगभग ९ लाख मिलते हैं और ६४६ क्लर्कों को भी लगभग उतना ही मिलता है। न्यूनतम वेतन २५ से ४० रुपया प्रति मास है और अधिकतम १००० से ३००० तक। मुट्ठी भर लोग एक तिहाई ले जाते हैं और २०० करोड़ रुपयों के रक्षा व्यय में भी हमारे जवानों को भरण-पोषण के स्तर से कुछ कम ही मिलता है। उधर कोर्ट-मार्शल (सैनिक न्यायालयों) में आरोपों का उत्तर या साक्ष्य बिना लिये तत्काल निकाल बाहर किया जाता है। वहां पर प्रत्येक को अपने बचाव का समय और अवसर दिया जाना चाहिये।

फिर बरबादी की बात है। जीप-प्रवाद (धांधली) तो यहां बार बार दुहराया जा चुका है। उधर सन् १९५० में तिब्बत के अस्थिर वातावरण में भी हम ने लगभग ६ लाख रुपये के १०० 'बी एम के २' वायरलेस सेट उसे उधार दिये थे, जिन के लौटने या दाम मिलने की अब कोई आशा नहीं है। एबियन लिमिटेड ने जी० एस० ओ० प्रथम श्रेणी समाप्त कर जी० एस० ओ० द्वितीय श्रेणी से ही काम लेने की बात सुझा कर १३ लाख रुपये की बचत सुझायी थी, पर कुछ न हुआ। फिर यात्रा भत्ते में लाखों बचाये जा सकते हैं। फिर हर साल चोरी के कारण चार करोड़ तक हानि होती है। उधर हम ने तीन करोड़ में रडार-सामग्री उत्सर्जन में पौंड पावने से खरीदी, पर अंग्रेजों के जाने के पहले कुछ अत्यावश्यक पुरजे निकाल लिये गये, जिन्हें हम फिर न लगा सके और वे बेकार पड़े हैं। सो ये अपव्यय रोके जा सकते हैं।

हमारी सेना के भारी व्यय का अधिकांश बड़े अफसरों पर ही होता है और इस में नौकर-शाही वाली भारी वैत्तनिक-असमानतायें चली जा रही हैं। अतः हमारी मांग है कि सेना छोटी पर अधिक कुशल हो और ये असमानतायें कम कर दी जायें। स्कूल अस्पताल भी अधिक होने चाहियें। और सभी के लिये रोजगार होना चाहिये। क्योंकि पीछे दृढ़ता न होने से अकेले हथियार कुछ न कर लेंगे और तभी कुछ ऐसी चीज होगी, जिस के लिये लोग लड़े। माताओं के रूप में हम इस आयव्ययक को ठुकरा कर भारत सरकार से युद्ध बन्द करने के लिये एक शान्ति सम्मलन बुलाने का आग्रह करेंगी, जहां पर सभी विश्व शक्तियां एकत्र हो युद्ध-आयव्ययक घटा कर शांति-संधि करें। तभी हमारे बच्चों को सुख-शांति और समृद्धि प्राप्त हो सकेगी। शस्त्र काम नहीं करते, भावना काम करती है।

प्रो० डी० सी० शर्मा (होशियारपुर): न तो मैं विशेषज्ञ हूं, न रणनीतिज्ञ, और न रूस और अमरीका के आयव्ययकों से इस आयव्ययक की तुलना ही करता हूं, बल्कि एक साधारण नागरिक के रूप में मुझे वर्तमान आयव्ययक, अपने रक्षा-संगठन, जवानों और अधिकारियों में ऐसी बात दिखाई देती है कि मैं उस के लिये सरकार को बधाई दूं।

राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लक्ष्य गत चार वर्षों में हमारी सेना ने निम्न तीन-चार बातों में पूरे कर दिखाये हैं। पेड़ की जांच फल से ही होती है। पाकिस्तान से

[प्रो० डी० सी० शर्मा]

आने वाले शरणार्थियों की इस ने सेवा की है। पंजाब में दूसरी ओर से आने वाले जिहाद के संदेशों और वहां अब भी विद्यमान ऐसे एक संगठन के समाचार ने भारत के द्वार पंजाब में खतरा खड़ा कर दिया था, पर सामरिक स्थलों पर हमारी सेना के नियुक्त होते ही लोगों में उत्साह आ गया, लोगों का भागना बन्द हो गया, संचरण यथापूर्व होने लगा, व्यपार और शिक्षा संस्थायें बन्द होते होते रुक गयीं और तब से फिर कुछ गड़बड़ी नहीं हुई। अपने चुनाव के दौरे में एक ७० वर्षीय ग्रामीण वृद्ध ने मुझे वोट का वादा करते हुए कहा था कि हमारे प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री ने सेना तैनात कर गड़-बड़ी को होते होते रोक दिया है। अत: अशिक्षित लोग रक्षा की समस्या को बातें बनाने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक ध्यान से देखते हैं। फिर चुनाव के समय आंतरिक कलह की बात तो एक सांप्रदायिक नेता द्वारा खुले खुले कही गई थी और शायद छपी भी थी, पर उन का कथन था कि यदि सेना बुला ली गई तो, चुनाव शांति से हो जायेंगे। सो वह भी सेना की एक प्रशंसा है ही। फिर सेना ने काश्मीर के संकट में लाखों काश्मीरियों की सहायता की और उन को बचाया। ये सारी बातें हमारी सेना द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्त कर लेने का ही प्रमाण है। जब आक्रमण या युद्ध की बातें करते-करते लोगों के मन में युद्ध की बातें चढ़ जाती हैं, तो सेना उन को पूर्वकालीन सामान्य स्थिति पर पहुंचा देती है।

सामाजिक सुदृढ़ता सेना का एक महान् लक्ष्य है। हमारी सेना एक रक्षा-साधन ही नहीं, सामाजिक पुनर्निर्माण का भी साधन है। बिना अतिरिक्त व्यय के अधिक अन्न उपजाओ में स्वयंमेव सहायता करके उस ने ५३२८ एकड़ भूमि में खेती कर के ४८२८ टन खाद्यान्नों की अतिरिक्त उपज कर दिखाई है और यह तो एक प्रारम्भ भर ही है। भूतपूर्व सैनिकों को जमीन पर बसाने के प्रयोग में भी प्रगति हो रही है। फिर व्यवसायिक, प्राविधिक और औद्योगिक प्रशिक्षणों की योजनाओं के कारण कुछ भूतपूर्व सैनिक मोटर यातायात में लग रहे हैं। सेना घोड़ों और पशुओं की नसलों के सुधारने में और खेती में भी लगी हुई है। यही बातें नौ सेना और वायु सेना के विषय में भी हैं। ये सामाजिक पुनर्निर्माण और सुदृढ़ता के ही कार्य हैं। फिर महात्मा गांधी के शब्दों में अनुशासन और कार्यकुशलता का पाठ पढ़ा कर सेना ने सामाजिक पुनर्निर्माण के साथ ही नैतिक पुनर्निर्माण का कार्य भी किया है। फिर नेशनल डिफेन्स ऐकेडमी ही में नहीं, बल्कि महात्मा गांधी के शब्दों में सेना ने स्वावलंबन का पाठ पढ़ा कर शिक्षा की दशा में स्तुत्य कार्य किया है। निर्जन प्रदेश में शीघ्र ही सड़कें, अस्पताल और जीवन की अन्य सुविधायें खड़ी कर देना अपने आप में एक महान पाठ है।

खाद्य समस्या के निपटाने के लिये रक्षा मंत्री से अपने मंत्रालय के अधीन एक भू सेना खड़ी करने को कहा जाये।

इस प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि शस्त्रों के आधुनीकरण का कार्य हमारी सेना में तेजी से हो रहा है और हमारी सेना का प्रमुख लक्ष्य देश के गौरव की रक्षा है, किसी देश के लिये खतरा पैदा करना नहीं। प्रादेशिक सेना और राष्ट्रीय छात्र सेना को बढ़ा कर उस के लिये और अधिक उपबन्ध होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस रक्षा-आयव्ययक का समर्थन करता हूं।

श्री रामचंद्र रेड्डी : यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हम अपने राजस्व का ४९ प्रतिशत रक्षा पर व्यय कर रहे हैं। मैं इस की आलोचना न करता यदि इस का प्रशासन उचित होता

और भविष्य में रक्षा के लिये उपयोगी स्रोतों को विकसित करने के लिये काफी अंश दिया जाता, पर ऐसा कुछ सोचा भी नहीं गया है। उस दिन यह आयव्ययक केन्द्रीय और राज्यों के कुल राजस्व का २५ प्रतिशत ही बताया गया था। यह नयी बात है। देशी राज्यों के पास १५ अगस्त, ४७ से पहले मामूली सेनायें ही थीं, और उन को कार्यकुशल नहीं बनने दिया जाता था, इस लिये इस युक्ति में सत्याभास भले ही हो, सत्यता नहीं है। हां, जनता को अश्वस्त करा कर एक-एक पाई विवेकपूर्वक व्यय की जाये, तब यह उचित हो सकता है। यह ठीक है कि रक्षा पर सार्वजनिक विवाद उचित नहीं, पर करदाताओं को आश्वस्त तो करना ही होगा।

१९५२-५३ के रक्षा आयव्ययक से पता चलता है कि रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक परामर्शदाता के नये विभाग में व्यय दिन पर दिन क्रमशः बढ़ता चला जा रहा है—१९५०-५१ के ३ $^{1}/_{2}$ लाख से अब यह ९ लाख हो गया है। इस विभाग का उद्देश्य आज कल अत्यन्त विस्तृत और विकसित रक्षा-विज्ञान का अध्ययन और बुनियादी खोज करना आदि है। तो इस विभाग से क्या काम बना, कितनी बचत आगे चल कर होगी, क्या बचतपूर्वक सामरिक शस्त्रों और सामग्रियों के निर्माण की संभावना हो गई है इन सब बातों पर प्रकाश नहीं डाला गया।

१५ अगस्त, १९४७ से पूर्व एक सेनापति के स्थान पर भू सेना, नौ सैना और वायु सेना के अलग अलग तीन सेनापति बना देने से प्रतिवेदन के अनुसार आश्चर्यजनक सफलता हुई है, पर यह बिल्कुल ठीक नहीं जंचता और बरबादी सी ही मालूम पड़ती है।

स्टोर्स (भंडारों) के व्यय के बारे में लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में कुप्रबन्ध और दुरुपयोग की बात कही गई है। जीपों और रायफलों के कलंक की चर्चा करना ही कलंकित बताया जा रहा है, पर उस की रक्षा करना ही कलंकित कार्य है। यदि तीन सेनायें करने से कार्यकुशलता बढ़ी होती तो, ऐसी धांधलियां न होतीं। और न उस से कुछ बचत ही हो गई है। उत्तरदायित्व अवश्य बंट गया है और इंगलैंड की भांति यहां सैन्य-समस्याओं का ज्ञान रखने वाले रक्षा मंत्री प्राप्त हो सकें तब तो ठीक है, अन्यथा इस पर पुनर्विचार कर सारा उत्तरदायित्व एक ही सेनापति पर डालना चाहिये।

रक्षा में व्यय होने वाले धन से ऐसे उद्योग चलाने चाहियें, जो शांतिकाल में तो लोकोपयोगी हों ही, युद्धकाल में भी तुरन्त काम आ सकें। उदाहरणस्वरूप लोहा-इस्पात उद्योग की सहायता कर उत्पादन बढ़वाना चाहिये। यह युद्ध काल में शस्त्रों और मोटर-गाड़ियों आदि अत्यावश्यक सामानों के बनाने में काम आयेगा। सो रक्षा आयव्ययक में एक दीर्घकालीन कार्यक्रम होना चाहिये, जिस से युद्ध छिड़ते ही तत्काल रक्षा-कार्य दृढ़ किये जा सकें और शांतिकालोपयोगी कार्य युद्धोपयोगी कार्यों में परिवर्तित किये जा सकें। खेद है, इस दिशा में कोई प्रगति नहीं की गई है। उधर सैनिक-प्रशिक्षण भी युद्ध काल में अधिक व्ययशील और असुविधा-पूर्ण होता है। पर यदि शांति काल में कालेज के छात्रों को अनिवार्य सैनिक शिक्षा दी जाये, तो युद्ध छिड़ने पर वे तत्काल देश रक्षा के काम आयेंगे।

यह ठीक ही सुझाया गया है कि धन नहीं, भावना काम करती है, पर धन भी ऊंचे पदाधिकारियों के कर्तव्य पालन में बहुत काम आता है। महासेनापति से ५०-१०० रुपयों के साधारण श्रमिक जैसे वेतन पर काम की आशा नहीं हो सकती और अधिक उत्तरदायित्वों पर अधिक वेतन देना ही होता है। शांतिकाल में राष्ट्र निर्माण कार्य में सेना के काम के बारे में

[श्री रामचंद्र रेड्डी]

एक माननीय सदस्य ने तिगुना व्यय होने की बात कही थी, पर सेना को बेकार रखने की अपेक्षा रक्षा के लिये आवश्यक शस्त्रादि का निर्माण करने वाले उद्योगों में उस से काम लेना अधिक उपयोगी रहेगा ।

श्री शाहनवाज खां (ज़िला मेरठ—उत्तर-पूर्व) : मैं आप को इजाज़त से हिंदी में बोलना चाहता हूं । आज सुबह से जब यहां पर डिफ़ेंस (रक्षा) के ऊपर बहस शुरू हुई तो हमारे कांग्रेस बेंचेज़ और जो हमारे मध्य के मुक़ाबले की बेंचेज़ में हैं. उन लोगों की तक़रीरों को मैं ग़ौर से सुनता रहा । यह मुझे अच्छी तरह से पता है और मैं इस को दयानतदारी मानता हूं कि इस हाउस (सदन) में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, चाहे वह कांग्रेस बेंच पर हो, चाहे कांग्रेस बेंच के खिलाफ बैठा हो जो इस मुल्क के डिफ़ेंस के खिलाफ हो या इस मुल्क की बेहतरी के खिलाफ़ हो । इसलिये जो कुछ भी मुकाबले से कांग्रेस के खिलाफ बातें हुई हैं, मैं उस को भी बुरा नहीं समझता । बजाय इसके कि मैं डिफ़ेंस के ऊपर आऊं, चन्द बातें इस तरह की यहां पर कही गई हैं जिनका मैं जबाव देना चाहता हूं ।

एक बहन ने कहा यह कि इंडियन आर्मी (भारतीय सेना) इस लिये बनाई गई है, इंडियन आर्मी के ऊपर इसलिये बहुत ज्यादा खर्चा किया जा रहा है क्योंकि उस को सोवियट यूनियन के खिलाफ तैयार किया जा रहा है । मैं उन को बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का अपना एक रास्ता चुना हुआ है । हिंदुस्तान ने अपनी तरक्की के लिये, अपने मुस्तकबिल (भविष्य) के लिये, एक रास्ता चुन लिया है और हिंदुस्तान मज़बूती के साथ उस रास्ते पर चलेगा । अगर कहीं सोवियट यूनियन की फ़ौज़ें हिंदुस्तान की आज़ादी को छीनेंगी तो यक़ीनन हिंदुस्तान उन के खिलाफ लड़ेगा । उन को यह मालूम होना चाहिये ।

कुछ लोगों ने कहा है कि हिंदुस्तान की जो फ़ौज है वह कामनवैल्थ (राष्ट्र मंडल) की फ़ोर्सेज़ (सेनाओं) के साथ साथ तैयार की जा रही है । उस से उनका मतलब यह था कि यह हिंदुस्तान की फ़ौज ऐंग्लो-अमेरिकन फ़ौर्सेज़ (आंग्ल-अमरीकी सेनाओं) का हिस्सा बनाई जा रही है । इस के जबाव में मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को अगर ऐंग्लो अमेरिकन ब्लाक (आंग्ल अमरीकी गुट) के नीचे रहना होता तो हम हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिये इतनी भारी कुर्बानी कभी नहीं देते । हिंदुस्तान ने अपना एक आज़ादाना तौर पर रास्ता चुन लिया है और उस पर चलने के लिये हिंदुस्तान हर एक कुर्बानी देने को तैयार है ।

इस हाउस में बजट के दौरान में मुख़्तलिफ किस्म के ख्यालात हाउस के सामने रखे गये । कुछ ख़यालात तो ऐसे रखे गये कि हिंदुस्तान पर जो हमले होंगे वह आज कल के ज़माने में जो जदीदतरीन (आधुनिकतम) हथियार हैं उन से होंगे । एयर फ़ोर्स के हमले होंगे, पैराशूट लैंडिंग्ज़ (पैराशूट से कूदना) होंगी । एक तो यह सूरत पेश की गई । यह कहा गया कि ऐसे हमलों का मुकाबला करने के लिये हिंदुस्तान को बहुत बड़ी एयर फ़ोर्स (वायु सेना) बहुत बड़ी नेवी (नौसेना) और बहुत बड़ी फ़ौज की ज़रूरत है । इस में कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान का रक़बा इतना बड़ा है, हिंदुस्तान की कोस्ट लाइन (तट रेखा) इतनी बड़ी है कि इस के डिफ़ेंस के लिये हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ी नेवी की ज़रूरत है जिस में एयर क्राफ्ट कैरियर हों, सबमैरीन हों, बड़े बड़े जदीद और लेटेस्ट बैटिलशिप्स (नवीनतम सामरिक जहाज) हों । इसी तरह

से बहुत बड़ी एयर फ़ोर्स की भी ज़रूरत है और साथ ही बहुत बड़ी फ़ौज की ज़रूरत है जिस के पास लेटेस्ट हवाई जहाज़ हों और लेटेस्ट टैंक और हथियार हों । हमें ऐसी फ़ौज की ज़रूरत है । लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी सोचना है कि जहां हिंदुस्तान को इन ज़रूरियात को हम सामने रखते हैं वहां हम हिंदुस्तान की माली हालत को भी नज़र-अन्दाज़ नहीं कर सकते । यह चीज़ें बेशक ज़रूरी हैं और एक दिन हिंदुस्तान को जरूर एक बहुत बड़ी नेवी बनानी पड़ेगी, बहुत बड़ी एयर फ़ोर्स और बहुत बेहतरीन किस्म की फ़ौज बनानी पड़ेगी । आयन्दा हमें यह सब करना पड़ेगा । और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से हम फ़ाइव ईअर प्लान (पंच वर्षीय योजना) बना रहे हैं जहां हम एग्रीकल्चर (कृषि) और दूसरी इंडस्ट्री (उद्योग) के लिये एक प्लान बना रहे हैं, एक स्कीम बना रहे हैं, हिंदुस्तान के डैवल्पमेंट (विकास) के लिये इसी तरह से हिंदुस्तान के फ्यूचर (भविष्य) को सामने रखकर हमें एक बहुत बड़ी शानदार फौज़, नेवी और ऐयर फोर्स के लिये भी एक प्लान बनाना होगा । जिस तरह से हम फ़ाइव ईयर प्लान (पंच वर्षीय योजना) में स्टैप बाई स्टैप (क्रमशः) तरक्की की तरफ़ बढ़ना चाहते हैं, मैं इस हाउस से यह दरख्वास्त करूंगा कि अपनी डिफ़ेंस सरविसेज़ (रक्षा सेवाओं) के लिये भी हमें कोई ऐसी ही स्कीम, प्लान तैयार करनी चाहिये ।

११ म० पू०

जिस वक्त अंग्रेज़ हमारे मुल्क में था उस ज़माने में बहुत कम हिंदुस्तानी ऐसे थे जो मुल्क के डिफ़ेंस में कोई खास दिलचस्पी लेते थे । क्योंकि मुल्क का डिफ़ेंस उस वक्त ज्यादातर अंग्रेज़ की ज़िम्मेदारी पर था और हिंदुस्तान के जो क़ौम परस्त लोग थे वह उस डिफ़ेंस में कोई खास दिलचस्पी नहीं लेते थे । जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो मुझे एक मोतबर ज़रिये से पता चला है कि जिस वक्त लार्ड माउंटबेटिन ने हिंदुस्तान की बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में सौंपी तो उन्होंने यह कहा कि सब से बेहतरीन, सब से अच्छी चीज़ को जो बरतानियां हिंदुस्तान के हवाले कर रहा है वह हिंदुस्तान की डिफ़ेंस सरविसेज़ (रक्षा सेवायें) हैं । उन का कहना बिल्कुल बजा था और इस में कोई शक नहीं कि जिस वक्त बरतानियां गया उस ने हिंदुस्तान के हवाले बेहतरीन डिफ़ेंस सरविसेज़ कीं । मुझे आज भी यह देखकर खुशी होती है कि वह जो एक बेहतरीन किस्म की फ़ौज, बेहतरीन किस्म की डिफ़ेंस सरविसेज़ थीं, वह उतनी ही एफ़ीशियेंट (कार्यकुशल) अब भी हैं और अब भी उस ने वही काबलियत और वही डिसिप्लिन (अनुशासन) आज तक क़ायम रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि वह इस से आगे ही बढ़ेगी । हिंदुस्तान में कौन ऐसा आदमी है जो यह बात नहीं जानता कि जिस वक्त मुल्क की तकसीम हुई हिंदुस्तान के दुश्मनों को यह ख़याल था कि इस मुल्क में फिरक़ेवाराना फिसाद होंगे और उन्होंने इस बात के लिये कोशिश की मुख्तलिफ़ दिलचस्पी रखने वाली जमाअतों ने, रीऐक्शनरी फ़ोर्सेज़ (प्रतिक्रियावादी शक्तियों) ने यह कोशिश की कि पार्टीशन (विभाजन) के साथ साथ हिंदुस्तान में ज़बरदस्त फिरक़ेवाराना फिसाद होंगे और उन्होंने इस बात के लिये कोशिश की मुख्तलिफ दिलचस्पी रखने वाली जमाअतों ने, रीऐक्शनरी फोर्सेज़ (प्रतिक्रियावादी शक्तियों) ने यह कोशिश की कि पार्टीशन (विभाजन) के साथ साथ हिन्दुस्तान में ज़बरदस्त फिरकेवाराना फिसाद हों और उनको उम्मीद थी कि फिरक़ेवाराना आग हिंदुस्तान के कोने कोने में लग कर मुल्क का तबाह कर देगी । लेकिन उस वक्त हमारी फ़ौज आई और बावजूद बहुत मुश्किल हालात होने के उस फ़ौज ने इस मुल्क में अमन क़ायम किया और इस मुल्क को आज़ादी उस ने बचा ली । इस के लिये फ़ौज यक़ीनी तौर पर हमारे मुबारकबाद की मुस्तहक़ है ।

[श्री शाहनवाज खां]

फ़िर फिरक़ेवाराना फिसाद अभी खत्म नहीं होने पाये थे तो उधर से पाकिस्तान ने काश्मीर के ऊपर हमला कर दिया। काश्मीर में भी हमारी फ़ौज़ ने जो कुछ किया है वह सब अच्छी तरह से जानते हैं। फ़ौजी नुक्ते निगाह से हमारी फ़ौज ने यक़ीनी तौर पर बहुत भारी कारनामे किये हैं। लेकिन अब मैं फ़ौजी चीज़ों की तरफ आज रुजू नहीं कर रहा, मैं दूसरी तरफ इस हाउस का ख़याल ले जाना चाहता हूं। जहां फ़ौज ने वहां बहुत बड़े कारनामे किये हैं वहां इस हाउस में काश्मीर के बारे में काफ़ी बातचीत की गई हैं। मुखालिफ बेंचेज़ पर से शेख अब्दुल्ला के उपर काफी ज़ाती एटैक्स (हमले) किये गये हैं। मैं आपकी इज़ाज़त से थोडा सा डिफेंस के मसले से हट कर काश्मीर के बारे में अपने ख़यालात रखना चाहता हूं। मैं उन दोस्तों को बता देना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि काश्मीर पर हम बहुत रुपया खर्च कर रहे हैं लेकिन वहां से हम को कुछ नहीं मिल रहा है, कि काश्मीर के बारे में वह ऐसी बात करते हैं जैसा कि कोई चीज़ रुपये से खरीदने की है। मैं उन दोस्तों को बता देना चाहता हूं कि जिस वक्त पाकिस्तान की फ़ौजों ने हमला किया उस वक्त इंडीयन आर्मी (भारतीय सेना) वहां नहीं पहुंची थी। इंडियन आर्मी के पहुंचने से पहले शेरे काश्मीर अब्दुल्ला खड़ा हुआ और उसने क़ौम परस्त लोगों को ले कर वहां खून बहाया और हिंदुस्तान में शरीक होने का एलान उसी वक्त कर दिया। मैं यह भी साफ साफ कह देना चाहता हूं कि नैशनल कांफ्रेंस शेख अब्दुल्ला के साथ था और उसने हिंदुस्तान में शामिल होने का एलान किया। जिस वक्त शेख अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान में शरीक़ होने का फ़ैसला किया तो वह फ़ैसला कोई दब कर नहीं किया था हिंदुस्तान की ज़बरदस्त फ़ौज को देखकर नहीं किया, बल्कि शेख अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान में शरीक़ होने का फ़ैसला उस को आइडियालाजी (सिद्धांतवादिता) महात्मा गांधी की आइडियलाजी को देखकर किया। मुखालिफ़ बेंचेज़ वाले शेख अब्दुल्ला के जो एक बयान को पकड़ रहे हैं उन से मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह सचमुच काश्मीर की क़दर करते हैं तो उन दोस्तों से मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि जिस आइडियालाजी को ले कर हिंदुस्तान में काश्मीर आया है उस को वह मज़बूत करें तो काश्मीर और हिंदुस्तान कभी अलग नहीं हो सकते।

काश्मीर में हमारी फ़ौजों ने यक़ीनी तौर पर एक शानदार काम किया है और जैसा मैंने अर्ज़ किया, यह शानदार काम फ़ौजी नुक्ते निगाह से बहुत ही आला रहा। मैं यहां आइडियालाजी की बात कर रहा था, हमारी फ़ौज़ें, वहां काश्मीर में जहां करीबन ८० फ़ीसदी मुसलमान हैं, गयीं उस वक्त वहां के लोगों में तरह तरह का प्रोपेगन्डा, खौफ़ और हैज़ान फैला हुआ था। हमारी फ़ौज ने वहां के लोगों के साथ बिरादराना सलूक किया और वहां के अवाम का कानफ़िडैन्स (विश्वास) और एतमाद हासिल किया। एक जगह की बात मैं आपको बताऊं जो शायद हाउस के सब मैम्बरों को पता नहीं है। काश्मीर में हमारी फौज़ एक ऐसी जगह पहुंची जहां खुराक की बहुत कमी थी और वर्फ़ की बजह से खुराक वहां तक फ़ौजों को नहीं पहुंचाई जा सकती थी। ऐसे मौकों पर आम तौर से यह होता था कि जब खुराक वहां नहीं पहुंच सकती है तो फ़ौज़ लोकली (स्थानो रूप से) अपने लिए अन्न जमा करती है और उस हिस्से के रहने वाले बाशिन्दों से खुराक लेती है, लेकिन चूंकि वहां पहले से ही खुराक की कमी थी, इसलिये वहां के फ़ौजी अफसरों ने वहां की आबादी से खुराक लेने से इन्कार कर दिया और अपना राशन आधा कर दिया, अपने सिपाहियों से कहा कि भले ही तुम

और हम सब भूखे रहें लेकिन यहां के बाशिन्दों से खुराक नहीं लेनी है। यह काम काश्मीर में हमारी फ़ौज ने किया। इसी के साथ साथ हमारी फ़ौज ने जब आसाम में बाढ़ आई, तो उस ने वहां भी बहुत शानदार काम किया और लोगों की सेवा की, रायलासीमा में जहां अकाल पड़ा, वहां के बारे में और दूसरे साहबान भी बता चुके हैं कि वहां भी हमारी फ़ौज ने बहुत शानदार काम किया है। लेकिन यह सब कारनामे जो हमारी फ़ौज ने किये हैं इन सब से बढ़ कर एक और कारनामा हमारी फ़ौज ने किया है जिस की अहमियत शायद बहुत से लोग नहीं समझते।

आप को याद होगा कि करीबन डेढ़ साल का अर्सा हुआ जब कि हम को इत्तला मिली कि पाकिस्तान फिर पीस निगोशियेसन्स शान्ति वार्ता) के बाद अपनी फ़ौजें काश्मीर की तरफ़ बढा रहा है, यह इत्तला सच और सही थी और वाक़ई डेढ़ साल का अर्सा हुआ जब पाकिस्तान ने एक बार फ़िर काश्मीर पर हमला करने की तैयारी की और काश्मीर की तरफ बढ़ना शुरू किया। उस का मुकाबला करने के लिये हिंदुस्तान की फ़ौजों ने उस दफ़ा काश्मीर की तरफ क़दम नहीं उठाया बल्कि यहां की फ़ौजों ने वागा वार्डर पर मार्च किया और मैं फ़ौजी नुक्ते निगाह से कहता हूं कि हिंदुस्तान की फ़ौज का यह मूव (चाल) प्यौरली (विशुद्धतः) एक स्ट्रैटिजिकल मूव (सामरिक महत्व की चाल) की हैसियत से दुनियां की तारीख में जो बेहतरीन स्ट्रैटिजिकल मूवस् की मिसालें मिलती हैं उन में से एक है। अगर हमारी फ़ौज ने यह क़दम न उठाया होता और अगर वह काश्मीर की तरफ़ रुख करती तो यक़ीनी तौर पर वहां पर एक भारी खूंरेज़ जंग होती, लेकिन हमारी फ़ौज ने जो वागा बार्डर की तरफ मूव किया, उस से सारा नकशा ही पलट गया और हमारी फ़ौज ने इस मूव को ले कर काश्मीर की लड़ाई बगैर एक खून का क़तरा बहाये जीत ली। इस चीज़ के लिये भी हम सब लोग बजा तौर पर अपनी आर्मी के ऊपर. उस के डिसिप्लिन और ऐफ़ीशियेंसी (अनुशासन और कार्यकुशलता) के ऊपर फ़ख्र कर सकते हैं और जब हम अपनी फ़ौज और डिफ़ेंस सर्विसेज़ के बारे में बातचीत करते हैं तो हम को उन हालात को नहीं भूलना चाहिये जिन के तहत हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और जिन हालात के तहत हमारी फ़ौज अंग्रेज़ी राज्य के कब्ज़े से हट कर हमारी नैशनल गवर्नमेंट के पास आई। यह बात सब को अच्छी तरह से पता है कि जब अंग्रेज़ों ने इस मुल्क के ऊपर कब्जा किया और इस मुल्क में अपनी फ़ौजें बनाई तो उन्होंने एक खास नुकते निगाह, एक खास प्वाइंट आफ़ व्यू (दृष्टिकोण) से फ़ौजों को आरगानाइज़ (संगठित) किया। अंग्रेज़ों ने जब फ़ौज के लिये भर्ती शुरू की तो उन्होंने सिर्फ़ हिंदुस्तान की बेहतरी और डिफ़ेंस के वास्ते ही भर्ती नहीं की, बल्कि उन्होंने ब्रिटिश इम्पायर (अंग्रेज़ी साम्राज्य) की बहबूदी और ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म (अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद) को सर सब्ज़ करने के लिये यह फ़ौज बनाई थी। जाहिर है कि ऐसी फ़ौज जो एक इम्पीरियलस्टिक (साम्राज्यवादी) निज़ाम को कायम रखने के लिये बनाई जाती है वह नेशनल गवर्नमेंट की नैशनल आर्मी से बिल्कुल एक जुदा चीज़ थी। अंग्रेज़ों ने फ़ौज में ऐसे तबकों से लोग भर्ती किये जहां तालीम बिल्कुल नहीं थी और जहां सियासी बेदारी, पोलिटिकल अवेकनिंग (राजनीतिक जागृति) नहीं थी। ऐसे लोगों को अंग्रेजों फ़ौज में भर्ती किया और उन को हमेशा नैशनल मूवमेंट्स से अलग रखा और अंग्रेज़ों की हमेशा यही कोशिश रही कि फ़ौज को हिंदुस्तान के नैशनल मूवमेंट्स (राष्ट्रीय आन्दोलनों) से अलिहदा रखा

[श्री शाहनवाज़ खां]

जाये। इस डिज़ाइन (लक्ष्य) के ऊपर उस ने यह फ़ौज बनाई, ज़ाहिर है कि वह मरसनरी (पैसे पर निर्भर) फ़ौज थी। मैं भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी (अंग्रेज़ी भारत-सेना) का एक मैम्बर रह चुका हूं और मैं जानता हूं कि वह एक बिल्कुल मरसनरी फ़ौज थी, तनख्वाह और इनाम की खातिर लड़ा करती थी, लेकिन जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, उस फ़ौज का रोल (कार्य) बिल्कुल बदल गया और वह एक इम्पीरियलिस्टक मरसनरी आर्मी (साम्राज्यवादी पैसे पर निर्भर सेना) न हो कर एक क़ौमी फ़ौज बन गई है। और यह जो तबदीली हुई, उस तबदीली में जैसा मैं पहिले कह चुका हूं हमारी फ़ौज ने बहुत शानदार काम किया है, और एक मरसनरी आर्मी (पैसे पर निर्भर सेना) से नेशनल आर्मी (राष्ट्रीय सेना) में बदल जाना एक बहुत बड़ा चेन्ज (परिवर्तन) होता है और उस के लिये हमारी फ़ौज पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन मैं यहां यह जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसा करने के लिये दिल और दिमाग में भी बहुत बडी तबदीली होनी चाहिये। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जो पहिले एक मरसनरी आर्मी का एक मैम्बर था, बाद में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की नेशनल आर्मी का एक मैम्बर बना और मैं ने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक मरसनरी आर्मी और नेशनल आर्मी में कितना बड़ा फ़र्क होता है और उन के हर एक मसले की अप्रोच (समझने) में और उन के दिल व दिमाग में कितना फ़र्क होता है, यह चीज़ मैं ने खुद अपनी आंखों से सिंगापुर और मलाया के मैदान जंग में देखी। जब हम अंग्रेजों की फ़ौज में थे तो लाखों की तादाद में अंग्रेजों की फौज सिंगापुर में मौजूद थी और तकरीबन हर एक झाड़ी के साथ एक तोप लगी हुई थी और उन के पास जंग के सामान की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जापानियों की छोटी तादाद की फ़ौज के सामने इतनी बडी फौज ने हथियार डाल दिये। हमारे सिपाही हम से पूछा करते थे कि साहब हम किस लिये लड़ रहे हैं और हम किस लिये मर रहे हैं? नतीजा यह होता था कि जब भी जान का खतरा होता था तो हमारे हिन्दुस्तानी, अंग्रेज़ सिपाही और गोरखे जान बचा कर रायफिलें उठा कर भाग खड़े होते थे, लेकिन जब वही फौज अंग्रेजों के कब्जे से निकल कर नेताजी की नेशनल आर्मी बन गई और हम बगैर सामान, बगैर तोपों और ट्रकों के दुनियां की बेहतरीन फ़ौजों का मुकाबला करने के लिये आगे बढे तो हम ने देखा कि हम में कितना बड़ा चेन्ज हो गया है। टाईम बहुत थोड़ा है मैं बहुत ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक इंसिडेन्ट (घटना) आप के सामने रखना चाहता हूं जिस से आप को मालूम हो जायेगा कि मरसेनरी आर्मी से जब नेशनल आर्मी में चेन्ज होता है, तो कितना बडा फर्क हो जाता है। पोपा बर्मा में एक मुकाम है, वहां हम आज़ाद हिन्द फ़ौज वाले अंग्रेजों के खिलाफ़ लड़ रहे थे। हमारे एक सिपाही को आ कर एक बम लगा जिस से उस की एक टांगें उड़ गई और उस के खून का फुव्वारा जारी हो गया। उस सिपाही को उठा कर हैडक्वार्टर में लाया गया ताकि उस की मरहम पट्टी की जा सके। जब मैं उस सिपाही के पास उस की हालत देखने गया तो मैं ने पाया कि वह चन्द मिनटों का मेहमान है और वह बच नहीं सकता है, मैं ने फ़ौरन पट्टी बंधवाने को कहा, जिस पर उस सिपाही ने कहा कि पट्टी मत बांधो, यह खून भारत माता की आजादी के लिये बह रहा है,

इसलिये इसे पूरी तौर से बहने दो ।

यह फ़र्क़ होता है नेशनल आर्मी में और मरसेनरी आर्मी में । यहां हाउस अच्छी तरह जानता है कि जापानी फ़ौज के पास सामान की कमी थी । जिस वक्त जापानी फ़ौज बड़ी भारी फ़ौज के खिलाफ़ लड़ रही थी तो उस ने क्या किया । जब उन के खिलाफ बहुत भारी बैट्ल शिप्स (जंगी जहाज़) गये तो उन के पास उन का जवाब नहीं था । उन के नौजवानों ने, कामाकाजे स्क्वैड्स, जांबाज़ स्क्वैड्स, सुसाइड स्क्वैड्स (आत्मघातीय जत्थे) जो थे वह हवाई जहाज़ से जा कर उन के **प्रिंस आफ़ वेल्स** जैसे बड़े जहाज़ से जा कर टकराये और उस को डुबो दिया । मैं ने एक मर्तबा जापानी दोस्तों से पूछा कि आप ने तादाद में कम होने के बावजूद भी जो इतना बड़ी फ़ौज का मुकाबला किया तो यह चीज़ आप ने कहां से ली । यह जो जान पर खेलने, जान क़ुर्बान कर देने का माद्दा है वह आप ने कहां से लिया आप सुन कर हैरान होंगे कि उस ने जवाब दिया कि यह जो कामाकाजे स्पिरिट हमारी है, अपनी जान पर खेलने का हुनर जो है, वह हम ने हिन्दुस्तानियों के राजपूतों के जौहर से सीखी है ।

मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इस लिये मैं ख़त्म करना चाहता हूं, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि आज अंग्रेज़ों ने जो मरसेनरी आर्मी हिन्दुस्तान को दी है, उस आर्मी में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की आर्मी की स्पिरिट लाई जाय और जो राजपूतों का पुराना जौहर है, उस जौहर से उस फ़ौज के दिल और दिमाग को मुअत्तर किया जाये ।

मैं उम्मीद करता हूं कि मुझ को इस बात के कहने के लिये माफ़ी दी जायेगी कि मुझे एक बात का बहुत अफ़सोस है । वह फ़ौज जिस की रसूमात, जिस के ट्रैडिशन्स (परिपाटियां) सौ फ़ी सदी नेशनल थे, मैं यहां पर उस का ज़िक्र कर रहा हूं । मुझे इस का अफ़सोस है कि जिस फ़ौज ने मुल्क की खातिर कुर्बानी की उस आर्मी को, आज सही तरीके पर इंडियन आर्मी में नहीं लिया गया और उन को मुल्क की खिदमत करने का मौका नहीं दिया गया । मैं आज इस हाउस में पहली मर्तबा नेताजी का एक सिपाही होने की हैसियत से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की नेशनल आर्मी में जाने का हमारा हक़ था, यह हमारा राइट (अधिकार) था कि आजाद हिन्द में, आज़ाद हिन्द फ़ौज के जो सिपाही और अफ़सर हैं उन को मुल्क की ख़िदमत करने का एक सही मौका दिया जाय ।

श्री नम्बियार (मयूरम) : श्रीमान्, क्या कोई समय बंधन नहीं है ?

श्री शाहनवाज़ खां : श्रीमान, क्या मैं एक दो मिनट और ले सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आवश्यक हुआ, तो मैं समय बढ़ा दूंगा ।

श्री नम्बियार : वही विशेषाधिकार हमें भी दिया जाना चाहिये ।

श्री शाहनवाज़ खां : मैं एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूं । हिन्दुस्तान का जो डिफ़ेन्स है वह बहुत बड़ी चीज़ है उस डिफ़ेन्स के लिय मेरे दिल में बहुत सी स्कीमें हैं, बहुत सी तजवीज़ें हैं, लेकिन उन को रखने का मेरे पास वक्त नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का डिफेंन्स उस वक्त तक मुकम्मिल नहीं हो सकता जब तक हिन्दुस्तान की पाकीज़ा, पवित्र धरती पर दूसरे मुमालिक के पज़ेशन्स (अधिकृत-क्षेत्र) मौजूद हैं। आज हमारे मुल्क में गोवा पोर्चगीज़ का

[श्री शाहनवाज़ खां]

एक अड्डा है, इसी तरह से दूसरे फ़ारेन पज़ेशन्स (विदेशी अधिकृत-क्षेत्र) के मुकामात हैं जो हमारे मुल्क के मुंह के ऊपर एक बदनुमा धब्बा हैं। उस बदनुमा धब्बे को जब तक हम नहीं हटायेंगे हमारे मुल्क का डिफ़ेन्स सही तौर पर नहीं हो सकेगा। इस सिलसिले में मेरी एक तजवीज़ है और वह यह है कि मैं जानता हूं कि हमारा मुल्क यह चाहता है तमाम मुमालिक के साथ हम दोस्ताना ताल्लुकात कायम करें, हम तमाम मुल्कों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, और जहां हमारी हुकूमत फ्रांसिसीयों के साथ, डच के साथ, पोर्चगीज़ के साथ डिप्लोमैटिक नेगोशिएसन्स (कूटनीतिक वार्ता) कर रही है, मैं उस का हामी हूं। लेकिन यह भी मैं बड़ी नम्रता, बड़ी हलीमी (विनय) के साथ कहना चाहता हूं कि हम एक टाइम लिमिट (समयावधि) मुकर्रर कर दें, एक साल, दो साल का अर्सा दे दें कि हम तमाम मुल्कों के साथ इस सवाल को दोस्ती के साथ हल करना चाहते हैं, लेकिन अगर वह लोग खुशी के साथ हमारे मुल्क से अपने अड्डे नहीं हटाते हैं तो हम को अपनी फ़ौज को हुक्म दे देना चाहिये कि जाओ उन पर ज़बर्दस्ती कब्ज़ा कर लो। अगर आज हम अंग्रेज़ों से हिन्दुस्तान ऐसा सबकान्टिनैन्ट (उपमहाद्वीप) छीन कर भी दोस्ताना ताल्लुकात क़ायम किये हुए हैं तो मुझे कोई शक नहीं है कि अगर हम यह फ़ारेन पज़ेशन्स ज़बर्दस्ती भी ले लें तो भी हम उन के साथ दोस्ताना रिलेशन्स कायम रख सकेंगे।

इस हाउस में कई मर्तबा आर्मी स्कैन्डल्स (सेना की बांधलियों) का ज़िक्र आया। हो सकता है कि कुछ स्कैन्डल्स हुए हों, लेकिन मैं एक फ़ौजी अफ़सर होने के नाते जानता हूं कि शायद आज बहुत सी चीज़ों का पता मेरे बहुत से मेम्बर दोस्तों को नहीं है। अगर कोई एसी सर्विसेज़ हैं जिस पर हम रिश्वत से या स्कैन्डल्स से बरी होने का फ़ख्र कर सकते हैं, तो वह इंडियन आर्मी है। मैं जानता हूं कि आज जब कि इंडियन आर्मी में सीनियर अफ़सरों की कमी है, हमारे पास बड़े बड़े कर्नल्स और जनरल्स बहुत कम हैं, इस कमी के जमाने में भी मुझे इल्म है, जिन बड़े बड़े अफसरों के ऊपर धब्बे हैं, या यह शिकायत है कि उस ने रिश्वत ली है, या उस ने कोई ऐसा काम किया है जो हिन्दुस्तान की फ़ौज की डिसिप्लिन के खिलाफ़ है, तो बड़े से बड़े अफसरों को भी डिसमिस (पदच्युत) किया गया है। मुझे यकीन है कि जो ऊंचे रसूमात, ऊंचे ट्रैडिशन्स (परिपाटियां) इंडियन आर्मी (भारतीय सेना) के थे खास कर के जो कि रिश्वत से इंडियन आर्मी बरी थी, आज भी वह इंडियन आर्मी रिश्वत से बिल्कुल बरी है। ज़ाहिर है कि तमाम इंसान फ़रिश्ते नहीं होते हैं, कोई न कोई कमज़ोरी इंसान में होती ही है, लेकिन इस बात का मुझे पक्का यकीन है कि जहां कहीं हमारे सीनियर अफ़सरों को पता लगे कि फलां अफ़सर ने बेईमानी की है, रिश्वतसतानी की है, उस के खिलाफ़ ज़बरदस्त से ज़बरदस्त फ़ौजी डिसिप्लिनरी ऐक्शन (अनुशासनात्मक कार्यवाही) लिया जायेगा।

इन अल्फ़ाज़ के साथ मैं आप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप ने मुझे यहां पर बोलने की इजाज़त दी। जय हिन्द।

श्री जी० एस० सिंह (भरतपुर-सवाई माधोपुर) : यदि कहानी कहने से अधिक समय मिल सकता है, तो मैं भी उसी मोर्चे की कहानियां सुना सकता हूं। मैं भी वहां एक लड़ाकू चालक के रूप में अपनी शेष सेना

और वर्तमान सेनानायकों के साथ नाजीवाद और एकाधिकार वाद से लड़ रहा था (अंतर्बाधायें)। हमें यह जान लेना चाहिये कि हमारा शत्रु कौन है। हम बड़ी बड़ी विश्वशक्तियों से तो लड़ नहीं सकते। हमें किसी की सीमा भी नहीं हड़पनी है। पर अपने शत्रु को समझ कर ही हमें तदनुसार अपनी रक्षा का ढांचा खड़ा करना चाहिये। सेना पर संतुलित व्यय होना चाहिये। इंग-लैण्ड नौ सेना और वायु सेना पर मिलाकर ६० प्रति शत व्यय करता है और हम इन पर क्रमशः $5\frac{1}{2}$ और $1\frac{1}{2}$ प्रति शत। हमारी भूसीमा और समुद्र सीमा बहुत लंबी हैं। हमें चलन से उठे हुए विमान न रख कर नये नये वाहक विमान रखने चाहियें जिस से तत्काल सेनायें भेजी जा सकें। और हमें सीमा के सामरिक महत्व के स्थलों पर हवाई अड्डे भी बनाने चाहियें जिस से शत्रु के आगे बढ़ने से पहले ही हम उसे छिन्न भिन्न कर दें। दुनियां के नकशे में भारत सामरिक-महत्व की स्थिति को देखते हुए हमें इस दिशा में तुरंत निश्चय कर लेना चाहिये, क्योंकि वाहक-विमानों के चलाने के लिये भारतीयों को प्रशिक्षित करने में भी दसेक वर्ष लग जायेंगे। पंचवर्षीय योजना के सफल होने पर हम इस के लिये धन व्यय करने की स्थिति में हो जायेंगे। वायुसेना रक्षा और आक्रमण दोनों दृष्टियों से उपयोगी है। रक्षा-संगठन एक शरीर है और यदि शरीर में दांत काटने और मुट्ठियां प्रहार करने में समर्थ न हों, तो केवल तोंद बढ़ जाने से ही काम न चलेगा। विरोधी दल से रक्षा में छंटनी का सुझाव आया है, पर वही लोग आगे आ कर निकाले गये सदस्यों का मजदूर संघ खड़ा कर देंगे। अभी हम आज़ाद हिन्द सेना की वकालत सुन चुके हैं, कल लोग छांटे गये सैनिकों की वकालत करेंगे।

हमारी अल्पवयस्क सेना में जब भार संभालने योग्य ज्येष्ठ अधिकारी नहीं हैं, तो अंग्रेज़ी परामर्शदाता तो अवश्यक होंगे ही। आज़ादी न मिलती तो हमारे आज के मेजर जनरलें या लेफ्टीनेंट जनरल अब तक कर्नल या लेफ्टीनेंट कर्नल के रूप में ही निवृत्ति प्राप्त कर चुके होते। जब हम डाक्टरी आदि के प्राविधिक प्रशिक्षण के लिये लोगों को विदेश भेजते हैं और विशेषज्ञ बुलाते हैं, तो सैनिक प्रशिक्षण के लिये भी यही करना होगा। आप का विनिर्देश था कि उस व्यक्ति की यहां आलोचना ना हो, जो यहां अपना बचाव नहीं कर सकता। पर इन परामर्शदाताओं की नाम ले ले कर आलोचना की गई है। पर ये लोग यहां वेतन के लिये नहीं आये हैं, बल्कि ३५ वर्ष से इस देश की सेवा करते चले आ रहे हैं।

एक अन्तिम अत्यावश्यक बात मुझे अपने शस्त्रों का उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भर न रहने के बारे में कहनी है। इस में आत्मनिर्भर बिना बने हम स्वतंत्र विदेशी नीति नहीं रख सकते। हमारी हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट जैसी नई फैक्टरीयां तो डिब्बों की श्रेणी के बदलने में ही लगी रहती हैं। हमें इस्पात उद्योग को बढ़ा कर अपने टैंक और हवाई जहाज़ बनाने चाहिये।

लोगों ने सेना की बहुत आलोचना या प्रशंसा की पर किसी ने उसे धन्यवाद नहीं दिया। मैं देश के १/५०० भाग की ओर से उसे धन्यवाद देता हूं।

डा० एबनज़र (विकाराबाद): सभी ने विवरणात्मक तथा भौतिक पक्ष को लिया था, मैं नैतिक पक्ष की बात करूंगा। कुछ लोग स्कूल में, कुछ विवाह के बाद और कुछ संसद् में अपना कार्यक्षेत्र आरंभ करते हैं। पर विरोधी दल विशेषतः साम्यवादियों

[डा० एबनज़िर]

ने शुरू से ही अरचनात्मक आलोचना अपना ली है और भले बुरे सभी कामों की आलोचना करते हुए शायद छिपे छिपे इकट्ठा किया हुआ जहर उगलते हैं। विश्व की आज की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्यायें मूलतः नैतिक समस्यायें हैं, और आलोचना रचनात्मक होनी चाहिये। प्रधान मंत्री ने अपनी विश्वयात्रा में हृदय-परिवर्तन की बात स्पष्ट कर दी है।

किसी ने प्रधान मंत्री की रक्षा नीति की आलोचना करते हुए कहा था कि वह इतिहास में अपना स्थान खो चुके हैं, पर स्वयं आलोचक महोदय मानव समाज में अपना स्थान खो चुके हैं। ईर्ष्या, घृणा और गड़बड़ी के इस वातावरण में शान्ति कैसे आ सकती है? प्रधान मंत्री चिंता, घृणा रहित और शायद परमात्मा से प्ररित व्यक्ति हैं और दुनियां की उलझन में न या जीवन लाने के लिये उन्होंने शान्ति का पग उठाया है। उन की रक्षा या विदेश नीति परस्पर संबद्ध हैं। वे किसी गुट से नहीं मिले हैं। विरोधी दल ने रक्षा व्यय में कटौती की मांग की है, पर हमारा रक्षा व्यय बढ़ा कहां है? हम ने तो कुछ न की स्थिति में कुछ खड़ा किया हैं और वह भी आक्रमण के मकाबिले के लिये, किसी पर आक्रमण करने के लिये नहीं।

आवेश और घृणा, ईर्ष्या और घृणा अब इतनी व्याप्त हैं कि किसी भी दिन आग भड़क सकती है। सभी राष्ट्र भयभीत हैं। भय से घृणा पैदा होती है। शस्त्रोत्पादन बढ़ता है। यह ठीक है कि रक्षा का विवेचन अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, देशों में व्याप्त भय और सुरक्षा के अभाव की दृष्टि से होना चाहिये। पर एक कहानी है कि एक व्यक्ति ने अपने निजी बाग में पड़ौसी को अपनी छत से झांकते देख बाग की दीवाल ऊंची करा दी। पड़ौसी ने भी अपना अपमान समझ छत और ऊंची करा दी। बस पारस्परिक होड़ में दोनों एक दूसरे से तब तक ऊंचा करवाते गये जब तक दीवालें भरभरा कर गिर न पड़ीं। ठीक ऐसे ही सुरक्षा के लिये शस्त्रोत्पादन बढ़ाने की होड़ लग जाती है। हम ने युद्ध के लिये नहीं बल्कि साधारण रूप में अपना रक्षा व्यय बढ़ाया है। इसे भी विरोधी सदस्य कम कराना चाहते हैं। एक ओर वे रक्षा व्यय में कमी की और दूसरी ओर लोगों के सैनिक प्रशिक्षण की मांग करते हैं। यह उन के मति विभ्रम का ही उदाहरण है। थोड़े से विषयांतर में जा कर मैं चाहता हूं कि हैडफुन की भांति ट्रैफिक सिगनल जैसा एक विद्युत-यंत्र संसद् के वक्ताओं के सिर पर लगा रहे, जो काडियोग्राफ़ की तरह उन के हार्दिक आवेशों का माप करता हुआ घृणा के लिये लाल, ईर्ष्या के लिये हरा और भय के लिये पीला रंग बताता रहे।

श्री बी० सी० दास (गंजम दक्षिण) : क्या माननीय सदस्य एक गल्पकार हैं?

डा० एबनज़िर : तो हमारी सेना में कमी न कर के उसे साधारण स्तर पर रखा जाय, जिस से वह आक्रमण या संकट का सामना कर सके। विरोधी दल के सदस्यों के शरीर तो भारत में हैं, दिमाग कहीं और। रक्षा को प्रभावी बनाने के लिये सेना के लिये वांछित शस्त्रों का उत्पादन देश में ही करना होगा और अपनी उद्योग-नीति विदेशों जैसी बनानी होगी। चीन ने थोड़े ही समय में रक्षा के लिये उपयोगी उत्पादन बढ़ा लिया और आर्थिक पुनर्निर्माण में जुट गया। मैं कृषि सम्बन्धी सुझाव सुझाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : रक्षा से अब आप कृषि सुधार पर पहुंच गये।

डा० एबनजिर : जमीन किसानों को दे कर और उत्पादन बढ़ा कर हमारी सम्पत्ति बढ़ेगी और तब हम अपनी रक्षा को अच्छी तरह संभाल सकेंगे ।

एक माननीय सदस्य : श्रीमान्, वह सदा प्रसंगोचित बात कहते हैं ।

डा० एबनजिर : उद्योगों में मैं लाभ थोड़े से लोगों को न दे कर आर्थिक दृढ़ता के लिये उस के बांटे जाने का सुझाव दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से समाप्त करने का निवेदन करता हूं ।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : सदन का समय इस तरह बरबाद न कर उन्हें रक्षा के लिये उपयोगी कुछ बात कहनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी माननीय सदस्य को दूसरे सदस्य पर समय बरबाद करने का आक्षेप नहीं लगाना चाहिये ।

डा० एबनजिर : मैं विरोधी सदस्यों से विध्वंसात्मक कार्यवाहियां छोड़ रचनात्मक कार्यवाही करने और स्वस्थ आलोचना करने का सुझाव दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ने अपना समय समाप्त कर दिया है । अब कृपया बैठेंगे ?

डा० एबनजिर : हम रक्षा तथा विदेश नीति के लिये अपने राष्ट्र नेता के आभारी हैं सब की चाही हुई आर्थिक स्थिरता और नवसभ्यता लाने के लिये घर में भी ऐसी ही योजनायें अपनानी चाहियें ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : (विजियानगरम्) : रक्षा जैसे विषय पर मैं अपनी ज्ञान-परीधि को समझता हूं । साथ ही न मुझे आक्रमणों और उपद्रवों से देश की रक्षा करने वाली अपनी वीर सेना पर कुछ आक्षेप करना है और न मैं किसी एक विदेशी वर्ग का अनुगामी बन तदनुरूप अपनी सेना को तैयार करने के पक्ष में हूं । आज रक्षा व्यय को, जो २०३.३ करोड़ के असैनिक व्यय के समक्ष १९७.९४ करोड़ है, लिये बिना आयव्ययक पर कोई यथार्थ वाद विवाद नहीं किया जा सकता है ।

काश्मीर का हल संयुक्त राष्ट्र संघ से तो हो नहीं सकता, क्योंकि उन के लिये यह भारत-पाकिस्तान का ही झगड़ा नहीं रहा; और बड़ी शक्तियां इन दोनों को लड़ते ही रहने देना चाहती हैं । अब समय है कि इसे वहां से उठा कर सीधी बात चीत कर के सुलझाया जाये । तब रक्षा का बहुत सा व्यय कम हो सकेगा । और रक्षा व्यय कम किये बिना राष्ट्रनिर्माण की कार्यवाहियों में अधिक धन लगाया न जा सकेगा । रक्षा व्यय के घरेलू और विदेशी दो पहलू हैं । यदि घर पर लोग संतुष्ट हों, खूब अन्न, वस्त्र, मकान हों, तो भारी सेना की भी जरूरत न रहेगी ।

१२ मध्यान्ह

यदि हमें बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता में नहीं पड़ना और पड़ौसियों से हमारी सुरक्षा-संधि है, तो न तो हमें आक्रमण से डर की जरूरत है न भारी सेना रखने की । सेना द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हमें अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की आशा नहीं है । पहले तो भारी उद्योग चाहिये । दूसरे हम शस्त्रीकरण की होड़ भी नहीं लगा सकते । सिद्धान्ततः भले ही हमारी तटस्थता नीति दृढ़ हो, पर व्यवहारतः ऐसा नहीं है । युद्ध छिड़ने पर अपनी पंचवर्षीय योजना के लिये अमरीकी सहायता ले कर भी क्या भारत तटस्थ रह सकेगा ? निश्चय ही यदि वह तीसरा शान्ति-दल बनाने में सफल हो गया होता, तो यह तनाव कम हो गया होता । दूसरे हमारी सेनाय कितनी भी वीर हों, लाल सेना या अमरीकी सेनाओं के सामने अधिक देर नहीं टिक सकतीं । महादेव देसाई के शब्दों में वायुयानों की अपेक्षा आत्म शक्ति की दृढ़ता को मान कर लोगों

[श्री के० सुब्रह्मण्यम्]

में राष्ट्रीय-रक्षा की भावना कूट कूट कर भरनी होगी ।

भले ही एक के स्थान पर तीन सेनापति बनाये गये हों हमारा सैन्य-संगठन प्रायः वही है । सिपाहियों को वही २५-३० रुपये और थोड़े से भत्ते और अफसरों को ३५० से ३,००० तक तथा भारी भारी भत्ते मिलते चले जा रहे हैं और वैसी ही असानतायें चली जा रही हैं। अंग्रेजों को विशेष ग्रेड दिये गये हैं। यदि वे अपनी सेवायें स्वतः हमारे अर्पण कर रहे हैं, तो विशेष भत्ते क्यों दिये जायें ? हां, यदि वे हमारे लिये अपरीहार्य हों, तो बात दूसरी है । उधर पूरे देश में फैले शस्त्र डिपो में विशेषतः किरकी आदि की आर्डनैंस फैक्टरियों में कामकरों में असंतोष चल रहा है फिर भी वहां का मजदूर-आंदोलन राष्ट्रभक्तिपूर्ण होने से वहां के पत्रों में स्थिति संतोषजनक बतायी जाती है । इन सभी कारणों से वहां के कामकर पूरे मन से काम नहीं कर पाते ।

व्यय काटने का एक तरीका रायलसीमा की भांति राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में सेना से अधिकाधिक सहयोग लेना है । सामान्य काल में भी बहुत सी ऊसर भूमि का सुधार किया जा सकता है । और इस प्रकार सैनिक धरती मां के सच्चे लालों की भांति किसानों के निकट लाये जा सकते हैं ।

श्री नामधारी (फ़ाजिल्का-सिरसा) : क्या माननीय सदस्य श्री गोपालन की ओर से कोई भाषण पढ़ रहे हैं या . . . .

श्री उपाध्यक्ष महोदय: शांन्ति, शान्ति । बहुत से नये सदस्य आये हैं। शायद यह माननीय सदस्य का पहला भाषण है । ठीक है । वक्ता एक दम नहीं बन जाते । वह जरा धीरे धीरे पढ़ें, जिस से सब समझ लें ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : प्रभावी-सेवा-कार्य में तल्लीन न रहते समय सेना को उस के लिये उद्योगी छोटे मोटे उद्योगों में लगाया जा सकना है। ऊसर भूमि को सुधार कर, सड़कें बना कर, नहरें, तालाब, कुयें खोद कर, जंगली जानवरों को मार कर वह पंचवर्षीय योजना के रचनात्मक काम में हाथ बंटा सकती है । सैनिक श्रम और संघर्ष में सब के साथ रखे जा सकते हैं । सैनिक पाठ्यक्रम में ऐसे कार्यक्रम रखने होंगे । चीन में दीर्घ प्रयाण (लौंग मार्च) के काल में लाल सेना गांवों में काम कर के अपनी जीविका कमाती थी ।

प्रादेशिक सेना में भी सभी प्रकार के लोगों को रख कर उस में नया उत्साह फूंकना चाहिये । उसे हड़तालें, जुलूस आदि भंग करने के लिये लगा कर दलबंदी की राजनीति में न घसीटना चाहिये । बंबई की १९५० की वस्त्र हड़ताल में उस का उपयोग सर्वथा गर्हित कार्य था ।

धांधलियां भी रोकनी चाहियें । टैंक विध्वंसक हथ गोलों में बरबाद किया गया वह रुपया अब लौटने का नहीं तमाशा यह है कि मामला दबाने के लिये रक्षा मंत्रालय के उस अफसर को भी निकाल दिया गया, जिस के कारण यह धांधली प्रकाश में आई थी । यदि काश्मीर युद्ध के समय ऐसी गड़बड़ी होती, तो पता चल जाता कि वे हथगोले कितने काम के थे । अन्त में मुझे यही कहना है कि हमारी सेना थोड़ी हो, द्रुतगति वाली हो और सारी सशस्त्र जनता उस की सहायता के लिये उस के पीछे हो ।

श्री जयपाल सिंह (राची पश्चिम-रक्षित अनुसूचित जनजातियां) : सेना द्वारा रायलासीम में किये गये स्तुत्य कार्य की चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण सम्बन्धी विवाद के सिलसिले में करने के बाद आज मैं फिर दुबारा उस की प्रशंसा करता हूं । दुर्भाग्य से यहां पर ऐसे लोगों की आलोचना हुई जो न स्वयं अपना बचाव

कर सकते हैं, न मंत्री जी ही उन का बचाव कर सकेंगे। उधर एक माननीय सदस्य ने आज़ाद हिंद फौज का व्यक्तिगत प्रचार किया है। पर उस के प्रति नेहरू सरकार के रुख के अपने विशेष कारण हैं। वैसे साधारणतः लोगों ने हमारी रक्षा की घोर आलोचना की है, पर कटुता के मौके कम ही दिखाई पड़े।

हमारी सेना केवल लड़ाकू ही नहीं है, बल्कि अपने क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण करने वाली भी है। मैं चाहता हूं कि माननीय संसद् सदस्यों ने नेशनल डिफैंस एकेडमी, देहरादून में छात्रसैनिकों की दीक्षांत परेड देखी होती, तो पता चलता कि कितने अच्छे आदमी वहां तैयार किये जा रहे हैं। सेना अपने क्षेत्र सेबाहर के काम भी करती रही है और प्रत्येक संकट के अवसर पर नागरिक सरकार की सहायता के लिये तैयार रही है। इसलिये दूसरे देशों के आंकड़ों से उस की तुलना नहीं करनी चाहिये।

प्रश्न इतना ही है कि हमें फल क्या मिलता है? परिस्थितियों में हमें जितना कुछ मिलना चाहिये उस से अधिक ही हमें प्राप्त होता है। वित्त मंत्री के शब्दों में वह हमारी स्मृद्धि की भित्ति है, और पिछले शासन-काल का सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकार है।

अफसरों के ऊंचे वेतनों की चर्चा करते समय क्या लोग यह ध्यान रखते हैं कि उन के वेतनों पर, उसी स्थिति के दूसरे लोगों की तुलना में विचार करें? जवान को २५ रुपये मिलते हैं, पर यदि उस को मुफ्त मिलने वाली शेष बातों पर ध्यान दिया जाये, तो इन का महत्व पता चलेगा। मेरा सुझाव यह नहीं कि जवानों को अधिक दिया जाता है। पुनःसंगठन समिति के प्रस्ताव कार्यान्वित होते ही किसी को शिकायत की गुंजायश न रहेगी। अफसरों की वित्तीय स्थिति विशेष अच्छी नहीं, यह आप उन के घर को देख कर जान सकते हैं। यदि आप उन को कुली नहीं, अफसर बनाना चाहते हैं, तो कृपया उन की जरूरतें तो पूरी कीजिये।

रक्षा सेवाओं से पूरी सहानुभूति रखते हुए भी मुझे कुछ बातें कहनी हैं। इसे राष्ट्रीय सेना क्यों कहा जाता है? ८,००० अफसरों में लगभग आधे पंजाबी हैं— मैं संकीर्ण बातें नहीं कर रहा हूं। तीन वर्ष मैं अफसरों के चुनाव से संबद्ध रहा हूं, और प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिये कुछ अवश्य किया जाना चाहिये। अंग्रेजी काल के सैनिक और असैनिक जातियों वाले वर्गीकरण अब भी चलाये जा रहे हैं, जो आशा है, शीघ्र समाप्त कर दिये जायेंगे।

रक्षा सम्बन्धी उत्पादन और विकास के लिये स्पष्ट उपबन्ध वांछनीय थे, क्योंकि कब तक हम विदेशी सामान पर निर्भर बने रहेंगे? इसी विदेशी खरीद के कारण हमारा कुछ भीकार्य गुप्त नहीं रह पाता। कुछ योजना बना कर प्रति वर्ष रक्षा संबंधी उत्पादनों को बढ़ाते जाना चाहिये। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट का तरीका विशेष आशापूर्ण नहीं है। हमें मुश्किल से मुश्किल पुर्जे भी बना कर अन्य देशों की भांति स्वतंत्र रूप से किसी वस्तु का उत्पादन करना चाहिये। न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया आदि की भांति दूसरे निर्माताओं के लाइसेंस खरीद कर विशेष व्यय बिना किये हम उत्पादन बढ़ा सकेंगे। वितीय योजना में और शायद-योजना-आयोग द्वारा भी रक्षा-उत्पादन पर उचित ध्यान नहीं दिया गया।

हम वायु सेना को ही लें। अपने देश के आकार और पड़ौसी समस्याओं की दृष्टि में क्या हम यह दावा कर सकते हैं कि हमारे पास पर्याप्त हवाई दस्ते हैं? क्या १५ दस्ते बहुत हैं? यदि वस्तुतः हमें देश की सुरक्षा का ध्यान रखना है, तो घटाने की कौन कहे, हमें रक्षा-व्यय बढ़ाने के लिये तैयार रहना चाहिये।

यदि हमारे मित्र सेना को काम करते देखें, तो उन्हें पता चलेगा कि वे लोग केवल यूनीफार्म

[श्री जयपाल सिंह]

(वर्दी) ही नहीं पहने फिरते। अभी एक मंत्री महोदय ने वनमहोत्सव सम्बन्धी अपने उत्साह में जितने पेड़ लगाये थे, वे तो वह गये पर सैनिकों द्वारा उसी समय लगाये गये पेड़ अब भी लहलहा रहे और फल दे रहे हैं। अपना काम करते हुए भी सेना ने हर मांग पर हर संकट में हमारा साथ दिया है। कुछ लोग शांतिकाल में उसे उत्पादन-सेना बना देना चाहते हैं। कुछ अंश तक ठीक भी है। पर सेना क्षिप्रगामी होनी चाहिये। विभाजन के बाद हमारी सीमा की समस्यायें बदल गयी हैं। पहले हमारी छावनियां दूसरी स्थिति में थीं। क्या अब माननीय रक्षा मंत्री बता सकेंगे कि क्या अब वह नयी समस्याओं के निपटाने की स्थिति में हैं ?

उदाहरणस्वरूप पूर्वी कमान (ईस्टर्न कमांड) को लें, जो आजकल बिहार में है। नयी स्थिति को देखते हुए अब नेहरू सरकार यह निश्चय करने में कितनी देर और लगायेगी कि इस का प्रधान केन्द्र उत्तर प्रदेश में रहे या बिहार में ? तभी व्यय कम होगा, नहीं तो अस्थायी बैरकें और हटमेंट बनाने के बाद फिर जगह बदलने में विशेष व्यय होगा।

श्री बी० दास (जाजपुर-क्योंझर) : मैं समझता था यह रांची में है।

श्री जयपाल सिंह : रांची बिहार में झारखंड की राजधानी है।

ऐसा ही दूसरे क्षेत्रों में भी है। जैसा हमारे माननीय मित्र भूतपूर्व चालक महोदय ने हवाई जहाजों के बारे में अनुरोध किया था, उस बारे में भी शीघ्र योजना बना कर इस समय प्रयोग में न आने वाले विमान न खरीद कर नये नये विमान रखने चाहियें। यह सुरक्षा का प्रश्न है, और इस में पड़ौसी को आगे न बढ़ जाने देना चाहिये। रक्षा-उत्पादन का कार्यक्रम बढ़ा कर भारी व्यय कम हो सकता है और सेना परावलंबी न रहेगी, बल्कि अपने सामान सामग्री, खाद्य आदि के विषय में अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : श्रीमान्, मैं शुरू से सोचता था कि इस सदन में चुने जाने की अपेक्षा बोलने का अवसर मिलना कहीं कठिन है, सो मुझे मौक़ा देने के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

एक स्वाधीन सरकार का प्रथम कर्त्तव्य आंतरिक और वाह्य उपद्रवों से देश की रक्षा करना है, और उस के लिये कोई भी बलिदान या कितना भी रक्षा व्यय कम है। वित्त मंत्री जी को उस के लिये पर्याप्त उपबन्ध करने के लिये तो मैं बधाई देता ही हूं, साथ ही चीजों के १०/– के मूल्य के स्थान पर ९/१५/- लिखने वाले उस तरीके के लिये भी मैं उन्हें बधाई देता हूं, जिस में रक्षा-आकलन १९८ करोड़ के स्थान पर उन्होंने १९७.९५ करोड़ रखा है।

रक्षा पर ५० प्रति शत व्यय करने के लये होने वाली आलोचना से हमें डरना नहीं चाहिये। लोगों ने एशिया के बाहर के विदेशों के आंकड़े दिये हैं। हम अपने निकट के पड़ौसी पाकिस्तान को ही लें, १९५०-५१ में अपनी कुल ७३ करोड़ (रेलवे रहित) आय में उन्होंने रक्षा व्यय ५० करोड़ रुपये सोचा था, जो आय अधिक हो जाने से ६०·७० करोड़ या ५१ प्रति शत से कुछ अधिक हुआ। १९५१-५२ में ११३ करोड़ की आय में ६२ करोड़ या $54\frac{1}{2}$ प्रतिशत रक्षा पर व्यय हुआ। तो ऐसे निकट के पड़ौसी के रक्षा व्यय का हमें ध्यान रखना चाहिये। हम सीमा के लोगों को पड़ौसी देशों को लूटने के लिये मुक्त छोड़ और उन को हथियार दे कर उन्हें डाकू बनाने के तरीके नहीं अपना सकते। उस से तो सभ्य

जगत् को ही खतरा पैदा हो जायेगा। रक्षा के लिये हमारी सेना पर्याप्त और सक्षम होनी चाहिये। तभी ८०० मील लम्बी नई भू-सीमा, आसाम के पूर्व और पश्चिम की सीमा और पश्चिमी बंगाल की पूर्वी सीमा की सम्यक् सुरक्षा हो सकेगी।

वह लोग, जो यह सुझाते हैं कि क्रांतिकारियों को दबाने के लिये इतना रक्षा-व्यय किया जाता है, उपद्रव करने की अपनी क्षमता का बहुत मूल्य लगाते हैं। उन के लिये तो पुलिस और स्थानीय नागरिक अधिकारी ही बहुत हैं। सेना तो बाहरी आक्रमणों और भारी संकटों में तुरन्त कुछ करने के लिये है। उस का पहला काम देश की सुरक्षा है, और इस के लिये उस के पास जितने होने चाहियें, उतने न व्यक्ति हैं, न सामग्री।

मराठा आदि शक्तियां अपने हथियार स्वयं न बना दूसरों पर निर्भर थीं, और उन की हार का यह भी एक कारण था। हमें वही न करना चाहिये और दूसरों पर निर्भर न रह स्वयं अपने हथियार बनाने चाहियें, नहीं तो वे लोग हमें नीचा दिखा देंगे। फिर हमारे संसाधन काफी होने से यदि हम भारी कारखाने खड़े करें, तो हम बचत भी बहुत कर सकेंगें। रक्षा व्यय भी कम होगा। दूसरे हमारी शक्ति, क्षमता, योग्यता, और स्थिति आदि बाहर वालों को विदित न रहेगी। न वे यह जान सकेंगे कि हम कब और किस से लड़ने जा रहे हैं। जितने शीघ्र हमारे गुप्त भेदों का यह प्रकट होना रोक दिया जाये, उतना ही अच्छा है।

यह आलोचना ठीक नहीं कि हम प्रशासन और अनुसंधान कार्य में विदेशी विशेषज्ञों की सहायता लेते हैं, क्योंकि यह संक्रांति-काल है। रूस में भी शुरू में विदेशी सहायता ली गई थी। वही स्थिति हमारी भी है और इस में कोई दोष नहीं है।

अफसरों के ऊंचे वेतनों की बात की आलोचना भी ठीक नहीं, क्योंकि आलोचकों ने दोनों की हदें ही गिनी थीं। प्रशिक्षित सैनिक को शुरू में ९० रुपये मिलते हैं और सूबेदार मेजर तक बन कर वह २५०-२६५ रुपये तक पा सकता है।

एक माननीय सदस्य : कितने ऐसे होते हैं।

श्री आल्तेकर : योग्यतानुसार बहुत से पा सकते हैं। (**एक माननीय सदस्य** : केवल एक प्रति शत)। अफसरों में सैकेंड लैफ्टीनैंट को शुरू में ३५० और कर्नल बनने पर १,४०० रुपये मिलते हैं। १९४७ में उसे निवास, विवाह भत्तों समेत ४९० रुपये मिलते थे, अब बचत कर के वह घटा दिये गये हैं। अतः सेना का नेतृत्व करने वाले अफसर को अपनी स्थिति के अनुरूप तो मिलना ही चाहिये।

श्री वैलायुधन : और जवान को एक रुपया महीने विवाह-भत्ता मिलता है?

श्री आल्तेकर : कुछ भी नहीं मिलता। सन् १९४७ से सेना में अधिकतम वेतन ३,००० रुपये है, जो असैनिक सेवाओं के अधिकतम वेतन से कम ही है। कटौती हो तो इधर भी हो, तो उन को भी प्रेरणा मिलेगी। उन की राष्ट्रीय भावना भी कम नहीं है। जिस प्रकार ब्रिटिश काल के पदाधिकारी अपने पदों को छोड़ राष्ट्रीय संघर्ष में कूद पड़े थे, उसी प्रकार अब हमारी सेना में भी राष्ट्रीय भावना आ गई है। कैप्टन राय थोड़े से लोगों के साथ बारामूला की लड़ाई में कूद पड़े और उसी में उन की मृत्यु हुई। क्या यह सब पैसे के ही लोभ से था? निश्चय ही वह भी विशुद्ध राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत था। साधारण से हवाई जहाजों द्वारा हमारे चालकों को २८,००० फीट ऊंचे चढ़ सामान ढोते देख दुनिया ने दांतों तले अंगुली दबाई थी। अतः

[श्री आल्तेकर]

उन की सफलताओं को देख हमें उन की राष्ट्रीय भावना से प्रेरित मान कर उन को सभी प्रकार की प्रशसांओं का पात्र मानना होगा । १९७ करोड़ के आयव्ययक में वेतन-भत्तों के लिये ७७·२० करोड़ और पैंशन आदि के लिये १५·५८ करोड़ रखे गये हैं जिन में कमी या छंटनी संभव नहीं है । हां, भडांर के क्रय में ८०·२० करोड़ और निर्माण या उस के रक्षण-पोषण में १०·७२ करोड़ रुपये व्यय होते हैं ; वहां पर प्राक्कलन पत्र आदि मंगा कर कुछ सावधानी करने से बचत की जा सकती है । हमारे महान् प्रधान मंत्री और सुयोग्य वित्त तथा रक्षा मत्रियों के होते हुए बचत की गुंजाइशें निकाली जा सकती हैं । प्रधान मंत्री के हाथ में देश का भाग्य सुरक्षित है ।

श्री कैशवैयंगार (बंगलौर-उत्तर) : मत-दान के समय "ना" या "हां" की आवाज़ के बाद आज मुझे इस महान सदन में भाषण देने का पहला अवसर मिला है, और इन कटौती प्रस्तावों के विरोध में कुछ कहने के लिये मैं आप की और माननीय सदस्यगणों की कृपा चाहता हूं ।

रक्षा-व्ययों के बारे में कठिनाई से प्राप्त की गई स्वाधीनता की रक्षा तो प्रत्येक कीमत पर करनी हो होगी । अच्छा ही हुआ कि कुछ सदस्यों ने राष्ट्रीय-सुरक्षा के महत्व को मान अपने कटौती प्रस्तावों पर जोर नहीं दिया । मेरी समझ से तो आर्थिक स्थिरता भी राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद की ही चीज़ है । सैंकड़ों वर्ष बाद अंग्रेजों के पंजे से हमें स्वाधीनता मिली है, और पूरी सावधानी से हमें आंतरिक झगड़ों और बाहरी आक्रमणों से इस की रक्षा करनी होगी । हमें अपनी शक्ति का अंदाजा लगाने का मौका देने के लिये मैं साम्यवादियों का भी आभारी हूं । इसी से सेना को शांतिकाल में युद्ध की तैयारी करते हुए और सतर्क रखना पड़ता है । पता नहीं कब-कहां हमें आक्रमण का सामना करना पड़ जाये ।

श्री पटनायक ने सेना के सामाजिक-आर्थिक कामों के बारे में बहुत कुछ कह कर भी एक भी रचनात्मक सुझाव नहीं दिया । संकटों के समय हमारे काम आ कर सेना ने बहुत प्रशंसा पाई है । विभाजन के समय लाखों आदमियों को सुरक्षापूर्वक इधर लाने में तथा हैदराबाद और काश्मीर की लड़ाइयों में उस ने स्तुत्य कार्य किया है जो उस की परि-पाटियों के अनुकूल ही है । राष्ट्रीय संकट में या आवश्यकता पड़ने पर सेना ने आगे बढ़ कर सदैव सहायता की है और क्या वह सामाजिक-आर्थिक काम नहीं हैं ? हां, हर बार हम सेना को नहीं बुला सकते, क्योंकि उसे सदा संकट काल के लिये तैयारी भी करनी पड़ती है ।

सेना में काम करने वाले विदेशी प्रविधिज्ञों की एक नामावली यहां पढ़ कर सुनाई गई थी । पर यदि इस संक्राति काल में कुछ आवश्यक बाहरी लोग रखे जायें और वह भी अंग्रेज़, जो हमारे परिचित ही नहीं मित्र भी हैं, तो विशेष दोष नहीं है । कहावत है परिचित शैतान अपरिचित से अच्छा है ।

रक्षा का कार्य भी बहुत महान् है । हमारा समुद्र तट भी बहुत लम्बा है । नौ सेना अभी नई है । हमारी वायु सेना तो अपेक्षकृत बड़ी हो ही, हमारी नौ सेना भी शक्तिशाली होनी चाहिये । अंग्रेज़ सभी नाविक अड्डे भी तोड़ फोड़ गये और लड़ाकू हवाई जहाज़ भी नहीं छोड़ गये । अपनी शक्ति बढ़ाने के लिये अब श्रीगणेश कर देना चाहिये । हमारी वायु सेना भी ज़रा सी है, शायद जितनी कोरिया में एक दिन की लड़ाई में काम आती है । इसलिये कटौती की तो गुंजाइश है ही नहीं ।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये रचनात्मक सुझावों का मैं भी माननीय रक्षा मन्त्री के विचारार्थ अनुमोदन करता हूं। वह बातें हैं : सेना से सम्बन्धित सामग्री के उद्योगों का विकास और बहुत सी आर्डनैंस फैक्टरियों का खड़ा करना। यदि यह काम निजी उद्योगपतियों को भी सौंप दिया जाये, तब भी विकास तेजी से हो सकेगा।

१ म० प०

इसलिये यह अत्यावश्यक है कि हम देश की सुरक्षा पर पूरा ध्यान दें।

इन शब्दों में इन कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं।

इस के पश्चात् सदन की बैठक बुधवार, ११ जून, ९९५२ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थागित हो गई।